शासकीय उपयोग हेतु

भरिया / भारिया जाति का
नृजातीय अध्ययन



मार्गदर्शन : डॉ.टी.राधाकृष्णन
निर्देशन एवं संपादन : पी.एल.चौधरी
क्षेत्रीय अध्ययन : एल.चौहान
नान्हू राजपूत
प्रतिवेदन : एल.चौहान

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर 2015

शासकीय उपयोग हेतु

भरिया/भारिया जाति का नृजातीय अध्ययन

मार्गदर्शन : डॉ.टी.राधाकृष्णन

निर्देशन एवं सम्पादन : पी. एल. चौधरी

क्षेत्रीय अध्ययन : एल. चौहान

नान्हू राजपूत

प्रतिवेदन : एल. चौहान

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर 2015

अनुक्रमणिका

अध्याय–1

पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना :–

भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण सभ्यता से दूर घने जंगलो, पहाड़ियों, घाटियों, तराइयों, तटीय क्षेत्रों में निवासरत है। इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ी हुई है जनसामान्य इन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजाति, आदिमजाति आदि नामों से जानते है। स्वतंत्रता के पश्चात इन्हे समाज की मुख्य धारा के समकक्ष लाने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का नाम देकर अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार द्वारा अलग–अलग राज्यों के अनुसूचित जनजाति समूह की सूची जारी की गई है, इनके सामाजिक–आर्थिक शैक्षणिक विकास तथा इनके हितो के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किये गये है।

1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के तहत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 05 पर भारिया, भूरिया, भुईहार, भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो जनजाति शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के विकासखण्ड गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही तथा कोरबा जिले के विकासखण्ड कटघोरा क्षेत्र में भरिया/भारिया जनजाति निवासरत है। स्थानीय पटवारियों द्वारा 1927–28 एवं 1950 के पूर्व राजस्व अभिलेखों में इनकी जाति भरिया, भारिया, भारीया, भूमिया, भूईहार अंकित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ (माननीय पांच न्यायाधीशो की बेंच) के निर्णय AIR 2001 SC 393 के अनुसार –

1. " अनुसूचित जनजाति आदेश को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वह है। ऐसा कहने की अनुमति दिये जाने योग्य नहीं है, कि एक जनजाति, उप जनजाति अथवा जनजाति समुदाय का भाग अथवा समूह अथवा पर्यायवाची है, यदि वह जाति उक्त आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है।"

2. " संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी किये गये अनुसूचित जनजाति अधिसूचना (सूची) को केवल संसद द्वारा बनाये गये विधि द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, अन्य शब्दों में अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जनजाति अथवा किसी जनजाति के भाग या समूह को शामिल करने अथवा निकालने का कार्य केवल संसद में ही बनाये गये विधि के द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नही।"

3. "अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विशिष्ट रूप से वर्णित अनुसूचित जनजाति की सूची में **परिवर्तन, संशोधन अथवा सुधार** करने का अधिकार राज्य शासन, अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारियों (ॲथारिटी) को नहीं है। "

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये बिलासपुर, कोरबा आदि जिलों में भरिया जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी नही किया जा रहा है, क्योंकि भरिया शब्द भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नही है। इस जाति को एन्थ्रोपोलाजिकल – इथनोलॉजिकल दृष्टि से भारिया जनजाति का एक उपसमूह माना जा सकता है, किंतु विधिक रूप से संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं हो जाता, तब तक उन्हे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देकर अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर शासकीय सेवा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय संवैधानिक पीठ के निर्णय के विपरीत होगा।

अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण बिलासपुर तथा कोरबा जिले में निवासरत भरिया/भारिया जनजाति समाज द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूची में शामिल कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी अभ्यावेदन राज्य शासन के माध्यम से आदिमजाति कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ था। उक्त अभ्यावेदन के तारतम्य में बिलासपुर, कोरबा जिले के भरिया/भारिया जाति का नृजातीय अध्ययन आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा कराया गया है।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य संक्षिप्त में निम्नांकित है :

1. भरिया/भारिया जनजाति में अनुसूचित जनजाति के लक्षण पाये जाते है अथवा नहीं ज्ञात करना।
2. भरिया/भारिया. जनजाति का नृजातीय (सामाजिक–सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
3. भरिया/भारिया जनजाति की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना।
4. भरिया/भारिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति ज्ञात करना।
5. भरिया/भारिया एवं भारिया/भूमियां जनजाति समूह में समानता/असमानता ज्ञात करना।

1.3 अध्ययन प्रविधि :–

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सामाजिक–सांस्कृतिक मानव शास्त्र के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अन्वेषकों द्वारा बिलासपुर, कोरबा आदि जिलों के भरिया, भारीया ग्रामों में जाकर क्षेत्र अध्ययन प्रविधि द्वारा अध्ययन किया गया।

प्राथमिक तथ्य संकलन साक्षात्कार–निरीक्षण तथा साक्षात्कार प्रविधि द्वारा किया गया। सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन हेतु अनुसूची विधि का उपयोग करते हुये 2 जिलों में 04 विकासखण्डों के ग्रामों में निवासरत 202 परिवारों का अध्ययन किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित पुस्तकों, जनगणना प्रतिवेदन व शासकीय प्रतिवेदनों का उपयोग किया तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

1.4 सर्वेक्षित भरिया, भारिया (भारीया) परिवारों का वितरण

तालिका – 01

जिला, विकासखण्ड वार भरिया/भारिया परिवार

क्र.	जिला	विकासखण्ड	सर्वेक्षित कुल ग्राम	परिवार संख्या	कुल परिवार से प्रतिशत
1	बिलासपुर	गौरेला	03	30	14.85
		पेण्ड्रा	04	40	19.80
		मरवाही	03	31	15.35
2	कोरबा	कटघोरा	16	101	50.00
		योग	26	**202**	**100.00**

उपरोक्त सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ राज्य के दो जिलों बिलासपुर तथा कोरबा जिले के 04 विकासखण्डों के 26 ग्रामों से कुल 202 भरिया/भारिया परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। कुल सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक भरिया/भारिया परिवार (50 प्रतिशत) कोरबा जिले में कटघोरा विकासखण्ड में पाये गये। बिलासपुर जिले के गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही विकासखण्डों में क्रमशः 14.85 प्रतिशत, 19.80 प्रतिशत एवं 15.35 प्रतिशत परिवारों का अध्ययन किया गया।

1.5 उत्पत्ति का इतिहास :–

भरिया/भारिया जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनमें प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर इनकी उत्पत्ति निम्नलिखित है :–

1. द्वापर युग में जब कुरूक्षेत्र के मैदान में कौरवों तथा पाण्डवों का युद्ध होना तय हो गया तब पाण्डवों के पास सैनिक कम थे। अर्जुन ने ''भरू'' घास का मानव आकृति तैयार कर इन्हे मंत्र शक्ति से जीवित किया। ये सैनिक कौरवों के साथ युद्ध में पाण्डवों के पक्ष से सैनिक के रूप में युद्ध किये थे, इन्हे भरू घास से बनाया गया था अतः इनका वंशज भारिया के नाम से कालान्तर पहचाने गये। भरिया/भारिया लोग अर्जुन द्वारा निर्मित भरू घास से सैनिक को अपना पूर्वज मानते हैं। कई भरिया/भारिया परिवार पाण्डवों को भी अपना पूर्वज मानते हैं क्यों कि भरू घास से निर्मित भरिया/भारिया जनजाति के पूर्वज को अर्जुन ने बनाया था तथा मंत्र शक्ति से जीवित किया था।

2. भरिया/भारिया जाति का नामकरण भरू नामक घास से हुआ है, इनके पूर्वज वनवासी थे वे अपने घर को भरू घास से ही बनाते थे, इसी भरू नामक घास के उपयोग से ही इनके पूर्वज भारिया कहलाये इस प्रकार इनकी जाति का नामकरण भारिया हुआ।
3. किंवदती के अनुसार भारिया व भूमिया दोनों भाई–भाई हैं। भगवान शंकर ने सर्वप्रथम दो मानव बनाया जिसमें एक पुरूष व एक स्त्री थी इनकी दो संतान में से एक संतान जो भूमि देवी–देवताओं की पूजा करने लगा भूमियां कहलाया, दूसरी संतान जो कृषि का भार संभाला वह भारिया कहलाया।
4. भगवान शंकर की कैलाश पर्वत में शादी हो रही थी इनके पूर्वज वनवासी थे। शंकर जी ने इनके पूर्वज को अपनी शादी में पानी भरने की जिम्मेदारी सौंपी। पानी भरने के कारण शंकर जी ने इनके पूर्वजों को भारिया नाम दिया।
5. अन्य मतानुसार भारिया शब्द की उत्पत्ति "भार" शब्द से हुई है, जैसे जोगी से जोगिया, तेली से तेलीया, कोरी से कुरिया इसी प्रकार "भार" जाति से भारिया लोगो की उत्पत्ति मानी जाती है। भारिया जनजाति के लोग अपना मूल स्थान महोबा तथा बांधवगढ़ को मानते है। इसके आसपास "भार" जाति का क्षेत्र माना जाता था। "भार" जनजाति को द्रविड़ प्रजाति माना जाता है, जो कोल, चेरो, सेवरिया जनजाति के समान माना जाता था। ये विन्ध्य कैमूर के पठार में गोंड जनजाति के साथ निवास करते थे। इन्ही "भार" जाति के वंशज कालान्तर भारिया जनजाति कहलाने लगे। राजा कर्णदेव के समय में जबलपुर (म.प्र.) में भारिया लोग आये थे ऐसा माना जाता है।

1.6 मूल निवास स्थान :–

भरिया/भारिया अपना मूल स्थान बाधवगढ़ महोबा को मानते है। यहां के तत्कालीन महाराजा कर्णदेव को अपने जाति वंश का होना मानते हैं। इनके पूर्वज बांधवगढ़ से मंडला आये थे। मंडला के महाराजा संग्राम शाह के मृत्यु के पश्चात ये तितर–बितर हुए। इनके पूर्वजों के कुछ भाई सिवनी, नरसिंगपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर एवं कुछ भाई शहडोल पेन्ड्रा एवं छूरी के आस–पास घने जंगलों को अपने जीवन के अनुकुल पाकर बस गये।

(अ) बांधवगढ़ से मण्डला का आगमन –

भरिया/भारिया बांधवगढ़ से मण्डला आगमन के दो कारण बताते है :–

1. इनके पूर्वज विंध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना करने प्रतिवर्ष विध्यांचल पर्वत आते थे। इनमें से कुछ लोग वापस बांधवगढ़ न होकर मण्डला आकर स्थाई रूप से बस गए। इस प्रकार मण्डला के निवासी हो गए।
2. मण्डला के महाराजा संग्रामशाह और बांधवगढ़ के महाराजा कर्णदेव आपस में समधी थे। महाराजा कर्णदेव की लड़की संग्राम शाह के लड़के से ब्याही थी, चूंकि दोनों रियासतों की बोलियां पृथक–पृथक थी, लड़की वहां की बोली समझ नही पायेगी, इस उद्देश्य से महाराजा कर्ण देव ने अपने लड़की के साथ बारात वापसी पर इनके पूर्वजो को मण्डला भेजा, इनके पूर्वज मण्डला आ गये। महाराजा कर्णदेव ने अपने समधी महाराजा संग्रामशाह से इनके पूर्वजों को बसाने हेतु जमीन देने का अनुरोध किया, जिसे महाराजा संग्राम शाह ने स्वीकार कर लिया। महाराजा संग्राम शाह ने इनके पूर्वजों को, जो शारीरिक रूप से कमजोर व दिमाग से तेज थे, उन्हे अपने रियायत में सत्ता संचालन का भार सौंपा और जो शारीरिक रूप से मजबूत थे उन्हें कृषि का भार सौंपा। इनके पूर्वज मण्डला रियासत में मंत्री थे, जिसके पास मंडला रियासत के पूरे 52 गढ़ों की जिम्मेदारी थी। इस प्रकार बांधवगढ़ से आकर भारिया मण्डला में स्थायी रूप से बस गए।

(ब) मण्डला से छुरी कोरबा आगमन –

देश में 1857 की क्रांति के गदर का समय था। अंग्रेज महाराजा शाह के 52 गढ़ों पर कब्जा जमाना चाहते थे इससे महाराजा और अंग्रेजों के बीच युद्ध की स्थिति चल रही थी। अंग्रेजों की प्रताडना से संपूर्ण मंडला रियासत दहशत में था। अग्रेजों ने महाराजा संग्रामशाह को जबलपुर में सूली पर चढ़ा दिया। महाराजा की मृत्यु के पश्चात इनके पूर्वज अपने को निराधार पाकर छिन्न–भिन्न हो गये। कुछ भाई विंध्यकैमूर पर्वत होते हुए सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और कुछ भाई शहडोल, पेन्ड्रा, छूरी, कोरबा के आस–पास घने जंगलों में बस गए। इनके अनुसार छुरी कोरबा क्षेत्र में पूर्वजों के आकर बसे करीब 3–4 पीढ़ी हुआ है ऐसा मानते है।

(स) छुरी रियासत मे व्यवस्थापन –

छुरी रियासत अंतर्गत जंगलों में आगमन पर छूरी के तत्कालीन जमीदार श्री गजेन्द्रपाल सिंह ने इनके पूर्वजों को इनकी कृषि में दक्षता ईमानदारी एवं राजपरिवार से जुडे होने के कारण न इन्हें पर्याप्त जमीन दी, बल्कि उन ग्रामों की गौटी भी दी। तत्कालीन जमीदारी प्रथा में ग्राम छुरीखुर्द, जलपोस, केन्दईखार, गेरवा, में भारिया जाति के लोग गौटिया थे। इनके परिवार के सदस्यों को आज भी लोग गौटिया शब्द से संबोधित करते है। वर्तमान में ग्राम जलपोस हसदेव बांध में डुबान से, ग्राम गेरवा एन.टी.पी.सी. के निर्माण से विस्थापित हो चुका है। यहां निवासरत भारिया कोरबा जिले के विभिन्न ग्रामों में बस गये है।

संबंध – भरिया/भारिया लोगो के अनुसार इनके पूर्वजों का सामाजिक संबंध जबलपुर, मण्डला, शहडोल व पेंड्रा के भारिया से रहा है। दूर दराज व आवागमन के साधनों के अभाव के कारण इनका संबंध टूटता गया। वर्तमान में इनका सामाजिक संबंध मात्र कोरबा/बिलासपुर जिले में ही सीमित रह गया है।

आदिम संबंध – प्राचीनकाल में भरिया/भारिया एवं गोंड जाति में अंतर्जातीय संबंध होता रहा है। गोंड़ भारिया लड़की से तथा भारिया गोंड़ लड़की से शादी किया करते थे लेकिन जब गोड़ो ने चुड़ी प्रथा लागू की तब इनके पूर्वजों ने गोंड़ो से संबंध विच्छेद कर लिया। वर्तमान में गोड़ो से भारिया का कोई वैवाहिकी संबंध नही है।

1.7 जनसंख्या :–

सर्वेक्षित भरिया/ भारीया (भारिया) जनजाति के परिवारों की सर्वेक्षण के दौरान जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार है।

(अ) कुल जनसंख्या – तालिका – 02

क्र.	जिला–बिलासपुर व्यक्ति (भरिया)						जिला–कोरबा व्यक्ति (भरिया/भारिया) आदि					
	पुरूष		स्त्री		योग		पुरूष		स्त्री		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	257	49.52	262	50.48	519	100	233	52.48	211	47.52	444	100

सर्वेक्षित कुल 202 परिवारों में भरिया/भारिया जाति की कुल जनसंख्या 519 जिसमें पुरूष जनसंख्या 257 (49.52 प्रतिशत) एवं महिला जनसंख्या 262 (50.48 प्रति.) पायी गई। इसी प्रकार कोरबा जिले के सर्वेक्षित भरिया/भारिया जाति की कुल जनसंख्या 444 जिसमें पुरूष जनसंख्या 233 (52.48 प्रति.) एवं महिला जनसंख्या 211 (47.52 प्रतिशत) पायी गई है।

(ब) उम्र लिंग अनुसार जनसंख्या वर्गीकरण –

तालिका – 03

उम्र लिंग अनुसार जनसंख्या वितरण

क्र	उम्र समूह (वर्षों में)	जिला–बिलासपुर व्यक्ति (भरिया)						जिला–कोरबा व्यक्ति (भरिया/भारिया आदि					
		पुरूष		स्त्री		योग		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	0–5	10	03.89	07	02.67	17	03.28	08	03.43	12	05.69	20	04.50
2	6–14	46	17.90	35	13.36	81	15.61	30	12.88	32	15.17	62	13.96
3	15–21	45	17.50	43	16.41	88	16.96	44	18.88	39	18.48	83	18.69
4	22–35	64	24.90	87	33.21	151	29.09	69	29.61	56	26.54	125	28.15
5	36–50	49	19.07	48	18.32	97	18.69	60	26.18	53	25.12	114	32.43
6	51–60	30	11.67	30	11.45	60	11.56	17	07.30	16	07.58	33	07.43
7	60 से अधिक	13	05.06	12	04.58	25	04.82	04	01.72	03	01.42	07	01.58
	योग	**257**	**100**	**262**	**100**	**519**	**100**	**233**	**100**	**211**	**100**	**444**	**100**

उपरोक्त तालिका अनुसार बिलासपुर जिले में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में सर्वाधिक 29.09 प्रतिशत व्यक्ति 22–35 वर्ष की उम्र समूह के हैं। इसी प्रकार कोरबा जिले में भरिया/भारिया परिवारों में सर्वाधिक 32.43 प्रतिशत व्यक्ति 36–50 वर्ष की उम्र समूह के है। बिलासपुर जिले के भारिया परिवारों में सबसे कम 03.28 प्रतिशत व्यक्ति 0–5 वर्ष की उम्र समूह के एवं कोरबा जिले के भरिया/भारिया परिवारों में सबसे कम 01.58 प्रतिशत व्यक्ति 60 से अधिक उम्र समूह के है।

बिलासपुर जिले के भरिया परिवार में 22–35 वर्ष की उम्र समूह में पुरूषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है शेष उम्र समूहों में महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों की तुलना में कम है। इसी प्रकार कोरबा जिले में भरिया/भारिया परिवारों में 0–5, 6–14 एवं 51–60 वर्ष उम्र समूह में पुरूषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है शेष इन समूहों में महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों की तुलना में कम है।

(स) लिंगानुपात –

बिलासपुर जिले में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में प्राप्त जनसंख्या संबंधी आकड़ों के आधार पर इनमें प्रति हजार पुरूषों पर 1040 महिलाएं पायी गई इसी प्रकार कोरबा जिले से भरिया/भारिया परिवारों में प्रति हजार पुरूषों पर 906 महिलायें पायी गई है। औसत रूप में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 965 पायी गई।

****

अध्याय–2

भौतिक संस्कृति

2.1 ग्राम की बसाहट :–

भरिया/भारिया जनजाति का पृथक ग्राम नही होता। सामान्यतः वे अन्य जनजाति जैसे गोंड़, कंवर, बिंझवार आदि के साथ निवास करते हैं। भारिया जाति पहाड़ी, पथरीले तथा समतल दोनों स्थानों में बसे हुये है। ग्राम पारा (मोहल्ला) में बटा होता है। मकान कतारबद्ध व दोनों तरफ होते हैं। ग्राम आयताकार, लंबवत व गोलाकार पाया जाता है। ग्राम के मध्य चौड़ा कच्चा रास्ता पाया जाता है, जिसके दोनो किनारों पर बसाहट होती है। मुख्य रास्ता से छोटी–छोटी सकरी पगडंडी अन्य पारे–टोले हेतु निकली होती है।

घरों से खेत की दूरी कम होती है। ग्राम के पास ही पुराने वृक्षों के नीचे ग्राम देवी–देवताओं का स्थान होता है, सामुदायिक उपयोग हेतु ग्राम के मध्य में छायेदार स्थान पर चबूतरा का निर्माण किया जाता है। ग्राम के खाली जगह पर मवेशियों को इकट्ठा रखने के लिये गौठान होता है। एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के किनारे शासकीय पाठशाला पंचायत भवन आदि का स्थान निश्चित होता है। ग्राम सीमा में बसाहट के पीछे सामुदायिक निस्तारी हेतु 1–2 तालाब पाये जाते है। ग्राम के चारों तरफ आम, पीपल, महुआ आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

2.2 आवास निर्माण :–

भरिया/भारिया जाति के लोग अपने आवास का निर्माण स्वयं करते है। आवास निर्माण हेतु भूमि का चयन में आवास के समीप की भूमि को प्राथमिकता देते है। भूमि चयन पश्चात चयनित भूमि में बैगा (गांव की देवी देवताओं की पूजा करने वाला) को बुलाकर नारियल, अगरबत्ती, गुड, तेल का दिया जलाकर वहां एक लकड़ी का खम्बा की पूजा की जाती है, तत्पश्चात जिस आकार का घर बनाना हो उस आकार का लगभग 2 फीट गहरा 1.5 फीट चौड़ी नीव खोदी जाती है। आवास निर्माण हेतु लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसे पानी में भिगोकर पैरा का भूसा मिलाकर, अच्छी तरह फैर से फेटा जाता है इस मिट्टी को फिर नींव में डाली जाती है। दीवार निर्माण प्रातःकाल से किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन 1.5 से 2 फीट

तक दीवार खड़ी की जाती है। 4–5 फीट ऊँचाई तक दीवार निर्माण हो जाने पर छोटी खिड़की या रोशनदान हेतु झरोखा बनाया जाता है। इसके पश्चात पुनः दीवार की ऊचाई पूर्ववत प्रक्रिया कर बढ़ाई जाती है दीवार की निर्धारित ऊँचाई पूर्ण हो जाने पर गोल लकड़ी की म्यार रख दी जाती है। म्यार के चारों ओर दीवारों की पाटी से खॉच बनाकर जोड़ दिया जाता है। खपरेल रखने म्यारों से बांस की चटाई बिछा दी जाती है, जिस पर स्वनिर्मित खपरे बिछा दिये जाते है।

आवास हेतु दरवाजे बढई द्वारा या स्वंयं द्वारा निर्मित किये जाते है। आवास निर्माण हेतु मिट्टी बनाने का कार्य प्रायः महिलाएं एवम् मिट्टी चढ़ाने का कार्य एवम् म्यार रखने छत बनाने का कार्य पुरूष द्वारा किया जाता है।

पशुओं की संख्या के अनुसार आवास के समीप बाड़ी में या घर के सामने ऑगन में एक ओर पशुओं के रखने का कोठा बनाया जाता है।

2.3 आवास विभाजन :–

भरिया/भारिया जाति में आवास प्रायः दो कमरों का होता है। कमरों के दोनों तरफ सामने व पीछे परछी होती है। प्रमुख कमरें में एक तरफ रसोई की खोली होती है इसी खोली में मिट्टी की बनी कोठियां (अनाज रखने का भंडारण) होता है, जिसका निर्माण जमीन से 2 फीट ऊपर होता है। कोठियों के नीचे छोटे–छोटे खण्ड कर दिये जाते है जिसे गोडारी कहते है। इसी मुख्य कमरे में दीवार के किनारे पानी रखने का पनिहा बनाते है। सामने परछी में अनाज कूटने की देकी होती है तथा दाल या चावल आटा पीसने की चक्की होता है। मुख्य कमरे में देवी देवताओं कंा स्थान होता है। घर के सामने आयताकार आगन होता है। आगन में लकड़ी का बना कोठा होता है जिसमें मवेशी बांधे जाते है। आंगन के मध्य में चारा होता है।

2.4 घर की सजावट व आवास व्यवस्था :–

नया घर की दीवार में मिट्टी से प्लास्टर कर गोबर व लाल मिट्टी में राख मिलाकर लीपा जाता है लीपते समय हाथों से एक विशिष्ट प्रकार लहरदार आकृति सुंदरता की दृष्टि से बनायी जाती है। त्यौहारों के अवसर जैसे दीवाली के समय घर की दीवारों की पुताई की जाती है। नवाखाई, उत्सव, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार आदि के समय भी घर की पुताई करते है। फर्श की लिपाई प्रारंभ में गीली मिट्टी से की जाती है फर्श की सामान्यतः गोबर से लीपाई की जाती है।

घर की सजावट व पूजा आदि के लिए देवी–देवताओं की तस्वीरें फ्रेम व कांच में रखकर या केलेण्डर के रूप में कमरे की दीवारों में टांगते है। कुछ घरों में स्वयं व परिवार के फोटो, सिनेमा, अभिनेता, अभिनेत्री के कैलेण्डर सजावट हेतु लगाया हुआ देखने को मिलता है।

आवास के दालान (सामने का भाग) में अतिथियों के बैठने, ठहरने व रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाती है। घर के पीछे के भाग में परछी होती है जिसमें भोजन पकाने का कार्य किया जाता है जिसमें कक्ष के एक कोने पर दो मुही चुल्हा लगाया जाता है। इसी के एक किनारे पीने के पानी की हंडिया रखी जाती है। घर में अनाज रखने का भंडारण होता है जिसे कोठियां कहा जाता है। कोठियों का निर्माण मिट्टी से किया जाता है। कोठियों के नीचे छोटे–छोटे खण्ड कर दिये जाते है जिसे गोडारी कहते है। दीवारों पर छोटीं–मोटी सामान रखने का पठेरा होता है जिसे झूला भी कहते है। घर के अंदर कोठी के साथ ही पूर्वज देवी–देवताओं का स्थान होता है इस कक्ष में अन्य समाज के व्यक्तियों का प्रवेष वर्जित होता है।

2.5 घर की स्वच्छता एवं सफाई :–

प्रातःकाल प्रतिदिन उठकर स्त्रियां रसोई घर के चुल्हे से राख बाहर निकालती है तत्पश्चात रसोई घर, कमरे, परछी, आंगन को बुहारती है। गोबर व मिट्टी के घोल से चूल्हे व रसोई तथा परछी कमरे आदि को लीपती हैं। लीपने का यह कार्य नित्य न कर 3–4 दिन में एक बार करते है। आंगन को लगभग एक सप्ताह में एक बार लीपते है। घर के बाहर आंगन के सामने के गली को भी 3–4 दिन के अंदर झाड़ू लगाते है। पशुओं को कोठा से बाहर निकालकर बचे हुए घास, गोबर, मूत्र आदि उठाकर घर के पीछे बाड़ी के एक किनारे पर डालते है। तत्पश्चात कोठा में झाड़ू लगाते है एवं बचे हुए अन्य राख, घर का कूड़ा करकट आदि को भी बाड़ी में एक कोने में एकत्र करते है। वर्षा के पहले इसको खाद के रूप में खेतों में डाल दिया जाता है।

नवाखाई, दीपावली जैसे विशिष्ट त्यौहारों व अन्य विशेष अवसरों पर दीवाल आदि की पुताई की जाती है।

2.6 व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई :–

भरिया/भारिया जाति के लोग प्रातः 5–5.30 बजे उठ जाते है। दैनिक कार्यो की शुरूआत प्रायः शौच जाने से होती है। शौच हेतु सामान्यतः खुले मैदान, जंगल या नाले, नदी आदि के किनारे जाते है। शौंच के पश्चात हाथों की सफाई मिट्टी, राख से की जाती है। कुछ लोग इसके लिए साबुन का भी उपयोग करने लगे है। महिलाएं एवं पुरूष बबूल, रतनजोत, करंज आदि की लगभग 8–9 इंच लम्बी डाली की दातौन करते है।

युवा एवं बच्चों में दांतों की सफाई करने गुडाखू का प्रचलन अधिक देखा गया। आधुनिकता के प्रभाव के कारण इनमें कुछ लोग ब्रश तथा डेंटल पेस्ट भी उपयोग करने लगे हैं। महिलाये घरेलू कामकाज़ निबटाकर नहाने आदि के समय दातून का उपयोग करती है। सुबह प्रायः सादे पानी के साथ "कुल्ला" कर अपने दैनिक कार्य में जुट जाती है। पुरूष सदस्य सुबह उठकर शौच से निवृत होकर दातून करते है।

भरिया/भारिया जाति की महिलायें सुबह घर के कामकाज झाडू लगाना, लिपाई करना, जानवरों को चारा देना व भोजन पकाने के पश्चात स्नान करती है। शरीर पर नहाते समय साबुन का उपयोग किया जाता है। बाल धोने के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, नहाने के लिए नदी, तालाब, कुंआ, शासकीय हेण्डपंप आदि का उपयोग किया जाता है। भारिया जाति के लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। ठंड या वर्षा के दौरान इसकी आवृति में कमी दिखाई देती है।

पुरूष जानवर चराने या वन विचरण करते समय ही नदी, तालाब आदि में नहाने चले जाते है। बच्चे शीलकालीन समय एवं वर्षाकाल को छोड़कर प्रतिदिन हैण्डपंप व तालाबों में नहाते है। नवजात शिशु व 1.5 से 2 वर्ष के बच्चों का स्नान प्रायः घर पर ही बाड़ी आदि में करा लिया जाता है। स्नान के पश्चात सिर व शरीर पर तिल/सरसों का तेल लगाया जाता है। वर्तमान समय में अन्य सुगंधित तेल नारियल आदि का उपयोग भी किया जाता है। बच्चे सिर व शरीर पर स्नान पश्चात तेल आदि लगाते बहुत ही कम पाये गये। कुछ महिलायें अन्य सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग के रूप में टेलकम पाऊडर का भी चलन देखा जा सकता है।

2.7 वस्त्र विन्यास :–

भारिया/भरिया जाति में पुरूष, महिलाएं व बच्चों के वस्त्र विन्यास ग्राम में निवासरत अन्य जनजातियों के समान ही है। उम्र लिंग अनुसार इनके वस्त्र निम्नलिखित होते है।

(अ) पुरूषों के वस्त्र :–

(अ) बच्चेः–छठी के पूर्व नवजात शिशु को उपयोग किये गये गमझे, साड़ी या चादर के टुकडे में लपेट कर रखा जाता है। छठी पश्चात नया कपड़ा, झबला (सूट) आदि पहनाया जाता है। 02 वर्ष की आयु के बच्चे को बटन वाली शर्ट, हाफ पेंट पहनाई जाती है। स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों को उनके नाप अनुसार हाफ पेंट व शर्ट पहनाई जाती है।

(ब) वयस्कः–युवक घुटने तक साफी पहनते है तथा उपरी भाग में कमीज पहनते है। सिर पर पट्टा रूमाल आदि बांध रहते है। वर्तमान परिवेश में कुछ साक्षर होने पर फुल पेंट, कमीज टी शर्ट पहने देखने को मिलते है।

(स) वृद्ध व्यक्तिः–वृद्ध पुरूष सामान्यतः कमर पर पट्का, लंगोटा पहनते है। सिर पर धोती या लुंगी को पगड़ी समान लपेटे रखते है। अधिकांश वृद्धों का बदन खुला रहता है। अब बाहर रिश्तेदारी बाजार आदि जाने पर या उत्सवों पर कमीज, कमर पर घुटने के कुछ नीचे तक धोती पहनते है। कंधे पर पटका या गमछा व सिर पर साफा आदि बांधते है।

(ब) स्त्रियों के वस्त्र :–

(अ) बच्चेः–छोटी लड़कियों को फ्राक या कमीज पहनाया जाता है। स्कूली उम्र की लड़कियां प्रायः स्कर्ट का ही उपयोग ज्यादातर करती है। वहीं अन्य बालिकायें घुटने के नीचे तक लुगडी पहनती है। वर्तमान में आधुनिकता के प्रभाव के कारण सलवार कमीज पहने भी दिखाई पड़ती है।

(ब) वयस्कः–वयस्क भारिया महिलाएं पूरी लंबाई की रंग–बिरंगी छींट साड़ी व ब्लाउज पहनती है। पढ़ी लिखी महिलाएं साड़ी के अंदर साया व ब्लाउज के अन्दर ब्रा भी पहनने लगी है।

(स) वृद्ध महिलाएंः–वृद्ध भारिया महिलाएं गहरे लाल, हरे रंग की मोटी सेंदरी साड़ी पहनती है। ब्लाउज नहीं पहनती है। शरीर को साड़ी से ढकती है।

(स) ओढ़ने–बिछाने के कपड़े :–

भरिया/भारिया ओढने–बिझानेके लिए "गोदरी" का जो पुरानी कटी–फटी साड़ियॉ, धोती, लुंगी व बच्चों के कपड़ों को सिल कर बनाया जाता है, का उपयोग करते है। गोदरी अन्य जाति की महिला "गोदरखिली" से सिलाई जाती है। वर्तमान में ओढ़ने के लिए चादर व कम्बल का उपयोग करते है। ये चादर और कम्बल बाजार से खरीदी जाती है।

तालिका – 04

भरिया/भारिया जाति के वस्त्र विन्यास

वस्त्र के नाम	शरीर का भाग जहॉं पहना जाता है।	उपयोगकर्ता पुरूष/महिला
1. झंगा	शरीर के उपरी भाग में	छोटे बच्चे लड़के लड़कियां
2. फ्राक	शरीर के उपरी भाग में	लडकिया
3. चड्डी/पज्जी	शरीर के नीचे भाग में	लड़के, लडकियां, नवयुवक, पुरूष
4. हाफ पेंट	शरीर के नीचे भाग में	छोटे लड़के, नव युवक
5. बनियान	शरीर के उपरी भाग में	लड़का, नवयुवक
6. फूलपेंट	शरीर के नीचे भाग में	लड़का, नवयुवक
7. अंगा/अंगिया	शरीर के उपरी भाग में	नवयुवक
8. पोलका	शरीर के उपरी भाग में	लडकियां, स्त्रियां
9. ब्लाउज/कुर्ती	शरीर के उपरी भाग में	लडकियां, स्त्रियां
10.लुगड़ा	शरीर में लपेटकर	लडकियां, स्त्रियां
11. साडियां	शरीर में लपेटकर	लडकियां, स्त्रियां
12. स्कर्ट	शरीर के नीचे भाग में	लडकिया (स्कूल जाने वाली)
13. धोती	शरीर के नीचे	पुरूष
14. छींट	शरीर में लपेटकर	लडकिया स्त्रियां
15. पटा	शरीर में लपेटकर	लडकिया वृद्ध स्त्रियां
16. पगड़ी	सिर पर	वृद्ध, जवान पुरूष
17. लहंगा साया	कमर पर	लड़किया, स्त्रियां
18. गमछा	हाथ मुंह पोछने पहन कर नहाने	नवयुवक नवयुवक
19. टावेल	पहन कर नहाने	नवयुवक
20. रूमाल/फैटां	मस्तक	नवयुवक
21. लुंगी	शरीर के नीचे भाग में	नवयुवक
22. सलवार सुट	दो नग में उपर व नीचे भाग	लड़कियां, छात्राएं
23. पंछा/पटका/साफी	शरीर के नीचले भाग में	पुरूष काम के समय
24. बंडी	शरीर के नीचले भाग में	पुरूष काम के समय
25. कुर्ता	उपरी भाग में	पुरूष

2.8 साज श्रृंगार व आभूषण :–

साज श्रृंगारः–स्नान करने के पश्चात पुरूष स्त्रियां व बच्चे अपने शरीर में मूंगफली, गुल्ली, (महुआ), कोसम, नारियल आदि का तेल लगाते है। महिलाएं बालों को कंघी का जूडा बनाती है। सुहागिन स्त्रियां मांग में सिन्दुर लगाती है। मांथे पर टीकली (बिंदी) लगाती है। सुहागिन स्त्रियां व लड़कियां कांच की रंगीन चूडियां दोनों कलाईयों पर पहनती है। लड़कियां प्लास्टिक की चूडियां भी पहनती है। महिलाएं हाथों पर मेंहदी लगाती है। विवाह, त्यौहार, उत्सव आदि अवसर पर पैरों में लाल रंग का माहुर लगाती है। वर्तमान में पढ़ी लिखी नवविवाहिताएं होठो पर लिपिस्टिक का उपयोग करने लगी है। भारिया जाति में लड़कियां नाक में कील तथा कानों में बाली पहनी होती है, नाक में नथनी नहीं पहनती। वृद्ध महिलाएं मोटे गहरे लाल रंग की साड़ियां पहनती है। भारिया वृद्ध पुरूष बहुत कम कपड़ों का उपयोग करते है। मात्र अपने कमर को जननागों को ढ़कने के लिए पटका व लंगोटा पहनते है। पूरा बदन खुला रखते है। वर्तमान में अब अधिक कपड़ों का उपयोग करने लगें है। पुरूष बाल में मांग निकालकर कंघी करते है।

आभूषणः– भरिया/भारिया जाति की स्त्रियां गहने की बहुत शौकीन होती है। सोने, चॉदी, डालडा, पीतल, कांच, प्लास्टिक के आभूषण आदि पहनती है। महिलाएं माथें पर टिकली, गले पर कन्ठा/हार कान में कर्ण फूल, कमर में कमरपट्टा तथा पाव में पैरी/पायल/तोड़ा पहनती है। आभूषण सामग्री साप्ताहिक हाट बाजार व फेरी वाले से खरीदी जाती है। भारिया पुरूष कलाई पर लोहे का कडा/चूडा, कान में चांदी की मुरकी, कमर में करदोना व उगलियों पर छल्ला (रिंग) पहनते है।

बालिकाएंः–बालिकाएं श्रृंगार की दृष्टि से गले में माला, कान में बाली/टाप, नाक में कील आदि तथा आर्थिक स्थिति ठीक होने पर पैर में पैरी व उगलियों में मूद्री आदि पहनती है।

विवाहित महिलाएंः–माथे पर बिंदिया, कान में कर्णफूल या बाली, गले में हार, नाक में लौंगफुल, कलाई में कंगन, कमर में करधन, पैरों में पायल, पैर की उगलियों में बिछिया से भारिया महिलाएं अपनापूर्ण श्रृगार करती है। विवाह के अवसरों पर लगभग सभी गहने पहने जाते है। सभी आभूषण बाजार से क्रय किये जाते है।

सुहागिन वृद्ध महिलाएंः–गले में साकल या हमेल सिक्कों का हार पहनती है बाह में नागमोरी, नाक में फुल्ली, उगलियों में अंगूठी, पाव की उगलियों में बिछिया आदि पहनती है।

विधवा महिलाएंः–विधवा महिलाएं चुड़िया नहीं पहनती है। गहने भी नही पहनती है कलाई पर चांदी की चूडिया मात्र पहनती है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है।

पुरूषः–पुरूष वर्ग कलाई पर लोहे का कड़ा/चूड़ा पहनते है। यह कड़ा चूड़ा भारिया पुरूषों के लिए आभूषण कहलाता है।

तालिका – 05

भरिया/भारिया जाति का आभूषण

क्र.	आभूषण का नाम	निर्मित धातु	पहनने जाने वाले के अंग	उपयोगकर्ता
1	कील लौगफूल	सोना/चांदी	नाक	लडकियां/स्त्रियां
2	नथनी	सोना	नाक	लडकियां
3	बाली, टाप	आर्टिफिशियल	कान	लडकियां
4	चूडियां	आर्टिफिशियल	कलाई पर	लडकियां/स्त्रियां
5	बिंदी टिकली	आर्टिफिशियल	माथे	लडकियां/स्त्रियां
6	अंगूठी/मूदी	चांदी/आर्टिफिशियल	उगलियों	लड़के/लडकियां/स्त्रियां
7	बिंदिया	चांदी/डालडा	पैर की उंगली	विवाहित स्त्रियां
8	तोड़ा/पैरी	चांदी/डालडा	पैर	विवाहित स्त्रियां
9	पैर पट्टी	चांदी/डालडा	कमर	विवाहित स्त्रियां
10	करधन	चांदी/डालडा	कलाई	स्त्री
11	चललनी	चांदी/डालडा	बांह	स्त्री
12	नागमोरी/बाजूबंद	चांदी/डालडा	गला	स्त्री
13	हमेल (चांदी के सिक्को का हार)	चांदी/डालडा	गला	स्त्री
14	हार/कंधा	चांदी/डालडा	गला	स्त्री
15	चैन	चांदी/डालडा	गला	स्त्री
16	मुंगामाला	मोती	मांग	स्त्रियां
17	मुंगामोती	सोना	मांग	स्त्रियां
18	सिंदूर	सोना	नाक	स्त्रियां
19	फूलकी	सोना	नाक	स्त्रियां
20	कड़ा/चूड़ा	लोहा	कलाई	पुरूष
21	बाली	चांदी	कान	पुरूष
22	छल्ला	चांदी	उगलियां	पुरूष
23	करदोना	चांदी	कमर	पुरूष

गोदनाः— भरिया/भारिया महिलाएं गोदने को शरीर का चिरस्थायी अंलकरण मानती है। भारिया महिलाओं के अनुसार गोदना शरीर को स्वस्थ रखता है। जो महिलाएं गोदना नहीं गोदाती उन्हें ससुराल में सम्मान नहीं मिलता। इनकी मान्यता अनुसार गोदना को अमिट गहना मानती है और ये गहने मरने के बाद ही शरीर के साथ जाते है।

भरिया/भारिया महिलाएं गोदना वाली महिला को "गुदनहारी" के नाम से जानती है। गोदना विशेषकर ठण्ड के मौसम में गुदाया जाता है। गुदनों के प्रति ललक भारियाओं के मन में बचपन से ही जाग जाती है। 7–8 वर्ष की उम्र से लड़कियां गुदना गुदाना आरंभ कर देती है। गुदनहारी गोदना चिन्ह काजल व सुई से त्वचा के अंदर चुभा कर बनाती है। गुदनहारी कभी–कभी मस (स्याही) का उपयोग करती है।

भरिया/भारिया बालाएं मस्तक, नाक के पास, हथेली के ऊपरी भाग ठुढड़ी के पास कुछ बिंदु गुदवाती है। गोदना पाव के उपर पैर में हाथों में कलाई, बाहुओं, माथें, कपोल आदि भाग में अलग–अलग आकृति के होते है। आकृतियों में चतुभुर्ज, फूल, पक्षी, हिरण, चौक, मोर आदि गुदवाती है।

भरिया/भारिया महिलाएं हथेली में अंगूठे के पास बिच्छू, माली, उगलियों में, मुंदरी, कलाई के उपर हाथ में करेलाचानी, लौंग फूल, बांह में बहुटा फूल धंध मुकुट नाक व दाढ़ी में टिपका आदि गुदवाती है। पैर में पायल व तोड़ा गुदवाती है। उक्त चिन्हों के अतिरिक्त भारिया महिलाएं चलनी, घड़ा, मोर, घोड़ा, कुर्सी आदि चिन्ह गुदवाती है। भारिया महिलाएं पहले माथे पर विशेष प्रकार का गोदना गुदवाती थी, जिसे "कपाल गुदना" कहा जाता है। वर्तमान में माथे पर या अन्य शरीर के अंगों पर गोदना का प्रचलन नगन्य सा है। वर्तमान मे गुदना गुदवाने की प्रथा समाप्त हो गई है। वृद्ध महिलाओं के शरीर में गुदना चिन्हों का अवलोकन किया जा सकता है।

धंधा नाम से प्रचलित गोदना एक प्रकार से भारिया महिलाएं अपनाती रही है। जिसमें छ' बिन्दुओं को एक ही रेखा से जोड दिया जाता है। इस बिन्दुओं में एक मनुष्य का संपूर्ण शारीरिक आभास होना माना जाता है। जैसे एक बिन्दु का सिर, दुसरे का शरीर, दो बिन्दुओं का हाथ और शेष दो बिन्दुओं का पैर। इस धंधा का खुलासा भारिया महिलाएं इस तरह करती है जैसे लड़की के होने वाले भावी पति का संकेत इन बिन्दुओं से मानती हैं।

2.9 घरेलू उपकरण :-

घरेलू उपकरणों का प्रत्येक परिवार में दैनिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न आवश्यक उपकरणों या वस्तुओं का संग्रहण करता है। उसी प्रकार भरिया/भारिया जाति भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप घरेलू उपकरण रखते है जो निम्नानुसार है :-

तालिका – 06

क्र.	बर्तन का नाम	उपयोग	निर्मित धातु	निर्माणकर्ता
1	गघरी/मटका	पानी रखने हेतु	मिट्टी	कुम्हार
2	डोकसी	सब्जी पकाने हेतु	मिट्टी	कुम्हार
3	तेलई	रोटी बनाने हेतु	मिट्टी	कुम्हार
4	कुडेरा	चावल पकाने हेतु	मिट्टी	कुम्हार
5	करछुल/चेटुआ	सब्जी बांटने हेतु	लोहा	बाजार से/लोहार से
6	लोटा	पानी पीने हेतु	कांस	बाजार से
7	गिलास	पानी पीने हेतु	कांसा, पीतल, स्टील	बाजार से
8	चरू (छोटा लोटा)	बच्चों को पानी पिलाने हेतु	कांसा	बाजार से
9	मलिया	सब्जी खाने हेतु	कांसा	बाजार से
10	थाली	खाना खाने हेतु	कांसा/स्टील	बाजार से
11	बालटी	पानी लाने हेतु	लोहा, पीतल, स्टील	बाजार से
12	बटुआ	खना बनाने पानी रखने	कांसा	बाजार से
13	हऊला	पानी रखने	पीतल	बाजार से
14	गंजी	पानी/चावल/दाल रखने	पीतल/स्टील/सिलवर	बाजार से
15	गुंडी	चावल/दाल रखने	कांसा/स्टील	बाजार से
16	कटोरा	दाल/सब्जी/खाने	स्टील	बाजार से
17	कडाईहा	सब्जी बनाने	लोहा/स्टील	बाजार से
18	टोकनी	सांग सब्जी रखने	बांस	बाजार से/बसोड से
19	सूपा	अनाज साफ करने	बांस	बाजार से/बसोड से
20	सुपली	अनाज साफ करने कचरा उठाने	बांस	बाजार से/बसोड से
21	ढेकी	धान कुटने	लकड़ी पत्थर	स्वनिर्मित/बढ़ाई
22	जॉता	चावल आटा पीसने	पत्थर/लकड़ी	स्वनिर्मित बाजार
23	तिरही	तेल निकालने	लकड़ी	बाजार से
24	चटाई	बैठने	छिंदपत्ता	माझी से
25	पीढ़ा	बैठने	लकड़ी	स्वनिर्मित बढ़ाई
26	चुल्हा	खाना पकाने	मिट्टी	स्वनिर्मित
27	बहरी	घर आंगन साफ करने	घांस	स्वनिर्मित/बाजार

2.10 कृषि उपकरण :–

कृषि भरिया/भारिया परिवार के भरण पोषण एवं अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके लिए उन्हे कुछ आवश्यक कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। भरिया/भारिया जाति अपनी पुरातन/पारंपरिक उपकरणों के माध्यम से कृषि कार्य कर जीवोकोपार्जन कर रहा है। उनमें पाये जाने वाले कृषि उपकरण निम्नांकित है :–

तालिका – 07

भरिया/भारिया जाति का कृषि उपकरण

क्र.	कृषि उपकरण का नाम	उपयोग	निर्मित धातु	निर्माणकर्ता
1	नागर (हल)	खेत जुताई करने में	लकड़ी/लोहा	स्वनिर्मित बढ़ई
2	जुवाड़ी	बैलों को हल में जोड़ने में	लकड़ी	स्वनिर्मित बढ़ई
3	लघरा	भूमि समतलीकरण हेतु	लकड़ी	स्वनिर्मित बढ़ई
4	कुडरी	भूमि समतलीकरण हेतु	लकड़ी	स्वनिर्मित बढ़ई
5	रांपा	मेंड़ चाचने, गड्ढा पाटने	लोहा	बाजार से
6	फावड़ा	क्यारी आदि बनाने में घास छिलने, मिट्टी उठाने में	लोहा	बाजार से
7	गैंती	कड़ा मिट्टी खोदने में	लोहा	बाजार से
8	कुदाली	कड़ा मिट्टी खोदने में	लोहा	बाजार से
9	कुदारी	क्यारी की घास निकालने में	लोहा	बाजार से
10	शब्बल	मवेशी हेतु खुंदा गाड़ने में	लोहा	बाजार से
11	कुल्हाड़ी	लकड़ी काटने	लोहा	बाजार से
12	हसियॉ	घास काटने, फसल काटने	लोहा	बाजार से
13	बैलगाड़ी	खेतों में खाद डालने फसल लगाने में यात्रा में	लकड़ी	स्वनिर्मित बढ़ई
14	बरही रस्सी	बैलगाड़ी मे फसल बांधने में	पटसल/नाइलोन	स्वनिर्मित बढ़ई
15	जोता रस्सी	बैलों को हल बैलगाड़ी में जोतने	पटसल/नाइलोन	स्वनिर्मित बढ़ई
16	गेरवा रस्सी	मवेशी बांधने में	पटसल/नाइलोन	स्वनिर्मित बढ़ई
17	दवरी	धान मिसाई हेतु बैलों को जोतने में	पटसल/नाइलोन	स्वनिर्मित बढ़ई
18	टांगा	जलाऊ लकड़ी फोड़ने	लोहा	बाजार से
19	बसूला	औजारों में बैठ लगाने में	लोहा	बाजार से
20	तगाड़ी/घमेला	कचरा फेंकने खाद उठाने एवं फैलाने गोबर उठाने में	लोहा	बाजार से
21	सूपा	धान से भूसा अलग करने	बांस	बाजार से
22	कलारी	पैरा निकालने में	लोहा/लकड़ी	बाजार से

2.11 शिकार उपकरण :–

कुल्हाडी भारियाओं का मुख्य हथियार है। भरिया/भारिया जंगल जाते समय कंधे पर कुल्हाडी अवश्य रखते है। शिकार भारियाओं का प्रिय शौक है।

पशु पक्षियों के शिकार के लिए भारिया विभिन्न प्रकार के फंदों का प्रयोग करते है। मछली पकड़ने के लिए भारिया कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते है। मछली पकड़ना, भारियाओं का मन पंसद काम है। भारिया मत्याखेट हेतु नदी जाते है। समूह में मत्याखेट करते है। जबकि वर्षाकाल में खेतो/नालों से औजारों के माध्यम से मछलियां पकड़ते है। भारियाओं के द्वारा उपयोग किये जाने वाले शिकार के उपकरण निम्न है।

तालिका – 08

भरिया/भारिया जाति का शिकार उपकरण

क्र.	शिकार उपकरण	निर्माण	उपयोग
1	जाल	नायलोन	मछली पकड़ने
2	कुमना	बांस	मछली पकड़ने
3	चोरिया	वनस्पति सीक	मछली पकड़ने
4	बिसरा	बांस	मछली पकड़ने
5	गुलेल	लकड़ी+रबर	चिड़िया मारने
6	चोप, गवा	लासा/कांसा काड़ी	चिड़िया मारने
7	फंदा	नायलोन	चिड़िया मारने/खरगोश
8	तीर	लोहा, बांस, पंख	शिकार हेतु
9	कमान	बांस/रस्सी	शिकार हेतु
10	टांगी/कुल्हाड़ी	लोहा, लकड़ी	शिकार हेतु

2.12 संगीत के उपकरण :–

भरिया/भारिया जाति में गीत संगीत का विशेष महत्व है, जिसे समय–समय पर त्यौहारों धार्मिक अनुष्ठानों विवाह संस्कारों में परम्परागत रूप से लोगगीतों को सीमित वाद्‌य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। वर्तमान में अपने पारिवारिक लोकनृत्यों में हारमोनियम तबला, ढोलक व वर्तमान में प्रचलित अन्य वाद्‌य यंत्रों का उपयोग करने लगे है। भरिया/भारिया के संगीत के उपकरण निम्नानुसार है।

तालिका – 09

भरिया/भारिया जाति का संगीत उपकरण

क्र.	संगीत उपकरण	निर्माण	उपयोग
1	ढोल	लकड़ी + चमड़ा	बार/डांड/करमा/गौरा
2	मादल	लकड़ी + चमड़ा	बार/डांड/करमा/गौरा
3	नगाड़ा	लकड़ी + चमड़ा	होली
4	झांझ	पीतल	बार/डांड/करमा/गौरा
5	मंजीरा	कांसा/पीतल	बार/डांड/करमा/रामायण में
6	खंजर	स्टील/आर्टिफिशियन चमड़ा	बार/डांड/करमा/गौरा
7	तबला	लकड़ी + चमड़ा	रामायण/देवी जसगीत
8	हारमोनियम	लकड़ी + लोहा + चमड़े	रामायण/देवी जसगीत
9	हिरकी	लकड़ी + बांस	बार नृत्य में
10	ढोलक	लकड़ी + चमड़ा	रामायण/जसगीत
11	टिमनी	मिट्टी + चमड़ा	बार/डांड/करमा/गौरा
12	बासुरी	बांस	बार/डांड/करमा/गौरा

2.13 आग जलाने के उपकरण :–

भरिया/भारिया जाति में वर्तमान में घरों में चूल्हें, लालटेन जलाने, बीडी आदि सुलगाने माचिस का उपयोग किया जाताहै।

प्राचीन काल में आग जलाने के लिए **अकसरा** का उपयोग किया जाता रहा। इसमें पटसन की लगभग डेढ़–दो फीट लंबी लकड़ी के बीचो बीच हल्का सा खांचा बनाकर उसमें थोड़ी सी बालू मिट्टी डाली जाती थी। इसे उसी लंबाई की दातून की माप की सीधी सूखी लकड़ी से रगड़/घर्षण पैदा की जाती थी दबाव युक्त तेज घर्षण से धुंआ गुल निकलता है जिसमें हल्की हवा से स्वतः आग उत्पन्न हो जाती है। इसमें सूखी घास या पत्ते पतली सूखी लकड़िया डालने से तेज आग लगने लगती है।

प्राचीन काल में भारिया रिगुंआ रखते रहे है। रिगुंआ कोसे के गोल फल में रूई, पत्थर के टुकडे व लोहे का लगभग 5 सेमी लंबा 2 से.मी. चौड़ा टुकड़ा कपड़े की थैली मे रखकर इसे हर समय कमर में सामने की तरफ लगोटा में खोच कर रखते है। चोगी बीडी पीना हो तो पत्थर के टुकड़े में थोडा सा रूई रखकर इसे बाएं हाथ में पकड़ते थे तथा दाएं हाथ में लोहे के टुकड़े से मारकर घर्षण पैदा करते थे इससे चिंनगारी निकलती थी जो रूई को जला देती थी

इस जलती हुई रूई से भारिया चोंगी/चिलम/बीडी जलाकर पीते थे। इस जलती हुई रूई से घास, पतली टहनियां से आग जलाई जाती थी। वर्तमान में भी वृद्ध भारिया चोगी बीडी सुलगाने के लिए रिगुंआ का उपयोग करते है। रिगुंआ, अक्सरा का प्रचलन माचिस के प्रादुर्भाव से लुप्त होने के कगार पर है।

2.14 आवागमन के साधन :–

भरिया/भारिया जाति के लोग बाजार हाट पैदल जाते है, युवक सायकल का उपयोग करते है कुछ आर्थिक स्थिति से संपन्न लोग मोटर सायकिल से आवागमन करते है। तहसील, जिला दफ्तर या चिकित्सा हेतु शहर जाने पर बस, ट्रक, टैक्सी, जीप आदि का उपयोग किया करते है। प्राचीन काल में पैदल चलकर या आवागमन के लिये बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था।

2.15 भोजन :–

अ. शाकाहारी :– भरिया/भारिया का मुख्य भोजन पेज है। चावल की कनकी, कोदो आटे का पेज भारिया पसंद करते है। लेकिन अब ज्यादातर चावल का भात बनाकर खाते है। मक्का चावल की पीसी आटे से चीला रोटी बनाते है।

भरिया/भारिया जाति में सामान्यतः दिन में दो बार भोजन किया जाता है। किन्तु बीच में भूख लगने पर पेज, भात, बासी आदि खाते है। बच्चे दो से अधिक बार भोजन ग्रहण करते है। सामान्यतः कृषिकाल में पेज आदि बनाकर भी कार्यस्थल पर ले जाया जाता है। कई बार सब्जी व दाल के अभाव में भात या पेज को टमाटर मिर्च की चटनी से खाते है।

भरिया/भारिया अपनी बाड़ी में मौसमी साग सब्जी भी उगाते है साग, भाजी, टमाटर, पुटु आदि को सुखाकर अन्य मौसमों के लिये रखा जाता है। जंगली उत्पादनों में महुए को भुनकर या उबालकर खाते है। कोदो के चावल का भी भात भारिया लोग खाते है। सब्जी भूनने के लिए महुआ के तेल का उपयोग किया करते थे। वर्तमान में मूंगफली/सोयाबीन का तेल का उपयोग किया जाता है। सब्जी में मिर्च का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है।

भोजन प्रातः, दोपहर व रात्रि में किया जाता है। भोजन बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। परिवार के सदस्यों को खिलाने के बाद ही स्त्रियां भोजन करती है। तीज, त्यौहारों के अवसर पर पकवान बनाये जाते है। ठेठरा, महुआ, मक्का व चावल के आटें को मिलाकर बनाया जाता है। चावल के आटे में गुड मिलाकर सेंवाई बनाई जाती है।

ब. मांसहार :– भरिया/भारिया मांसहारी होते है, मांसाहार नियमित नहीं किया जाता है। भरिया/भारिया पक्षियों में तीतर गुडरू बटेर आदि तथा पशुओं में खरगोश, हिरण का शिकार करते है। भरिया/भारिया माह में या पन्द्रह दिनों में शिकार करने जाते रहें है। ये अतिथि आगमन पर अण्डा, मुर्गा तथा सामाजिक गतिविधियों में बकरे का भोज कराते है। ये विभिन्न प्रकार के औजारों से खाने के लिए मछलियां फंसाते है। मछलियों को भूनकर सुखाकर अन्य मौसम के लिए रखा जाता है। इसे ''सुसकी'' कहा जाता है। मछलियां खाना और पकड़ना भरिया/भारिया का प्रिय शौक है।

स. मद्यपान/तम्बाकू :–शराब भरिया/भारिया का जीवन का सामान्य अंग है। महुआ शराब भारिया स्वयं बनाते है। पर्व, त्यौहार विशेष पर भारिया शराब बनाते है वर्तमान में अधिक शराब पीना भारिया समाज में बुरा माना जाता है। अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति का सामाजिक सम्मान घट जाता है। भारिया युवक व युवतियां में गुडाखू का प्रचलन है तथा पुरूष व वृद्ध तम्बाकू, बीडी का उपयोग करते है।

द. दूध मिठाइयां :–दूध का उपयोग भारिया चाय के लिये करते है। दूध न मिलने पर काली चाय का उपयोग करते है। वैसे भारिया में चाय का प्रचलन कम है, अतिथि आगमन पर चाय पिलाकर स्वागत करने की परम्परा है। भारिया मिठाईयां हाट बाजार से हलवाई से प्राप्त करते है। दीपावली या कुछ विशेष अवसरों पर मिठाईयॉ खरीदी जाती है।

2.16 अतिथि सत्कार :–

भरिया/भारिया अतिथि सत्कार में पीछे नही रहते। नये मेहमान व अजनबी व्यक्ति के आगमन पर ससम्मान बैठने के लिए मचिया, कुर्सी आदि देते है, पानी पिलाते है, यथा संभव जलपान व चाय आदि पिलाते हैं।

****

अध्याय–3

आर्थिक जीवन

3.1 सम्पत्ति :–

भरिया/भारिया जाति में सम्पत्ति के संबंध में निम्नाकिंत अवधारणाएं पाई जाती है :–

(अ) चल सम्पत्ति

(ब) अचल सम्पत्ति

(स) व्यक्तिगत सम्पत्ति

(अ) चल सम्पत्ति –

इस सम्पत्ति के अंतर्गत पशुधन, गहना, नगद रूपया–पैसा, कपड़ा आदि घरेलु उपयोगी वस्तुएं आदि आते है। ये सम्पत्ति अस्थिर होते है, इन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है।

(ब) अचल सम्पत्ति –

इस सम्पत्ति के अंतर्गत भूमि, मकान, वृक्ष, कुआं, तालाब आदि को रखा जाता है। ये सम्पत्ति स्थिर होते है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान नही ले जाया जा सकता है।

(स) व्यक्तिगत सम्पत्ति –

इस सम्पत्ति के अंतर्गत ज्ञान, कला, जादू–टोना, तंत्रमंत्र आदि को माना जाता है। इसे बेचा नही जा सकता, किन्तु इसके द्वारा धन व प्रतिष्ठा अर्जित की जा सकती है। इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता।

3.2 सम्पत्ति हस्तांतरण :–

भरिया/भारिया जाति में पितृवंषीय सामाजिक व्यवस्था होने के कारण सत्ता या सम्पत्ति का उत्तराअधिकार पिता द्वारा अपने पुत्रों को दिया जाता है। पिता के पैतृत सम्पत्ति व स्वअर्जित सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का अधिकार होता है। भरिया/भारिया जाति में सबसे

बड़े पुत्र को अन्य पुत्रों की तुलना में कुछ अधिक सम्पत्ति हस्तांतरित की जाती है। पिता की सम्पत्ति पर पुत्रियों का अधिकार सामान्यता नही पाया जाता है।

जब पिता का कोई पुत्र न हो तो पिता की सम्पत्ति पुत्रियों में बराबर बांट दी जाती है। यदि किसी लड़की व उसके पति को घर जमाई रखा जाता है तो उसे ही संपत्ति दी जाती है।

यदि पिता निःसंतान हो तो वह अपने भाई के पुत्र को दत्तक पुत्र बना कर रखता है और अपनी संपत्ति उसे ही देता है।

यदि माता पिता जीवित हो तो उनके लिए पृथक से जमीन का हिस्सा निकाला जाता है। यदि किसी भाई व बहन का विवाह न हुआ हो तो विवाह हेतु भी अलग से पशु, अनाज या जमीन निकाल कर शेष भाईयों के बीच बांट दिया जाता है। माता पिता यदि कार्य करने योग्य हों, तो अलग रहते है या अविवाहित पुत्र–पुत्रियों के साथ रहते है। यदि सभी संतानों का विवाह हो गया हो तो अपने इच्छानुसार अपने हिस्से की जमीन के साथ किसी भी लड़के के साथ रह सकते है। माता पिता की मृत्युपरांत यदि जमीन बची है तो उसे सभी पुत्रों में बांट दिया जाता है। लड़कियों को जमीन आदि में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता।

3.3 प्राथमिक एवं द्वितीयक व्यवसाय :– भरिया/भारिया जाति का मुख्य व्यवसाय कृषि मजदूरी तथा द्वितीयक व्यवयाय वनोपज संग्रहण करना, ठेका मजदूरी आदि है।

तालिका – 10

प्राथमिक व्यवसाय

(भरिया/भारिया परिवार)

क्र.	व्यवसाय	जिला–बिलासपुर संलग्न व्यक्ति						जिला–कोरबा संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कृषि	97	37.74	85	32.44	182	35.06	87	37.34	78	36.97	165	37.16
2	वनोपज	16	06.23	11	04.20	27	05.20	19	08.15	13	06.16	32	07.20
3	मजदूरी	70	27.24	44	16.79	114	21.97	55	23.61	35	16.59	90	20.27
4	नौकरी	01	00.39	–	–	01	00.19	07	03.00	–	–	07	01.58
5	अन्य	32	12.45	27	10.31	59	11.38	15	06.44	12	05.68	27	06.08
	योग	**216**	84.07	**167**	63.74	**383**	73.80	**183**	78.54	**138**	65.40	**321**	72.29

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में से सर्वाधिक 35.06 प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते है, 21.97 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी (कृषि मजदूरी या अन्य मजदूरी) को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते है। ठीक इसी प्रकार कोरबा जिले में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में से सर्वाधिक 37.16 प्रतिशत व्यक्ति कृषि एवं 20.27 प्रतिशत मजदूरी को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते है। प्राथमिक व्यवसाय के रूप में वनोपज संकलन करने वाले व्यक्तियों की संख्या जिला–बिलासपुर में 05.20 प्रतिशत एवं जिला–कोरबा में 07.20 प्रतिशत है। इसी प्रकार नौकरी (शासकीय/गैर शासकीय) को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करने वाले व्यक्तियों की संख्या जिला–बिलासपुर में 00.19 प्रतिशत एवं जिला–कोरबा में 1.58 प्रतिशत है।

तालिका – 10अ

द्वितीयक (गौण) व्यवसाय

(भरिया/भारिया परिवार)

क्र.	व्यवसाय	जिला–बिलासपुर संलग्न व्यक्ति (भरिया)						जिला–कोरबा संलग्न व्यक्ति (भरिया/भारिया)					
		पुरूष		महिला		योग		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कृषि	51	19.84	46	17.56	97	18.71	52	22.32	32	15 17	84	18.92
2	वनोपज	62	24.12	54	20.61	116	22.29	47	20.17	51	24.17	98	22.07
3	मजदूरी	59	22.95	56	21.37	115	22.12	49	21.03	44	20.85	93	20.96
4	नौकरी	03	01.17	02	0.76	05	0.96	02	0.86	02	0.95	04	00.90
5	अन्य	41	15.95	09	03.44	50	09.63	31	13.30	11	05.21	42	09.46
	योग	**216**	84.05	**167**	63.74	**383**	73.80	**181**	77.68	**140**	66.35	**321**	72.30

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित परिवारों के 73.80 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक व्यवसाय या गौण व्यवसाय में संलग्न है, जिसमें पुरूषों (84.05 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं (63.74 प्रतिशत) की सहभागिता तुलनात्मक रूप से कम दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार जिला–कोरबा में सर्वेक्षित परिवारों के 72.30 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक व्यवसाय या गौण व्यवसाय में संलग्न है जिसमें पुरूषों (77.68 प्रतिशत) की तुलना में महिलायें (66.35 प्रतिशत) की सहभागिता है। जिला–बिलासपुर में 18.71 प्रतिशत व्यक्ति कृषि को, 22.29 प्रतिशत व्यक्ति वनोपज एवं 22.12 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये। इसी प्रकार जिला–कोरबा में 18.92 प्रतिशत व्यक्ति कृषि को 22.07 प्रतिशत व्यक्ति वनोपज को एवं 20.96 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

3.4 आर्थिक संरचना :–

भरिया/भारिया जाति की आर्थिक संरचना मिश्रित प्रकार की है। आय के आधार पर व भूमि उपलब्धता अनुसार वे कृषि कार्य करते है। इसके अतिरिक्त मजदूरी, वनोपज संकलन, शिकार, मत्स्य आखेट, ठेका मजदूरी, नौकरी आदि कार्य कर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

(अ) कृषि :–

(1) भूमि धारिता :–

तालिका – 11

भूमि धारिता

(भरिया/भारिया)

क्र.	श्रेणी	जिला बिलासपुर परिवार		जिला–कोरबा परिवार	
		संख्या	प्रतिश	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	भूमि धारक	63	62.38	82	81.19
2	भूमि हीन	38	37.62	19	18.81
	योग	**101**	**100.00**	**101**	**100.00**

तालिका से स्पष्ट है कि बिलासपुर जिले के सर्वेक्षित भरिया परिवारों मे सर्वाधिक 62.38 प्रतिशत परिवारों के पास कुछ न कुछ मात्रा में किसी न किसी स्त्रोत से प्राप्त की गई कृषि भूमि उपलब्ध है। इसी तरह कोरबा जिले के भरिया/भारिया परिवारों में 81.19 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि उपलब्ध है। भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत बिलासपुर जिले के भरिया जाति परिवारों में 37.62 प्रतिशत एवं कोरबा जिले के भरिया/भारिया जाति परिवारों में 18.81 प्रतिशत है।

(2) कृषि भूमि का वितरण :–

कृषि भूमि का वितरण प्रायः जनजाति परिवारों में असमान पाया जाता है, किसी परिवार के पास वर्ष भर के अनाज उत्पादन हेतु पर्याप्त कृषि भूमि की उपलब्धता नहीं होती, दूसरी ओर किसी परिवार के पास पर्याप्त कृषि भूमि होते हुये भी अनेक कारणों की वजह से आवश्यकता पूर्ति लायक उत्पादन भी नही ले पाते है।

तालिका – 12

कृषि भूमि का वितरण

(भरिया/भारिया)

क्र.	वितरण	जिला बिलासपुर परिवार		जिला–कोरबा परिवार	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	भूमिहीन	38	37.62	19	18.81
2	0.1–03	57	56.44	68	67.32
3	3.1–5	05	04.95	12	11.88
4	5.1 से अधिक	01	00.99	02	01.98
	योग	**101**	**100.00**	**101**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित भरिया (बिलासपुर जिला) परिवारों में सर्वाधिक 56.44 प्रतिशत परिवारों के पास 03 या 03 एकड़ से भी कम की कृषि भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार भरिया/भारिया (कोरबा जिला) परिवारों में सर्वाधिक 67.32 प्रतिशत परिवारों के पास 03 या 03 एकड़ से भी कम कृषि भूमि है। 03 से 05 एकड़ तक की कृषि भूमि वाले परिवारों की संख्या बिलासपुर जिले के भरिया परिवारों में 04.95 प्रतिशत एवं कोरबा जिले के भरिया परिवारों में 11.88 प्रतिशत है।

सर्वेक्षित कुल भरिया/भारिया परिवारों के पास कुल 258 एकड़ की कृषि भूमि पायी गई जो औसतन प्रति परिवार 01.28 एकड़ है। सभी परिवारों की कृषि भूमि असिंचित है तथा कृषि हेतु मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फलस्वरूप एक ही फसल बोते है।

(3) मुख्य फसल :–

भरिया/भारिया जाति की मुख्य फसल धान, उड़द सरसो, मूंगफली, मक्का, कोदो, तिल आदि।

(4) कृषि विधि :–

भरिया/भारिया जाति की संपूर्ण कृषि विधि पारंपरिक है वे पारस्परिक स्त्रोंतों के माध्यम से कृषि कार्य सम्पन्न करते है। कृषि भूमि में बहुत कम लोग आधुनिक, रासायनिक खाद जैसे–यूरिया, फास्फेट व अन्य कीटनाशकों का उपयोग करते है, जिसका मुख्य कारण भूमि की उर्वरकता का कम होना, फसलों का स्वाद पसंद न आना, पारंपरिक रूप से इनका उपयोग न करना एवं अधिक मूल्य आदि माना जाता है।

(अ) धान :–

धान की फसल हेतु बीज प्रायः जेठ आसाढ़ में बोया जाता है। धान बोने के खेत में गोबर या कूड़े करकट का खाद फैला दिया जाता है फिर जमीन की हल से दो बार जुताई की जाती है, तत्पश्चात धान बीज झिड़क कर हल चलाया जाता है। वर्षा होने पर बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। पौधे एक–डेढ़ माह का होने पर खेत में पानी भरकर बियासी की जाती है जिसके बाद निंदाई आदि का कार्य किया जाता है। फसल कुवांर कार्तिक मास में पक कर तैयार हो जाती है तब इन्हे काटकर खलिहान, कोठार में ले जाते है जहां दौरी फांद कर बैलों से धान की मिंजाई की जाती है, इसके बाद धान को कोठी भंडारण में भर दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर धान को ढेंकी मूसल से कूटकर साफ कर खाने के लिए चावल तैयार किया जाता है। तालिका क्रमांक 13 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित जिला–बिलासपुर के भरिया परिवारों में से सर्वाधिक 56.44 प्रतिशत एवं जिला–कोरबा के भरिया/भोरिया परिवारों में से सर्वाधिक 82.18 प्रतिशत परिवारों ने धान का उत्पादन किया है।

(ब) उड़द :–

यह फसल टिकरा भूमि पर सावन मास में बोई जाती है। भूमि की हल से दो बार जुताई की जाती है। उपलब्धता अनुसार गोबर खाद डाला जाता है। लघरा चलाकर अनावश्यक घास को निकाल कर बाहर फेंद दिया जाता है। फिर बीज बोवाई कर लघरा चलाकर बीज को ढंक दिया जाता है। कुंवार मास में फसल पककर तैयार हो जाती है। पके फसल को काटकर नींद कर आंगन या बाड़ी में रखकर लकड़ी के लम्बे डंडे से पीट कर मिंजाई की जाती है, जिसे सूपे से साफ कर भूसे को पृथक कर बीज को बोरी आदि में सुरक्षित रख दिया जाता है। फसल अपनी आवश्यकता से अधिक होने पर बेच दी जाती है। तालिका 13 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित

परिवारों में जिला–बिलासपुर में 02.47 प्रतिशत एवं जिला–कोरबा में 39.60 प्रतिशत परिवार की संलग्नता उड़द उत्पादन में रही है।

(स) मूंगफली :–

यह फसल टिकरा भूमि पर सावन मास में बोई जाती है। भूमि की हल से तीन–चार बार जुताई की जाती है। लघरा चलाकर उखड़े हुए घास को बाहर निकाल दिया जाता है। गोबर खाद डाली जाती है, पुनः जुताई कर बीज बोया जाता है, फिर लघरा या कोपर चलाकर बीज को ढंक दिया जाता है। फसल कुवांर कार्तिक मास में तैयार हो जाती है तब फल, कुदाली से खनकर बाहर निकाला जाता है फिर फल को बाड़ी आंगन में धूप में सुखाया जाता है। तिरही से पिराई कर खाने के लिए तेल निकाला जाता है। फसल आवश्यकता से अधिक होने पर बेच दी जाती है। तालिका 13 के अनुसार जिला–कोरबा में सर्वेक्षित भारिया परिवारों में 11.88 प्रतिशत परिवार मूंगफली का उत्पादन करते है।

(द) मक्का :–

मक्का की खेती घर के पिछवाड़े लगे बाड़ी में की जाती है। जेठ आसाढ़ मास में जमीन पर गोबर की खाद फैला कर उस जमीन की दो बार जोताई की जाती है तत्पश्चात् उसमें लघरा चलाया जाता है। बीज छिड़क कर फिर हल चलाया जाता है। फसल बढ़ने पर एक–डेढ़ माह में महिलाएं घास की निदाई करती है। कुंआर मास में लगभग फसल पक जाती है। इसके भुट्टे को धूप में सुखाकर दाने छिलकर अलग कर लेते है। बीज के लिए साबुत भुट्टे को चुल्हे के पास मियार में रस्सी से बांध कर लटका देते है, ताकि भुट्टे पर घुन आदि न लगें। तालिका–13 के अनुसार जिला कोरबा में सर्वेक्षित भारिया/भोरिया परिवारों में से 43.56 प्रतिशत परिवार मक्का का उत्पादन करते है।

(ड) कोदो :–

जेठ मास में वर्षा होने पर भूमि को दो बार हल से व दो बार लघरा से जोताई की जाती है। आषाढ़ में वर्षा के लक्षण होने पर बीज भूमि में छिड़कर पुनः खेतों की जुताई की जाती है क्वांर मास में इसकी फसल पकने पर कटाई की जाती है। कार्तिक अगहन मास में बैलों से इसकी मिजाई की जाती है फिर भंडार में भर दिया जाता है। तालिका–13 अनुसार जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भारिया परिवारों में से 50.50 प्रतिशत परिवार कोदो का उत्पादन करते है।

(ढ) तिल :–

हल्की बारिश होने पर टिकरा जमीन पर नागर से जोताई कर श्रावण मास में इसकी बोआई की जाती है। इस फसल के लिए खाद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस फसल को निदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वांर कार्तिक मास में फसल पकने पर काटकर ऑगन में ले जाते है। फिर डंडे से पीट–पीटकर बीज को एकत्रित कर बोरे में भर दिया जाता है।

(ण) हिरवा :–

यह फसल टिकरा भूमि पर अंतिम भादों मास में बोई जाती है। इसके लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठंड के ओले से यह फसल पक कर तैयार हो जाती है। धान की फसल कटने के बाद इस फसल की कटाई की जाती है। ऑगन या बाड़ी में लाकर बैलों से मिजाई कर बीज को साफ कर एकत्रित कर बोरे में भर दी जाती है।

(श) सब्जी :–

भरिया/भारिया जाति में प्रायः सभी परिवारों में वर्षा ऋतु में सब्जियां जैसे लौकी, कद्‌दु, तोराई, खीरा, बैगन, टमाटर, गवारफल्ली, भिंडी, मिर्च आदि सब्जियां घर के पीछे बाड़ी में लगाते है। सीताफल, अमरूद, नींबू आदि फलों के वृक्ष भी लगाते है।

तालिका – 13

कृषि उपज में संलग्नता

क्र.	फसल	जिला–बिलासपुर संलग्न परिवार (भरिया)		जिला–कोरबा संलग्न परिवार (भरिया/भारिया)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	धान	57	56.44	83	82.18
2	कोदो	51	50.50	01	00.99
3	कुटकी	35	34.65	00	—
4	उड़द	03	02.97	40	39.60
5	रमतिला	18	17.82	03	02.97
6	मक्का	—	—	44	43.56
7	मूंगफली	—	—	12	11.88
	कुल सर्वेक्षित परिवार	101	—	101	—

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में से सर्वाधिक 56.44 प्रतिशत परिवार धान का उत्पादन करते है 50.50 प्रतिशत परिवार कोदो एवं 32.65 प्रतिशत परिवार कुटकी के उत्पादन में संलग्न है। उड़द एवं रमतिला का उत्पादन करने वाले परिवारों की संख्या क्रमशः 02.97 प्रतिशत एवं 17.82 प्रतिशत है इसी प्रकार जिला–कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में से सर्वाधिक 82.18 प्रतिशत परिवार धान का एवं 43.56 प्रतिशत परिवार मक्का का उत्पादन करते है। उड़द एवं मूंगफली उत्पादन करने वाले परिवारों की संख्या 39.60 प्रतिशत एवं 11.88 प्रतिशत है।

(ब) वनोपज संग्रहण :–

भरिया/भारिया जाति में वन एवं वनोत्पादों का विशेष महत्व है। वनोत्पादों के संकलन एवं विपणन से अर्थोपार्जन कर जीविका चलाते आ रहें है। वनों से ईधन, पशु के लिए चारा स्वयं उपयोग हेतु जंगली फल–फुल, चार–चिरौजी, तेन्दुपत्ता, सालबीज, ईमली, गोंद, ऑवला, आम, हर्रा, बहेरा, कंदमूल–गठकांदा, पीठाकांदा, कठारूकांदा, पुटु, मधुरस, छिंद पत्ता एवं विभिन्न प्रकार की औषधियों का संग्रहण किया जाता है।

(अ) महुआ :–

भरिया/भारिया जाति में महुआ के वृक्षों का विशेष महत्व है। इसकी पत्तियों युक्त टहनियों को विवाह के अवसरों पर पवित्र मानकर मंडपों में लगाया जाता है। इसके फल–फूल बीज आदि का उपयोग आर्थिक क्रिया–कलापों में किया जाता है। महुआ का संग्रहण प्रायः मार्च–अप्रैल मास में एवं इसके फलों का संलग्न मई जून में किया जाता है। इस कार्य में विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की संलिप्तता अधिक पायी जाती है।

(ब) तेदुपत्ता :–

तेदुपत्ता के संकलन से भरिया/भारिया जाति के लोगों को नगद लाभ प्राप्त होता है। तेदुपत्ता संग्रहण का कार्य माह मई–जून से किया जाता है। इस कार्य में महिलाओं की सहभागिता पायी जाती है। भारियॉ महिलायें प्रातः 5:30–6 बजे से इस कार्य में लग जाते है। 12–1 बजे तक संग्रहण कर घर वापस आकर भोजन पकाती है। दोपहर भोजन कर तेदुपत्तों को बंडल बनाती है इस कार्य में उनके परिवार के लोग भी साथ देते है। तत्पश्चात ग्राम में ही या निकट के ग्राम में समिति/ठेकेदार को शासकीय दर पर विक्रय कर दिया जाता है।

भरिया/भारिया जाति के परिवारों के द्वारा अन्य वनोपजों जैसे इमली तेदु, आम, मधुरस, चार, आवला, हर्रा, बहेड़ा, कंदमूल आदि का संग्रहण समय–समय पर किया जाता है। संग्रहण स्वयं के उपयोग तथा कुछ अर्थो–पार्जन के लिए किया जाता है।

तालिका – 14

वनोपज से संलग्नता

(भरिया/भारिया)

क्र.	वनोपज	जिला–बिलासपुर संलग्न परिवार		जिला–कोरबा संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	तेंदुपत्ता	56	55.45	69	68.32
2	महुआ	90	89.11	71	70.29
3	साल	86	85.15	–	
4	हर्रा	75	74.26	–	
5	बहेड़ा	81	80.20	–	
6	लाख	19	18.81	–	
7	चार	23	22.77	16	15.84
8	गोंद	01	00.99	08	07.92
कुल सर्वेक्षित परिवार–101				कुल सर्वेक्षित परिवार–101	

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में सर्वाधिक 89.11 प्रतिशत परिवार महुआ वनोपज में संलग्न है। साल, बहेड़ा में संलग्न होने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 85.15 प्रतिशत एवं 80.20 प्रतिशत 55.45 है। 74.26 प्रतिशत परिवार हर्रा वनोपज में संलग्न है। इसी प्रकार जिला–कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में सर्वाधिक 70.29 प्रतिशत परिवार महुआ वनोपज का संग्रहण करते है। तत्पश्चात 68.32 प्रतिशत परिवार तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य में संलग्न है चार तथा गोंद वनोपज संग्रहण करने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 15.84 एवं 07.92 प्रतिशत है।

(स) मजदूरी :–

भरिया/भारिया जाति कृषि भूमि कम होने के कारण तथा भूमिहीन परिवार प्रायः अन्य जनजाति से कृषकों के खेतों में मजदूरी कार्य कर जनजाति जीविका चलाते है। लघु एवं सीमांत

किसान की कृषि भूमि असिंचित होने के कारण मानसूनी वर्षाकाल में ही अपने खेतों में कृषि कार्य करते है शेष समय में अन्य लोगो के यहां या अन्य कार्यो में मजदूरी हेतु जाते है। कभी कभी कुछ परिवार अपने कृषि कार्य सम्पन्न कर मानसूनी वर्षाकाल में अन्य कृषकों की कृषि भूमि पर मजदूरी कार्य करने जाते है। इस कार्य हेतु पुरूष/महिलाओं की निर्धारित दर पर मजदूरी या इसके बदले इतने ही मूल्य का अनाज दिया जाता है।

कमियां (नौकर) :–

इस प्रकार की मजदूरी में भारिया लोग पूरे वर्ष भर के लिए कीमत तय कर अपने मालिक के घर नौकरी करते हैं। वर्षभर प्रतिदिन सुबह 06 बजे से शाम 06 बजे तक कार्य करते है। मालिक उसे खाना एवं वर्ष में एक जोड़ी कपड़ा देता है।

माहवारी नौकरी :–

इस प्रकार की मजदूरी में भारिया लोग माह भर के लिए अपने मालिक के घर तय मजदूरी के अनुसार नौकरी करते है। समय सुबह 6 से शाम 6 तक का होता है। इसमें भोजन कपड़े आदि नहीं देते है।

उपरोक्त के अलावा स्थानीय पंचायतों द्वारा शासकीय मजदूरी कार्य भी समय–समय पर संचालित किये जाते है, जिससे इन्हे शासकीय दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

(द) पशुपालन :–

भरिया/भारिया जाति के लोग गाय, भैंस, बैल बकरी, मुर्गा, कबूतर आदि पालते है। पशुओं को रखने का स्थान **कोठा** कहलाता है। जहां पशुओं को गेरवा की रस्सी से लकड़ी के खूटे में बांधा जाता है। पानी पिलाने के लकड़ी का बना **ड़ोगा** होता है, जिसे **कोटना** कहते है। पशु, देशी पाले जाते है। पशुओं को खिलाने के लिए धान का पैरा रखा जाता है। उड़द, हीरवा एवं मूंगफली के कोमल डंठल को सुखाकर एवं उसे डंडे से पीटकर छोटे–छोटे टुकड़े कर एकत्रित कर रखा जाता है। बरसात में पशुओं को चराने के लिए चारागाह जंगल ले जाया जाता है। बकरियों को बेर, पीपल, गुलर आदि की पत्तियां खिलाई जाती है। गाय का पालन दूध, खाद एवं बछड़े हेतु, भैस का पालन पांड़ा, खेत जुताई एवं लकड़ी ढुलाई हेतु, बकरी का पालन बकरे प्राप्त करने, देवी देवताओं को बलि देने तथा अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है।

पशुपालन के अतिरिक्त भरिया/भारिया लोगो के द्वारा मुर्गी, कबूतर आदि का पालन किया जाता है। मुर्गी रखने के लिए घरों में छोटे खण्ड बना दिये जाते है, जिसे **कुकरीगोड़ारी** कहते है। जिससे जंगली बिलाव, सियार, सांप, आदि से सुरक्षित रखा जा सके। मुर्गा–मुर्गियां स्वयं दाना चुगते है। इन्हें अनाज की छोटे–छोटे कण कनकी दिये जाते है। देशी नस्ल के मुर्गे–मुर्गियां पाली जाती है। मुर्गे–मुर्गियों की संख्या बढ़ने पर इन्हें बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। देवी–देवताओं क़ी पूजा व जादू तंत्र मत्र करने में बलि देने के लिए भी मुर्गे–मुर्गियों का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारिया लोग कबूतर भी पालते है। इनके लिए घर के दालान परछी पर आंगनकी तरफ मियार से मटके बांध दिये जाते है। इन्हें भी धान चावल की कनकी चुगने हेतु दिये जाते है। कबूतर का पालन लकवा की बीमारियॉ होने पर या बीमार से ठीक होने पर कमजोरी दूर करने के लिए इनके मांस को पकाकर खाने के उपयोग में किया जाता है।

अ. गाय –

भरिया/भारिया जाति में गाय पालन का उद्देश्य कृषि कार्य हेतु बछड़ा पैदा करने गोबर खाद प्राप्त करने के लिए सामान्यतया किया जाता है। गाय पालन से दूध की भी प्राप्ति हो जाती है। दूध की अधिकता पर विक्रय कर दिया जाता है। इन्हें दूध से प्रतिलीटर 15 से 20 रू मिल जाता है। सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में 27.72 प्रतिशत परिवारों में गाय का पालन किया जाता है।

ब. बैल –

भरिया/भारिया जाति में बैलों का पालन कृषि कार्य हेतु किया जाता है सर्वेक्षित भारिया परिवारों में 55.45 प्रतिशत परिवारों के पास बैल जोड़िया उपलब्ध है।

स. भैसा –

भरिया/भारिया जाति पशुधन के रूप में भैंस या भैसा का पालन बहुत ही कम परिवारों द्वारा किया जाना पाया गया। इन परिवारों के द्वारा भैंसों के माध्यम से कृषि कार्य सम्पन्न किया जाता है।

द. छेरी (बकरी) –

भरिया/भारिया जाति बकरी पालन का उद्देश्य अर्थोपार्जन करना है। इसके अतिरिक्त देवी–देवताओं की पूजा में बलि देने/सामूहिक भोज आदि के लिए किया जाता है। 17.32 प्रतिशत भारिया परिवारों के पास बकरियों का पालन किया जाना पाया गया।

ई. कुकरी –

कुकरा (मुर्गी–मुर्गा) भारिया जाति 39.11 प्रतिशत परिवारों के पास मुर्गी–मुर्गे का पालन किया जाना पाया गया। जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ लेना, जादू–टोना, टोटका दूर करने आदि धार्मिक कर्मकाण्डों में वैद्य गुनियों को बलि देने, स्वयं के उपयोग, अतिथि सत्कार में किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में औसतन 3–4 मुर्गी–मुर्गियां पायी गयी, जिसका बाजार मूल्य के आधार पर प्रति परिवार 400–500 रूपये की सम्पत्ति पायी गयी।

तालिका – 15

पशुपालन से संलग्नता (जिला–बिलासपुर)

(भरिया परिवार)

क्र.	पशुओं के नाम	पशु संख्या	संलग्न परिवार		प्रति परिवार औसत पशु संख्या	कुल पशुधन सम्पत्ति (रूपयों में)	प्रति परिवार औसत पशुधन सम्पत्ति (रूपयों में)
			संख्या	प्रतिशत			
1	गाय	44	21	20.79	02.09	156000	7429
2	बैल	135	66	65.35	02.05	1354000	20515
3	भैंस–भैंसा	04	02	01.98	02.00	67000	33500
4	मुर्गी–मुर्गा	69	13	12.87	05.31	14000	1077
5	बकरा–बकरी	15	06	05.94	02.50	25000	4167
6	अन्य	–	–	–	–	–	–
	कुल सर्वेक्षित परिवार – 101						

जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में पशुपालन अन्तर्गत सर्वाधिक 65.35 प्रतिशत परिवार बैल पालते है जिससे कृषि कार्य में सहयोग लिया जाता है गाय पालने वाले परिवारों का प्रतिशत 20.79 है मुर्गा–मुर्गी पालने वाले परिवारों का प्रतिशत 12.87 है जबकि बकरा–बकरी पालने वाले परिवारों का प्रतिशत 05.94 है। भैंस–भैंसा पालने वाले परिवारों का प्रतिशत मात्र 01.98 है जो कि सबसे कम प्रतिशत है।

तालिका – 16

पशुपालन से संलग्नता (जिला–कोरबा) भरिया/भारिया परिवार

क्र.	पशुओं के नाम	पशु संख्या	संलग्न परिवार		प्रति परिवार औसत पशु संख्या	कुल पशुधन सम्पत्ति (रूपयों में)	प्रति परिवार औसत पशुधन सम्पत्ति (रूपयों में)
			संख्या	प्रतिशत			
1	गाय	61	35	34.65	01.74	82000	2343
2	बैल	90	46	45.54	01.96	615000	13370
3	भैंस–भैंसा	28	14	13.86	02.00	80500	5750
4	मुर्गी–मुर्गा	211	66	65.35	03.20	21000	318
5	बकरा–बकरी	104	29	28.72	03.59	62400	2152
6	सूअर	–	–	–	–	–	–
7	अन्य	–	–	–	–	–	–
	कुल सर्वेक्षित परिवार – 101						

जिला–कोरबा में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में पशुपालन अन्तर्गत सर्वाधिक 65.35 प्रतिशत परिवार मुर्गा–मुर्गी पालन करते है बैल तथा गाय पालने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 45.54 एवं 34.65 प्रतिशत है। बकरा–बकरी एवं भैंस–भैसा पालने वाले परिवार क्रमशः 26.72 प्रतिशत एवं 13.86 प्रतिशत है।

(इ) शिकार व मत्स्य आखेट –

शिकार –

भरिया/भारिया जाति के लोग गांव में रहने वाले गोड़, बिंझवार कंवर जाति के लोगो के साथ या स्वयं अपनी ही जाति के लोग समूह में शिकार हेतु जंगल जाते है। इसे **"खेदा करना"** कहते है। शिकार में खरगोश, कोटरी का शिकार करते है। तीव्र गति से क्षेत्र का औद्योगिकीयकरण से वनों की क्षरण से जंगली जीव–जंतुओं की संख्या कम हो जाने तथा शासकीय तौर पर प्रतिबंध लग जाने के कारण इनमें शिकार की प्रवृत्ति कम हो गयी है। भारिया हिरण, बारहसिंगा आदि का शिकार करते रहे है। वर्तमान में खरगोश, तितर, बटेर, पड़की आदि पक्षियों का शिकार करते है। बच्चे गुलेल से पक्षी मारते है और जंगल में ही आग से भूनकर खा जाते है।

भरिया/भारिया कृषि कार्यो से मुक्त होने पर माह अगहन–पुश में शिकार योजना बनाकर करते है। योजनानुसार सामूहिक शिकार हेतु तिथि तय की जाती है तथा निर्धारित तिथि को प्रातः काल से शाम रात तक शिकार ढूढ़ते है शिकार हेतु टंगिया गुलेल, धनुष–बाण, फंदा आदि औजार लेकर निकलते है। शिकार में जो भी मिलता है उसे वन में ही साफ–सफाई कर काटकर नियमानुसार वितरण किया जाता है। वितरण नियम में मांस का बराबर भाग किया जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा शिकार किया जाता है या जिसके निशाने से शिकार घायल होता है उसे अन्य की तुलना में डेढ़ गुना भाग दिया जाता है, शिकार स्वयं के उपयोग हेतु किया जाता है। शिकार हेतु महिलाएं वनों में नहीं जाती है।

मछली पकड़ना :–

भरिया/भारिया मस्याखेट कर मछलियां फसाते है। वर्षा ऋतुकाल में पहली बरसात होने पर मछलियां नदी से नालों के माध्यम खेतो की ओर चढ़ने लगती है। बड़ी मछलियों को भारिया डंडे आदि से मारकर पकड़ते है तथा छोटी मछलियों को जब पानी का बहाव खेतों से नालों की ओर कम होने लगता है तब खेतों की मुहानी पर जाल आदि लगा देते है, जिससे खेतों की छोटी मछलियां पानी कम होने पर नालों की ओर उतरने लगती है और जाल में फंस जाती है।

भादो–क्वांर मास में बरसात होने पर खेतों में पानी भर जाता है, तब खेतों की छोटी मछलियां उतरने लगती है। इस दरमियान भारिया–बिसरा, चोरिया, जाल आदि खेतो की मुहानी पर लगाकर मछलियां फसा लेते है। इसी समय अपने खेतों से मछलियां अधिक फंसाते है। कार्तिक–अगहन मास में फसल पक जाने पर खेतों से पानी को निकाल दिया जाता है। इस दरम्यान मुहानी पर बिसरा, चोरिया जाल आदि बिछाकर भी मछलियां फसा लेते है। बरसात में मछलियां अधिक फंसा लिये जाने की स्थिति में मछलियों को पैरा से भूनकर सूर्य की धूप से अच्छी तरह से सूखाकर मटके में भर कर रख दिया जाता है तथा मटके के मुंह को अच्छी तरह से साल के पत्तो से ढक दिया जाता है, ताकि हवा उसके अंदर न जा सके। इसे सुसकी कहते है। शीत, ग्रीष्म ऋतु में इसे खाने के उपयोग में लाते है।

ग्रीष्म ऋतु में भारिया समूह में नदी में मत्याखेट हेतु जाते है। नदी में जाल डालकर मछलियां फंसाते है, जिस व्यक्ति का जाल होता है उसे एक भाग अधिक दिया जाता है। इसे जाल बांटा कहा जाता है। महिलाएं एवं बच्चे भी खेत, नाले, गढ़ढ़ों आदि से मछलियां खींचकर पकड़ते है।

(ई) शासकीय या अर्द्धशासकीय नौकरी :–

सर्वेक्षित भरिया/भारिया जाति में बहुत ही कम लोग शासकीय या अर्द्धशासकीय नौकरी में कार्यरत पाये गये। सर्वेक्षण में मात्र 01 प्रतिशत परिवारों में ही नौकरी करने वाले सदस्य पाये गये।

(उ) जंगली मजदूरी :–

वन विभाग द्वारा संचालित कार्यो में जैसे–वृक्षारोपण, लकड़ी कटाई निर्माण कार्य आदि में भारिया जाति के लोग मजदूरी करने जाते है। वन विभाग उनके कार्य के एवज में प्रति सप्ताह/पाक्षिक/माह में मजदूरी भुगतान करते है। इसके अतिरिक्त भरिया/भारिया जाति के लोग अन्य जाति के लोगो के मकान बनाने, बढ़ई कार्य करने आदि के लिए मजदूरी पर जाते है।

(उ) ढेका मजदूरी :–

कोरबा जिले के भरिया/भारिया लोग औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण ठेकेदार के पास मजदूरी करते है। ठेकेदार ऐसे मजदूरों को सप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भुगतान करते है।

अन्य स्त्रोत :–

अन्य स्त्रोतों के रूप में भरिया/भारिया जाति के लोग कला कौशल के रूप में बढ़ई कार्य, झाड़ू बनाना, चटाई बनाना, दोना पत्तल आदि कार्य करते है। बैलगाड़ी कृषि से संबंधित औजार जैसे–हल, आरी, लघरा, कुडरी आदि बनाकर अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करते है पुरूष पटसन, नायलोन आदि से जोता, गेरवा, बरही रस्सी आदि भी बनाते है। बगई रस्सी आंटकर खाट बनाने का कार्य भी करते है।

3.5 समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय

तालिका – 17

समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय

क्र.	आय के स्त्रोत	(जिला–बिलासपुर)				(जिला–कोरबा)			
		आय प्राप्त करने वाले परिवार		कुल आय (रूपयों में)	प्रति परिवार औसत आय	आय प्राप्त करने वाले परिवार		कुल आय (रूपयों में)	प्रति परिवार औसत आय
		संख्या	प्रतिशत			संख्या	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कृषि	62	61.39	389990	6290	71	70.29	2108850	29702
2	मजदूरी	98	97.03	716500	7311	70	69.31	2035500	29079
3	वनोपज	87	86.14	184500	2121	65	64.36	194225	2988
4	पशुधन	52	51.49	289900	5575	26	25.74	77120	2966
5	शिकार/ मत्स्याखेट	72	71.29	136400	1894	25	24.75	49100	1964
6	नौकरी	01	00.99	310000	310000	07	06.93	1270000	181429
7	अन्य	34	33.66	53500	1574	04	03.96	57000	14250
				2080790	20602			5791795	57345
		कुल सर्वेक्षित परिवार – 101				कुल सर्वेक्षित परिवार 101			

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया जाति के परिवारों को समस्त स्त्रोतों से प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 20602.00 रूपये की प्राप्त हुई, जिसमें शासकीय सेवा की औसत वार्षिक आय (310000 रूपयें) को छोड़कर, सर्वाधिक 97.03 प्रतिशत परिवारों को मजदूरी से 7311 रूपयें की औसत वार्षिक आय प्राप्त हुई, तत्पश्चात 86.14 प्रतिशत परिवारों को वनोपज से औसतन प्रति परिवार 2121 रूपयें की वार्षिक आय 71.29 प्रतिशत परिवारों को शिकार मत्साखेट से 1894 रूपयें की औसत वर्षिक आय, 61.39 प्रतिशत परिवारों को कृषि से 6290 रूपयें की औसत वार्षिक आय प्राप्त हुई है इसी प्रकार जिला कोरबा से सर्वेक्षित भरिया/भारिया जाति के परिवारों को समस्त स्त्रोतों से प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 57345 रूपयें की प्राप्त हुई जिसमें शासकीय सेवा की औसत वार्षिक आय (181429.00 रूपयें) को छोड़कर, सर्वाधिक 70.29 प्रतिशत परिवारों की कृषि से 29702 रूपयें की वार्षिक आय प्राप्त हुई।

तत्पश्चात 69.31 प्रतिशत परिवारों को मजदूरी से 29079 रूपयें की औसत वार्षिक आय प्राप्त हुई 64.36 प्रतिशत परिवारों को वनोपज से औसतन प्रति परिवार वार्षिक आय 2988 रूपयें प्राप्त हुई।

जिला कोरबा में भरिया/भारिया जाति के शासकीय सेवा में संलग्न 06.93 प्रतिशत परिवारों से 181429.00 रूपयें की औसतन वार्षिक आय प्राप्त हुई।

3.6 कुल वार्षिक आय में समस्त मदों की सहभागिता :—

तालिका — 18

कुल आय में विभिन्न आय स्त्रोतों की सहभागिता

(भरिया/भारिया)

क्र.	आपके स्त्रोत	(जिला—बिलासपुर)		(जिला—कोरबा)	
		कुल आय (रूपयों में)	कुल आय से प्रतिशत	कुल आय (रूपयों में)	कुल आय से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	कृषि	389990	18.74	2108850	36.41
2	मजदूरी	716500	34.43	2035500	35.14
3	वनोपज	184500	08.87	194225	03.35
4	पशुधन	289900	13.93	77120	01.33
5	शिकार/मत्स्याखेट	136400	06.56	49100	00.85
6	नौकरी	310000	14.90	1270000	21.93
7	अन्य	53500	01.71	57000	00.98
	योग	**2080790**	**100.00**	**5791795**	**100.00**

तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया जाति परिवारों की कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक सहभागिता 34.43 प्रतिशत मजदूरी कार्य की है जबकि जिला कोरबा के सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों की कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक सहभागिता 36.41 प्रतिशत कृषि की है। शासकीय क्षेत्र में सहभागिता होने वाले परिवारों का प्रतिशत जिला बिलासपुर में 14.90 प्रतिशत तथा कोरबा जिले में 21.93 प्रतिशत है वनोपज संकलन एवं विक्रय में सहभागिता का प्रतिशत जिला—बिलासपुर के सर्वेक्षित परिवारों में 08.87 प्रतिशत तथा कोरबा जिले के सर्वेक्षित परिवारों में 03.35 प्रतिशत है।

3.7 कुल वार्षिक आय का वितरण :–

तालिका – 19

वार्षिक आय का वितरण

(भरिया / भारिया परिवार)

क्र.	वार्षिक आय (श्रेणी) (रूपयों में)	परिवार (जिला–बिलासपुर)		परिवार (जिला–कोरबा)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	10000 तक	05	04.95	–	–
2	10001–15000	36	35.64	–	–
3	15001–20000	38	37.62	01	00.99
4	20001–25000	12	11.88	05	04.95
5	25001–30000	04	03.96	08	07.92
6	30001–35000	04	03.96	13	12.87
7	35001–40000	–	–	13	12.87
8	40001–45000	–	–	12	11.88
9	45001–50000	01	00.99	11	10.89
10	50000 से अधिक	01	00.99	38	37.62
	कुल सर्वेक्षित परिवार	**101**	**100.00**	**101**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार जिला बिलासपुर के सर्वेक्षित भरिया परिवारों में सर्वाधिक 37.62 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 15001 से 20000 के बीच है। 35.64 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 10001 से 15000 के बीच तथा 11.88 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 20001 से 25000 के बीच रही। 50000 एवं 50000 से अधिक वार्षिक आय प्राप्त होने वाले परिवारों का प्रतिशत मात्र 00.99 है। ठीक इसके विपरीत जिला कोरबा के सर्वेक्षित भरिया / भारिया परिवारों में सर्वाधिक 37.62 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 50000 से अधिक है सबसे निम्न वार्षिक आय (15001–20000 तक) प्राप्त करने वाले परिवार की संख्या मात्र 01 है। इस प्रकार कुल सर्वेक्षित परिवारों को समस्त स्त्रोतो से औसतन प्रति परिवार वार्षिक आय जिला–बिलासपुर में 20602 रूपयें तथा जिला–कोरबा में 57345 रूपयें प्राप्त हुए है। जहां किसी परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय 3000 रूपयें व अधिकतम तथा 31000 रूपयें है।

3.8 व्यय –

भरिया / भारिया जाति द्वारा अपनी जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है, जिसमे भोजन, धार्मिक कर्मकाण्ड, सामाजिक कार्य जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु आवास, कपड़े, शिक्षा व अन्य मदों जैसे स्वास्थ्य, सप्ताहिक हाट–बाजार, मादक पेय पदार्थ, सागभाजी आदि में व्यय किया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों द्वारा व्यय मदों संबंधी जानकारी निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका – 20

वार्षिक व्यय (भरिया/भारिया परिवार)

क्र.	व्यय मद	परिवार (जिला–बिलासपुर)				परिवार (जिला–कोरबा)			
		परिवार		कुल व्यय रूपयों में	प्रति परिवार वार्षिक औसत व्यय रूपयों में	परिवार		कुल व्यय रूपयों में	प्रति परिवार वार्षिक औसत व्यय रूपयों में
		संख्या	प्रतिशत			संख्या	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भोजन	101	100.00	584500	5787	101	100.00	1306900	12940
2	मकान	66	65.35	85550	1296	98	97.03	343400	3198
3	कपड़े	100	99.01	155900	1559	101	100.00	476800	4721
4	शिक्षा	68	67.33	82300	1210	76	75.25	371800	4892
5	जन्म	87	86.14	105000	1207	45	44.55	39500	878
6	विवाह	92	91.09	199650	2170	45	44.55	90500	2011
7	मृत्यु	91	90.10	108500	1192	46	45.54	34500	750
8	धार्मिक कार्य	89	88.12	65340	734	83	82.18	148950	1795
9	आभूषण	29	28.71	31900	1100	78	77.23	209850	2690
10	चिकित्सा	70	69.31	93400	1334	101	100.00	453800	4493
11	मद्यपान	93	92.08	181325	1949	90	89.11	187250	2081
12	अन्य	31	30.69	70100	2261	39	38.61	122700	3146
				1763465	**17460**			**3755950**	**37188**
कुल सर्वेक्षित परिवार – 101						**कुल सर्वेक्षित परिवार 101**			

उपरोक्त तालिका अनुसार जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों का समस्त मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 17460 रूपयें पाया गया। जिसमें प्रति परिवार औसत रूप में भोजन संबंधी व्यय 5787 रूपये, जन्म, विवाह, मृत्यु में क्रमशः 86.14, 91.04 एवं 90.10 प्रतिशत परिवारों का औसत व्यय 1207 रूपयें, 2170 रूपयें एवं 1192 रूपयें है। धार्मिक कार्य में 88.12 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 734 रूपयें, कपड़े खरीदी हेतु 99.01 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत वार्षिक व्यय 1559 रूपयें, शिक्षा में 67.33 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 1210 रूपयें, मादक पदार्थ हेतु 92.08 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत वार्षिक व्यय 1949 रूपयें, चिकित्सा हेतु 69.31 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत वार्षिक व्यय 1334 रूपयें व अन्य सामग्रियों पर 30.69 प्रतिशत परिवारों द्वारा 2261 रूपयें वार्षिक व्यय किये गये है।

इसी प्रकार जिला–कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों का समस्त मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय रूपयें 37188 पाया गया, जिसमें प्रति परिवार औसत रूप में भोजन संबंधी व्यय 12940 रूपयें, जन्म विवाह मृत्यु में क्रमशः 44.55, 44.55 एवं 45.44 प्रतिशत परिवारों का औसत वार्षिक व्यय क्रमशः 878 रूपयें, 2011 रूपयें एवं 750 रूपयें है। धार्मिक कार्य में 82. 18 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत वार्षिक व्यय 1795 रूपयें, कपड़े खरीदी हेतु 100 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 4721 रूपयें, शिक्षा में 75.25 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत वार्षिक व्यय 4892 रूपयें, मादक पदार्थ हेतु 89.11 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत वार्षिक व्यय 2081 रूपयें, चिकित्सा हेतु 100 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत वार्षिक व्यय 4493 रूपयें व अन्य सामाग्रियों पर 38.61 प्रतिशत परिवारों द्वारा रूपयें 3146 औसत वार्षिक व्यय किये गये है।

3.9 कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता :—

तालिका — 21

वार्षिक व्यय में सहभागिता

क्र.	व्यय मद	जिला—बिलासपुर		जिला—कोरबा	
		कुल वार्षिक व्यय रूपयों में	कुल व्यय से प्रतिशत	कुल वार्षिक व्यय रूपयों में	कुल व्यय से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	भोजन	584500	33.14	1306900	34.80
2	मकान	85550	04.85	313400	08.34
3	कपड़े	155900	08.84	476800	12.69
4	शिक्षा	82300	04.67	371800	09.90
5	जन्म	105000	05.95	39500	01.05
6	विवाह	199650	11.32	90500	02.41
7	मृत्यु	108500	06.15	34500	00.92
8	धार्मिक कार्य	65340	03.71	148250	03.97
9	आभूषण	31900	01.81	209850	05.59
10	चिकित्सा	93400	05.30	453800	12.08
11	मद्यपान	181325	10.28	187250	04.99
12	अन्य	70100	03.98	122700	03.27
	योग	**1763465**	**100.00**	**3755950**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों द्वारा समस्त मदों में किये गये कुल वार्षिक व्यय में सर्वाधिक 33.14 प्रतिशत भाग भोजन पर, तत्पश्चात 10.28 प्रतिशत भाग मद्यपान पर, जन्म विवाह एवं मृत्यु पर क्रमशः 05.95 प्रतिशत, 11.32 प्रतिशत एवं 06.15 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। धार्मिक कार्य पर 03.71 प्रतिशत, चिकित्सा पर 05.30 प्रतिशत एवं कपड़े पर 08.84 प्रतिशत भाग व्यय किया गया है। समस्त मदों में किये गये कुल वार्षिक व्यय का 04.67 प्रतिशत भाग शिक्षा मद में व्यय किया गया है अन्य मदों में 03.98 प्रतिशत भाग व्यय किया गया है।

इसी प्रकार जिला—कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों द्वारा समस्त मदों में किये गये कुल वार्षिक व्यय में सर्वाधिक 34.80 प्रतिशत भाग भोजन पर तत्पश्चात 12.08 प्रतिशत भाग चिकित्सा पर व्यय किया गया है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु पर क्रमशः 01.05 प्रतिशत, 02.41 प्रतिशत एवं 00.92 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। धार्मिक कार्य पर 03.97 प्रतिशत, आभूषणों पर 05.59 प्रतिशत एवं मद्यपान पर 04.99 प्रतिशत भाग व्यय किया गया है। शिक्षा मद में 09.90 प्रतिशत एवं कपड़े पर 12.69 प्रतिशत व्यय किया गया है। अन्य मदों में 03.27 प्रतिशत भाग व्यय किया गया है।

3.10 व्यय का वितरण :–

तालिका – 21

वार्षिक व्यय का वितरण (भरिया/भारिया परिवार)

क्र.	वार्षिक व्यय (श्रेणी) (रूपयों में)	परिवार (जिला–बिलासपुर)		परिवार (जिला–कोरबा)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	10000 तक	15	15.84	—	—
2	10001—15000	32	61.39	03	02.97
3	15001—20000	34	33.66	08	07.92
4	20001—25000	10	09.01	13	12.87
5	25001—30000	06	05.94	18	17.82
6	30001—35000	01	00.99	11	10.89
7	35001—40000	01	00.99	17	16.83
8	40001—45000	01	00.99	08	07.92
9	45000—50000	—	—	07	06.93
10	50000 से अधिक	—	—	16	15.84
	योग	**101**	**100.00**	**101**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में अध्ययन किये गये भरिया परिवारों में से सर्वाधिक 61.39 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों में वार्षिक व्यय 10001—15000 रूपये तक पाया गया। 33.66 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 15001—20000 के बीच है। 15.84 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय वाले परिवारों का प्रतिशत 09.01 है। 25001—30000 तक वार्षिक व्यय वाले परिवारों का प्रतिशत 05.94 है।

सर्वेक्षित परिवारों का औसत वार्षिक व्यय समस्त मदों में 17460 रूपयें पाया गया जहां किसी परिवार का न्यूनतम वार्षिक व्यय 6000 रूपयें एवं अधिकतम 165000 रूपयें पाया गया।

इसी प्रकार जिला–कोरबा में अध्ययन किये गये भरिया/भारिया परिवारों में से सर्वाधिक 17.82 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों में वार्षिक व्यय 25000–3000 रूपयें तक पाया गया। 16.83 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 35001–40000 के बीच है। 12.87 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 20001–25000 के बीच है। कुल सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों का औसत वार्षिक व्यय समस्त मदों में 37188 है जहां किसी परिवार का न्यूनतम वार्षिक व्यय 10000 एवं अधिकतम 108000 है।

3.11 ऋण की स्थिति :–

भरिया/भारिया जाति में भी ऋण ग्रस्तता की समस्या पाई गई है, इनमें समस्त आय के स्त्रोतों से इतनी आय प्राप्त नहीं होती है कि वे अपने व परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वही दूसरी ओर आकस्मिक बड़े व्यय हेतु ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। भरिया/भारिया जाति के परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगद या वस्तु के रूप में ऋण लेते है।

तालिका – 23

ऋण की स्थिति

(भरिया/भारिया परिवार)

क्र.	ऋण की स्थिति	परिवार (जिला–बिलासपुर)		परिवार (जिला–कोरबा)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	हां	56	55.45	29	28.71
2	नहीं	45	44.55	72	71.29
	योग	**101**	**100.00**	**101**	**100.00**

उपरोक्त तालिकानुसार भरिया/भारिया परिवारों में ऋण ग्रस्तता की स्थिति जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में 55.45 प्रतिशत एवं जिला कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में 28.71 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रसित है। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न स्थानों से ऋण लिये हुए है।

तालिका – 24

ऋण का उद्देश्य

(भरिया/भारिया परिवार)

क्र.	ऋण का उद्देश्य	परिवार (जिला–बिलासपुर)		परिवार (जिला–कोरबा)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	आवास	01	01.79	—	—
2	विवाह	23	41.07	10	34.48
3	कपड़े	05	08.93	01	03.45
4	बर्तन	01	01.79	—	—
5	पशुपालन	05	08.23	03	10.34
6	कृषि	18	32.14	05	17.24
7	मत्स्यपालन	01	01.79	01	03.45
8	कुंआ निर्माण	02	03.57	—	—
9	चिकित्सा	—	—	09	31.03
	योग	**56**	**100.00**	**29**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर के सर्वेक्षित ऋण लेने वाले भरिया परिवारों में से सर्वाधिक 32.14 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्य जैसे खाद, बीज, बैल, ट्यूबवेल आदि हेतु ऋण लिया है। 41.07 प्रतिशत परिवार ने अपने परिवार में पुत्र–पुत्रियों के विवाह हेतु ऋण लिया है कपड़े एवं पशुपालन हेतु ऋण लेने वालों का प्रतिशत क्रमशः 08.93 एवं 08.93 है। शेष परिवारों ने अपने आवास, बर्तन, मत्त्यपालन, कुंआ निर्माण आदि हेतु ऋण लिया है। इसी प्रकार जिला कोरबा के सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवार में से सर्वाधिक 34.48 प्रतिशत परिवारों ने अपने पुत्र–पुत्रियों के विवाह हेतु ऋण लिया है। 31.03 प्रतिशत परिवारों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार हतु ऋण लिया है। कृषि हेतु ऋण लेने वाले परिवारों का संख्या 17.24 प्रतिशत है। 10.34 प्रतिशत परिवारों ने पशुपालन हेतु ऋण लिया है, अभी तक समस्त ऋणी परिवार द्वारा ऋण चुकता नहीं किया गया है।

तालिका – 25

ऋण के स्त्रोत

(भरिया/भारिया परिवार)

क्र.	ऋण के स्त्रोत	परिवार (जिला–बिलासपुर)		परिवार (जिला–कोरबा)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	साहूकार	25	44.23	14	49.16
2	शासकीय संस्था	31	55.77	15	50.84
	योग	**56**	**100.00**	**29**	**100.00**

उपरोक्त तालिकानुसार सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित ऋण ग्रस्त परिवारों में 44.23 प्रतिशत परिवारों ने साहूकार से तथा 55.77 प्रतिशत परिवारों ने शासकीय वित्तीय संस्थाओं जैसे–बैंक, सहकारी समितियों आदि से ऋण लिया है। इसी प्रकार जिला कोरबा में सर्वेक्षित ऋण ग्रस्त परिवारों में 49.16 प्रतिशत परिवारों ने साहूकार से निजी तौर पर ऋण लिया है जबकि 50.84 प्रतिश परिवारों ने शासकीय वित्तीय जैसे–बैंक, सहकारी समितियों आदि से ऋण लिया है।

3.13 श्रम विभाजन :–

भरिया/भारिया जाति में दैनिक कार्यो, आर्थिक कार्यो, सामाजिक–राजनैतिक कार्यो में सभी सदस्यों की भूमिकायें तय है। अतः इसमें भी काम का विभाजन कर दिया जाता है जो निम्नानुसार है :–

तालिका – 26

भरिया/भारिया जाति में श्रम विभाजन

क्र.	कार्य का प्रकार	पुरुष			स्त्री		
		युवा	वृद्ध	बच्चे	युवा	वृद्ध	बच्चे
1	घरेलु कार्य						
	झाड़ू लगाना				√	√	
	पानी भरना				√		√
	भोजन बनाना				√		√
	चारा देना	√	√				
	कोठा साफ करना				√	√	
	कपड़े धोना				√		√
	धान कुटाई				√	√	
	घर बनाना	√	√				
	छत बनाना	√	√				
	पशुचारण	√		√			
	बच्चों की देख–रेख		√	√	√	√	√
2	आर्थिक कार्य						
	वनोपज संकलन			√	√		√
	मजदूरी	√			√		
	कृषि नागर	√		√			
	बीज डालना	√					
	निदाई	√			√	√	
	मिंजाई	√	√		√		
	भंडारण	√			√		
	शिकार	√	√	√			
3	धार्मिक कार्य						
	पूजा पाठ की तैयारी				√	√	
	कर्मकाण्ड	√	√				
	बलिदेना	√	√				
4	राजनैतिक कार्य	√	√				

3.14 बाजार व्यवस्था :–

भरिया/भारिया के लिए हाट बाजारों का विशेष महत्व है, जिसमें दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं का क्रय–विक्रय, नगद या वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते है। साप्ताहिक हाट बाजार आपसी सगे–संबंधियों से परस्पर मेल–जोल व भेट करने का अवसर भी प्रदान करता है। जहां एक–दूसरो के सुख–दुख की जानकारी भी प्रदान करता है। बाजार के दिन महिलाएं, पुरूष, बच्चे तैयार होकर बाजार घूमने व आवश्यक सामग्रियां क्रय करने निकलते है। धान व अन्य वनोपज संग्रहण का विक्रय भी करते है।

बाजार से साग–सब्जियां जैस आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, धनियां, हल्दी, लहसुन, तेल, नमक, आदि क्रय किया जाता है। बच्चों हेतु खाने के लिए चना मुर्रा, भजिया, जलेबी, सेबदाल, आदि क्रय की जाती है। खिलौने कपड़े भी खरीदे जाते है। वृद्ध पुरूष एवं महिलाएं दैनिक सामाग्रियां, बीड़ी तम्बाकू एवं युवा महिलाएं अपने लिए सौन्दर्य प्रसाधनों का सामान खरीदती है।

नापतौल की मानक सामग्री :–

भरिया/भारिया जाति के लोग वनोत्पादों, कृषि उपजों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को क्रय करने या विक्रय करके अपनी स्वयं की एक नाप तौल मानक प्रणाली का उपयोग करते है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका – 27
नापतौल की मानक सामग्री

क्रमांक	स्थानीय मानक नाप तौल प्रणाली	मात्रा
1	चउथिया	500 ग्राम
2	कुरो	1000 ग्राम
3	तामी	2500 ग्राम
4	मोस	5 कूरो
5	टुकना	10 कूरो
6	कोपा	20 कूरो
7	बोरी	35 किलो
8	बोरा	75 किलो
9	तराजू	मापक
10	किलो	1 किलो–1000 ग्राम
11	गाड़ा	1 गाड़ा–16 बोरा
12	कोस	1 कोस–5 किलोमीट
13	जूरी	साग–सब्जी
14	ठोमा	आधापाव
15	ओंजरा	एकपांव

3.15 पलायन :–

भरिया/भारिया जाति में पलायन व अन्य दूर स्थानों पर जाकर कार्य करने की प्रवृत्ति बहुत ही कम पायी गयी। कुछ युवक ठेकेदारों के माध्यम से जहां–जहां उनकी कंपनी का कार्य संचालित होता है, वहां–वहां ठेका मजदूरी करने चले जाते है। बारिश के मौसम आने पर अपना पुस्तैनी कार्य कृषि मजदूरी करने वापस अपने गांव घर लौट आते है।

****

अध्याय–4

सामाजिक संरचना

4.1 जाति :–

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज विभिन्न जातियों व समुदायों में विभक्त है, जाति एक सामाजिक अंर्तविवाही समूह है, जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाती है एक जाति के सदस्य विवाह, भोजन, व्यवसाय तथा सामाजिक सहवास संबंधी अनेक नियमों का पालन करते है, आदिवासी समुदायों में भी गोंड़, कंवर, उरांव, भारिया, कोरवा, बैगा, कमार, बिंझवार आदि विभिन्न जातियॉ हैं।

भरिया/भारिया समुदाय अपने आप में एक पृथक आदिवासी जाति है जिसकी अपनी अलग जाति व्यवस्था हैं, जो अपने आप को ब्राम्हण, क्षतीय, वैश्य से सामाजिक जाति स्तरीकरण में निम्न (नीचे) मानते हैं, किंतु शुद्र वर्ण की जातियों से स्वयं को ऊपर मानते हैं। वहीं आस–पास रहने वाली कुछ अन्य जनजातीय समुदायों को समानता की दृष्टि से देखते है। उच्च जातियों (ब्राम्हण, क्षत्रिय एवं वैश्य) के प्रति आदरभाव रखते हुए स्वजातीय अपरिचित या परिचित सदस्यों के प्रति बंधुत्व भाव रखते है। भारिया समुदाय अपने ही जाति के लोगों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक समरसता एवं संगठन की भावना रखते हैं।

4.2 उपजाति :–

भरिया/भारिया जाति स्वतः एक मूल जाति है ये लोग पांडो, भूमियॉ आदि को यद्यपि अपनी उपजाति के रूप में व्यक्त करते हैं लेकिन इन लोगो का उल्लेखित दोनों जातियों से किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं है।

4.3 वंश समूह :–

जनजातीय सामाजिक जीवन और संगठन का महत्वपूर्ण आधार वंश–समूह होता है। डां. मुखर्जी के अनुसार वंश समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक पूर्वजों से संबंधित समस्त रक्त संबंधित वंशजों का समूह होता है।

भरिया/भारिया समाज पितृवशींय वंश समूह व्यवस्था वाला समाज है। इसके अंतर्गत पुरूष उसके भाई और उसके संताने ही आती है, जबकि उनकी बहन व बच्चे उस समूह से बाहर चले जाते हैं।

गोत्र एवं गोत्र चिन्ह :–

गोत्र एकाधिक वंशो का समूह होता है जो पिता पक्ष के समस्त रक्त संबंधितों से मिलकर बनता है। भारिया जाति विभिन्न गोत्रों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र के लोग अपनी उत्पत्ति एक कलपित पूर्वज से मानते है जिसे टोटम या गोत्र – चिन्ह कहा जाता है।

भरिया/भारिया लोगों के द्वारा भारिया जाति के कुल 51 गोत्र का होना बताया जाता है। लेकिन उन्हें पूरे 51 गोत्रों के नाम याद नही हैं। समाज प्रमुख श्री मनोहर लाल व श्री कलेश के अनुसार मंडला जबलपुर से कुल 10 गोत्रों के लोगों का एक साथ इस क्षेत्र में आना बताया गया। ये गोत्र – खमरिया, परेतिया, अंगारिया, नेवरिया, भरतिया, बाधनिया, रवतिया, निमतिया, अमोरिया और केशरिया आदि है। इन दस गोत्रो में से **रवतिया** और **भरतिया** गोत्र के लोगों का वंशवृक्ष समाप्त हो गया है शेष आठ गोत्र के लोगों का वंश वर्तमान में विद्यमान है। इसमें भी नेवरिया गोत्र के लोगों की संख्या क्षींण होती जा रही है।

तालिका – 28

क्र.	गोत्र का नाम	गोत्र चिन्ह
1	बाघनिया	बाघ (जन्तु)
2	नेवरिया	नेवला (जन्तु)
3	आमोरिया	आम (वृक्ष)
4	खमरिया	खमार (वृक्ष)
5	अंगारिया	आग
6	परेतिया	प्रेत योनी
7	केशरिया	सोना, बंदर
8	नीमजशिया	नीम (वृक्ष)

श्री मनमोहन लाल के द्वारा शेष 5 और गोत्रों की जानकारी दी गई जो क्रमशः – पंचालिया, दांडोलिया, गवलिया, भलावी, ठकरिया और महनिया आदि है । बिलासपुर जिले के भरिया जाति परिवारों में निम्न गोत्रों का होना बताया गया है जो निम्न है :–

क्र.	गोत्र का नाम	गोत्र चिन्ह
1	सोनवानी	बगेसर
2	पोट्टा	केशरबाना
3	परतोती	पंखाबाना
4	नैकहा	कुत्ता पंजा
5	बेल्दा	नाग बाना
6	ध्रुव	अग्रवाहक
7	पेन्द्राम	देवपेड

गोत्र एक ऐसा छोटा समूह है जिसमें बंधुत्व अपनत्व व मदद की भावना पाई जाती है। भारिया जाति में गोत्र की कई उपयोगिता दिखाई देती है। जैसे–समान गोत्र में बंधुत्व की भावना, गोत्र की देवी देवताओं की पूजा में उस गोत्र के सभी सदस्यों का भाग लेना अतः एकता की भावना में वृद्धि समान गोत्र के सदस्यों द्वारा खेती में मदद करना, गोत्र के सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण, गोद लेने में गोत्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता, विवाह मृत्यु आदि संस्कारों में शारीरिक व आर्थिक मदद करना आदि।

4.4 नातेदारी :– भरिया/भारिया जाति में नातेदारी को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

1. रक्त संबंधी
2. विवाह संबंधी

1. रक्त संबंधी :– इस प्रकार के नातेदारी के अन्तर्गत ऐसे संबंधी जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हों जैसे– माता–पिता एवं उनकी संतान या दो भाईयों या दो भाई बहन के बीच का संबंध रक्त संबंधों पर आधारित है।

2. विवाह संबंधी नातेदारी :– इस प्रकार के नातेदारी के अन्तर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा संबंधित पति पत्नि ही आते है बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आ जाते है जैसे पति–पत्नि पति के माता–पिता, भाई–बहन, पत्नि के माता–पिता, भाई बहन आदि जो विवाह के दोनो पक्षों पर आधारित है।

तालिका – 29
नातेदारी संबंध एवं संबोधन

क्र.	संबंध	नातेदारी शब्द	संबोधन
1	पिता	बाप	ददा
2	माता	दाई	दाई
3	बड़ा भाई	भैया	भैया
4	छोटा भाई	भाई	छोटे भाई / नाम से
5	बड़ी बहन	दीदी	दीदी
6	छोटी बहन	बहन	बहन / नाम से
7	पिता के बड़े भाई	बड़े बाप	बड़े ददा
8	पिता के छोटे भाई	काका	कका
9	पिता के बड़े भाई की पत्नी	बड़े दाई	बड़े दाई
10	पिता के छोटे भाई की पत्नी	काकी	काकी
11	पिता की बड़ी / छोटी बहन	फुआ	फुआ
12	पिता के बड़ी / छोटी बहन का पति	फूफा	फूफा
13	पिता के पिता	आजा	आजा
14	पिता के पिता की पत्नी	आजी	आजी
15	पिता के माता	आजी	आजी
16	मां का भाई	मामा	मामा
17	मां के भाई की पत्नी	मामी	मामी
18	बड़े भाई की पत्नि	भौजी	भौजी
19	छोटे भाई की पत्नि	बहु	बहु
20	बड़ी बहन का पति	भाटो जीजा	भाटो जीजा
21	छोटी बहन का पति	बहनोई	बहनोई
22	स्वयं का बड़ा पुत्र	बड़ा बेटा	नाम से
23	स्वयं का छोटा पुत्र	छोटा बेटा	नाम से
24	स्वयं की बड़ी पुत्री	बड़ी बेटी	नाम से
25	पुत्र की पत्नि	बहु	बहु
26	पुत्री का पति	दामाद	दामाद
27	पुत्र की पत्नि का पिता	समधी	समधी
28	पुत्री के पति का पिता	समधी	समधी
29	पुत्र की पथ्तन की माता	समधन	समधन
30	पुत्री के पति की माता	समधन	समधन
31	पत्नि के पिता	ससुर	ससुर
32	पत्नि की माता	सास	सास
33	पत्नि की बहन छोटी	साली	साली
34	पुत्र के पुत्र	नाती	नाम से
35	पुत्र के पुत्री	नातीन	नाम से

नातेदारी की रीतियां :— भरिया/भारिया जाति में नातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत दो संबंधियों के बीच के परस्पर संबंध व व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जिसकी कुछ प्रमुख नियम या रीतियों का उल्लेख निम्न है :—

1. परिहार संबंध :— इस प्रकार के संबंधों में दो रिश्तेदार एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते है। भरिया/भारिया जाति में अनुज की पत्नि अपने जेठ से व जेठ अपने अनुज वधु से दूरी बनाये रखते हैं। वे एक दूसरे को स्पर्श नही करते। पुरूष भी अपनी पत्नि की बड़ी बहन को स्पर्श नही करते।

2. परिहास संबंध :— भरिया/भारिया जाति में कुछ रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक किया जाता है। इस प्रकार के संबंध में एक दूसरे से अधिक नजदीक आने की कोशिश होती है जैसे—जीजा, साला, साली का जीजा की छोटी बहन या बड़ी बहन, देवर, भाभी, ननद, भौजाई, जीजा के भाई बहन माता या फूफा के लड़का लड़की के साथ, दादा/दादी, नाती/नातिन, नाना/नानी/नानी नाती, नातीन समधी—समधीन आदि।

3. माध्यमिक संबंध :— भरिया/भारिया जाति में अन्य जातियों की तरह माध्यमिक संबंध पाया जाता है। कुछ रिश्तेदारों को सीधे नाम न लेकर किसी के माध्यम से बुलातें है। जैसे पति अपनी पत्नि का नाम न लेकर अपने पुत्र का नाम लेकर का ददा कहकर अपने पति को पुकारते है।

4. अन्य संबोधन :— उपरोक्त प्रकार से अतिरिक्त पति के बड़े भाई की बड़ी बहन देवर ननद आदि को बच्चे के बड़े दादा, दीदी देवर बाबू ननद को बाई या अन्य नाम कहकर पत्नि बुलाती है। उम्र में बड़े रिश्तेदारों का भी नाम नही लिया जाता। इन्हें रिश्तेदारी के शब्दों से बुलाते है या उल्लेख करते है।

4.5 परिवार :— भरिया/भारिया जाति में परिवार पितृसतात्मक, पितृवंशीय होता है। अधिकांश परिवार केन्द्रीय या एकाकी पाया जाता है किन्तु संयुक्त परिवार भी काफी दिखाई देता है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य बडे बूढे का आदर करते हैं तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करते है। विवाह हो जाने या विवाह पश्चात एवं दो या अधिक संताने हो जाने पर सभी भाई अलग—अलग रहने लगते है और सम्पत्ति का भी बटवारा हो जाता है।

(i) परिवार के प्रकार :— भरिया/भारिया जाति में परिवार के प्रकार निम्न है :—

तालिका–30

परिवार प्रकार

क्र.	प्रकार	परिवार (जिला–बिलासपुर)		परिवार (जिला–कोरबा)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	एकल परिवार	81	80.20	93	92.08
2	संयुक्त परिवार	20	19.80	08	07.92
		101	**100.0**	**101**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में से सर्वाधिक 80.20 प्रतिशत परिवार एकल परिवार जबकि 19.80 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार पाये गये। इसी प्रकार जिला कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में से सर्वाधिक 92.08 प्रतिशत परिवार एकल परिवार एवं 07.92 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार पाये गये।

(ii) धर्म :– भरिया/भारिया जाति धर्म विशेष पर आस्था रखती है। मूलतः भारिया जाति स्वयं को हिन्दू धर्म का अनुयायी मानती है। अपने संकल्प के लिए सत्यानारायण कथा व अन्य धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न कराते है।

(iii) परिवार का आकार :– भरिया/भारिया जाति में परिवार का आकार निम्नानुसार है :–

तालिका–31

परिवार आकार

क्र.	सदस्य संख्या	परिवार (जिला–बिलासपुर)		परिवार (जिला–कोरबा)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	01	01	00.99	–	–
2	02	04	03.96	06	05.94
3	03	11	10.89	13	12.87
4	04	16	15.84	37	36.63
5	05	26	25.74	33	32.67
6	06	23	22.77	06	05.94
7	07	14	13.86	04	03.96
8	08	04	03.96	01	00.99
9	09	01	00.99	01	00.99
10	10	01	00.99	–	–
	योग	101	100.00	101	100.00

उपरोक्त तालिका अनुसार जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवार में सर्वाधिक 25.74 प्रतिशत परिवार में 05 सदस्य है, जबकि कोरबा जिले में सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 36.63 प्रतिशत परिवारों में 04 सदस्य है जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित परिवारों में 00.99 प्रतिशत एकल परिवार पाये गये है जिसमें विधवा/विधुर सदस्य है। जिला–कोरबा में सर्वेक्षित परिवारों में कोई भी परिवार सकल सदस्य वाला नहीं पाया गया। इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश परिवार में सदस्यों की संख्या 03 से 06 के बीच है। सर्वेक्षण में ऐसा भी परिवार पाया गया जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 है।

(iv) पारिवारिक संबंध :– भरिया/भारिया जाति में परिवार के सदस्यों का उनके संबंधों के आधार पर पारिवारिक संबंध निम्नानुसार है –

माता–पिता :– परिवार के माता–पिता अपने बच्चों का पालन पोषण, लालन–पालन और प्रेम करते हैं। उन्हें चलने–फिरने, उठने–बैठने, बोलने, खाना खाने, कृषि कार्य करने वनोपज संग्रहण करने, शिकार करने आदि जीवनोपयोगी औपचारिक शिक्षा प्रदान करते है। अपने संतान की खुशी के लए जीविकोपार्जन के समस्त कार्य करते है। बच्चों का विवाह, योग्य होने के पश्चात जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाने पर उनका विवाह कर दिया जाता है।

पति–पत्नि :– भरिया/भारिया जाति में पति पत्नि का संबंध आपस में मधुर होता है। पति परिवार के भरण पोषण हेतु अर्थोपार्जन करता है। खेतो, जंगलों व अन्य स्थानों पर जाकर काम व मजदूरी करता है। पत्नि घर की देखभाल, भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करती है तथा अर्थोपार्जन में पति का साथ देती है। पति को भोजन कराकर पत्नि बाद में भोजन करती है। पति को परिवार में सबसे निकट मानती है। उसी प्रकार पति भी पत्नि को सबसे निकट मानता है। उसके लिए वस्त्र, सिंगार सामग्री व सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सदैव प्रत्यनशील रहता है। कभी–कभी पति पत्नि के बीच झगड़ा भी होता है। पति, पत्नि को डांटता है कभी कभी मार भी देता है किन्तु बाद में उसे मनाता भी है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो पति पत्नि में बीच काफी प्रेम होता है।

पिता पुत्र :– पिता पुत्र का संबंध पहले वात्सल्यपूर्वक होता है प्रथम संतानोपत्ति पर पिता सर्वाधिक खुश होता है। उसके परवरिश की चिंताकर अधिक परिश्रम करता है तथा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। बड़े होने पर अपने पुत्र को कृषि, पशुपालन, शिकार वनोपज संग्रहण एवं मछली पकड़ने का गुण सिखाता है। पिता अपने जवान पुत्र को देखकर गर्व करता है पुत्र पिता का बहुत आदर करता है। उससे पूछकर कार्य करता है। जवान होने पर

पिता के इच्छानुसार स्थान पर विवाह करता है। वृद्धावस्था में पिता की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। हर पिता अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर देता है।

पिता पुत्री :– भरिया/भारिया जाति में पिता–पुत्री का संबंध अधिक आत्मीय होता है। बचपन में पिता पुत्री को पुत्र की भांति दुलार करता है। पिता पुत्री को डांटता कम है पुत्री के पालन पोषण को पुण्य कार्य मानता है। पुत्री का विवाह करना पुण्य कार्य मानता है पुत्री भी पिता को अधिक इज्जत व प्रेम करती है पिता के दुख, पीड़ा बीमारी से अत्यधिक परेशान हो जाती है। विवाहों परान्त पिता के आने की राह अपने ससुराल में देखती है। उसे अन्य मायके वालों की अपेक्षा पिता के आने पर अधिक विश्वास होता है।

माता–पुत्र :–माता–पुत्र संबंध वात्सल्य पूर्ण होता है बाल्यकाल से ही वह माता के अधिक निकट होता है पुत्र के छोटा होने पर माता उसे चलना, बोलना व खाना सिखाती है। थोड़ा बड़ा होने पर उसे साफ–सफाई, घर का छोटा–छोटा कार्य सिखाती है। पुत्र के बड़ा होने पर उसे देखकर गर्व महसूस करती है पुत्र भी बचपन व विवाह के पूर्व माता से अत्यधिक प्रेम करता है, पिता से डरता है किन्तु मन की बात या अपनी आवश्यकताएं माता को पहले बताता है। विवाहोंपरांत माता पुत्र का प्रेम स्नेहपूर्ण हो जाता है। मां, पुत्र एवं पुत्र–वधु को आवश्यक घरेलु, खेती व अन्य कार्यो में सलाह देती है। उनके बच्चों को सम्भालती है। पुत्र जीवनपर्यन्त माता का बहुत सम्मान करता है।

माता–पुत्री :–माता पुत्री का संबंध भी वात्सल्यपूर्ण मित्रवत होता है। वह अपनी पुत्री को घरेलू कार्य से लेकर यौवनावस्था तक के कार्यो की शिक्षा देने वाले एक गुरू की भूमिका का पिर्वहन करती है। पुत्री के बड़ी होने पर घर बुहारना, लीपाई, बर्तन साफ करना, पानी भरना, गाय–बैल बांधना, भोजन बनाना, आदि कार्य सिखाने लगती है। पुत्री घरेलु कार्य में मॉ की मदद करती है। काम न करने पर मॉ उसे डाटती है मारती भी है। उसके कपड़े श्रृंगार सफाई स्वच्छता विवाह आदि की चिंता माता को सबसे अधिक होती है। बड़ी होने पर माता के घरेलू संबंधी सभी कार्य, खेती, वनोपज संग्रहण करने में पुत्री मदद करती है। माता भी एक सहेली की तरह हो जाती है। जो भी बाते हो माता से सबसे पहले कहती है विवाहोपरांत माता का पुत्री पर प्रेम और स्नेहपूर्ण हो जाता है।

भाई–भाई :–भाई–भाई में संबंध बचपन से प्रेमपूर्ण होता है। बाल्याकाल में दोनों आपस में प्रेम भी करते हैं। झगड़ते भी है। आर्थिक कार्य भी परस्पर सहयोग से संपादित करते है। विवाहोपरांत संपत्ति वितरण में बड़े का हिस्सा अधिक होने पर भी उसे आपत्ति नही होती है।

छोटा भाई, बडे भाई को सम्मान देता है। विवाहोपरांत अलग–अलग रहने पर भी काफी स्नेह होता है। कभी–कभी कुछ लोग जमीन जायदाद बटवारे को लेकर झगड़ भी पड़ते है। जिसका निपटारा ग्राम स्तरीय जाति पंचायत द्वारा कर दिया जाता है।

बहन–बहन :–बहन–बहन के बीच आपस में प्रेम होता है। बचपन में दोनों लड़ते–झगड़ते है किन्तु बडे होने पर सहेली की तरह व्यवहार करती है। बड़ी बहन छोटी बहन को भोजन बनाना, झाडू लगाना, घर लीपना आदि सिखाती है। खेती का कार्य भी सिखाती है। विवाहोपरांत दोनों में प्रेम और भी मजबूत होता है। दोनों का संबंध अत्यंत स्नेह मय होता है।

भाई–बहन :–भाई बहन का संबंध आपस प्रेम पूर्ण होते है। बचपन में दोनों साथ–साथ खेलते हैं किन्तु बड़े होने पर अलग–अलग अपने मित्रों के संग खेलते है। बड़ी होने पर बहन भाई की समृद्धि की कामना करती है। भाई बहन को साड़ी आदि मायके आने पर देते है। भारिया जाति में इस संबंध में और दृढता हेतु भाई व बहन के संतानों में विवाह किया जाता है।

सास–बहु :–सास बहु का संबंध अत्यधिक नाजुक होता है। सास अपनी बहु से अपेक्षा रखती है कि वह स्वयं के समान परिवार के समस्त सदस्यों का पूरा ध्यान रखे, पारिवारिक कर्तव्यों एवं दैनिक क्रियाकलापों को समय पर निष्पादित करें, बहु भी अपनी सास का आदर करती है। इनके बीच संबंध मित्रता पूर्ण होते है। जो एक दूसरे के साथ कृषि, वनोपज मजदूरी व बाजार–हाट भी जाते है। सास–बहु को अपने परिवार के देवी देवताओं एवं रीति–रिवाज के बारे में सिखाती है। वृद्धावस्था में बहु के बच्चों को संभालती है। कभी–कभी सास बहु के बीच में अच्छा संबंध न होने पर गृह कलह उत्पन्न हो जाता है।

देवर–भाभी :–देवर भाभी का संबंध स्नेह पूर्ण होता है। भाभी अपने देवर की आवश्यकताओं का ख्याल स्नहे पूर्वक रखती है। देवर भी अपनी भाभी का आदर करता है। दोनों के बीच स्नेहिल मित्रवत् व्यवहार होता है।

4.6 मीत–मितान संबंधः–

(अ) सहनाव :– (सहनाम, समनाम) भारिया जाति में अपने ही नाम के दूसरे किसी जाति के व्यक्ति से जो स्नेह संबंध जोड़ता है उसे ''सहनाव'' कहा जाता है, या यों कहे कि समान नाम से रिश्ता बनाने वाला संबंध सहनाव सहनाम समनाम कहलाता है।

(ब) मितान (गिया) :– समान रूप वालें दो व्यक्तियों के बीच रिश्ता जोड़ने वाला संबंध मितान या गियां कहलाता है। इस तरह का संबंध एक समान रूप वाले दो पुरूषों व दो महिलाओं के मध्य में स्थापित होता है।

(स) सखी :– समान संतान वाले दो दम्पतियों के बीच से रिश्ता जोड़ने वाला संबंध सखी कहलाता है। इस रिश्ते में एक दम्पति जिसके दो संताने हो वह दूसरी जाति की समान संतान वाले व्यक्तियों से रिश्ता कायम करता है।

उपरोक्त तीन अन्र्तजातीय रिश्ते ग्राम के चौपाल में ग्राम वासियों की उपस्थिति में बैगा के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। इस कार्य में रिश्ते बनाने वाले दोनों पक्ष अपने साथ पृथक–पृथक पान–सुपाड़ी अगरबत्ती नारियल आदि लेकर उपस्थित होते है। बैगा द्वारा पान सुपाड़ी नारियल की अदला बदली कर ग्राम देवी देवताओं के समक्ष पूजा पाठ कर संपन्न कराया जाता है। नारियल तोड़ कर उपस्थित जनसमूह को प्रसाद वितरण की जाती है।

सहनाव, मितान, सखी संबंधी आपस में मित्रवत व्यवहार करते है तथा शादी, विवाह, मृत्यु आदि कार्यक्रम पर पूर्ण भागीदारी निभाते है। भारिया जाति में अन्य जाति जैसे कंवर, गोंड, राउत, बिंझवार, सुनार, कलार आदि जातियों के साथ उपरोक्त संबंध बनाया गया है।

4.7 अन्तर्जातीय संबंध :– भरिया/भारिया जाति के साथ ग्राम में गोंड, कंवर, बिंझवार, मरार, धनवार, लोहार, गांडा, पनिका, रावत आदि जातियां भी निवास करती है इनमें आपस में ग्राम स्तर पर औपचारिक संबंध पाया जाता है, जिसमें एक दूसरे को संबोधन के रूप में कका, ममा, भाई, फूफू, मामी, बाबा आदि संबोधनों से संबोधित किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में एक दूसरे जातियों को त्योंहारों, उत्सवों, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों में भी पाया जाता है। वहीं ग्रामीण समाज व्यवस्था के तहत एक दूसरे की आवश्यक सेवाएं भी की जाती है, जैसे गाय, बैल चराने रावत, बकरी चराने गाडा, कोटवारी कार्य करने पनिका, लोहे का समान बनवाने लोहार, एवं मिट्टी के बर्तन बनवाने हेतु कुम्हार की सेवाएं ली जाती है। नाई की सेवाएं बाल कटाने में, बैगा की सेवाएं ग्राम देवी देवताओं की पूजा पर, ब्राम्हण की सेवाएं सत्यनारायण कथा पूजा के लिए ली जाती है। इन कार्यो के बदले उन्हें परम्परानुसार कपड़े, अनाज व पैसे दिये जाते है। भारिया जाति के लोग भी समय समय पर कृषि कार्य, मजदूरी हेतु व अन्य ग्राम्य क्रिया कलापों

में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते है अर्थात भारिया जाति के लोग ग्राम के अन्य जातियों के साथ अनिवार्य एवं आवश्यक पारस्परिक संबंध बनाये हुए है।

इसके विपरीत अन्य जाति समाजों की भांति ग्रामीण जाति स्तरीकरण के अन्तर्गत भारिया जाति ग्राम में निवासरत अन्य जातियों को उच्च समकक्ष व निम्न जातियों के रूप में वर्गीकृत करती है जो निम्नानुसार सारणीकृत है –

तालिकां–32

क्र.	उच्च जातियां	निम्न जातियां	समकक्ष जातियां
1	ब्राम्हण	चमार	कँवर
2	क्षत्रीय	गांड़ा	भूमिया
3	सोनार	घसिया	पण्डो
4	कलार	पनिका	गोंड़

(अ) सामाजिक अन्तर्जातीय संबंध :– भरिया/भारिया जाति अपने घर शादी विवाह उत्सव मृत्यु कार्यक्रम आदि में अपने से उच्च जातियों को भी आमंत्रित करते है जिसमें ये जातियां यथासंभव अपनी सेवाएं देती हैं किन्तु इन्हे सामाजिक भोज में शामिल नही किया जाता है। उच्च जातियों को उनकी सेवाओं पर उनके लिए अलग से भंडारा की व्यवस्था कर दी जाती है इनके लिये "रावत" भोजन की व्यवस्था करता है। रावत उन्हें भोजन कराता है। भरिया/भारिया जाति के लोग यह व्यवस्था उनके सम्मान की दृष्टि से करते है।

सामाजिक मान्यताओं रीति रिवाज के तहत उच्च जातियों को भारिया जाति अपनी सामाजिक संस्कारों हेतु निर्मित भोज में शामिल नही करते किन्तु जब ग्राम में उच्च जातियों के यहां कोई आयोजन होता है तो भारिया पुरूष उनके घर का भोजन ग्रहण करते है किन्तु भारिया महिलायें उच्च जातियों के घर भोजन ग्रहण नही करती। भारिया महिलाएं अपने हाथो से निर्मित भोजन ही ग्रहण करती है।

उसी प्रकार भरिया/भारिया लोग ग्राम की निम्न जातियों को अपने यहां आमंत्रित करते हैं। निम्न जाति के लोग भारिया लोगों के हाथ का दिया भोजन पानी ग्रहण करते है। किन्तु भारिया लोग निम्न जातियों के यहां का भोजन पानी ग्रहण नही करते है। .निम्न जाति के लोगों से भारिया शुष्क अनाज जैसे–चावल, दाल, मिर्च, सब्जी, प्याज आदि ग्रहण करते.है।

भरिया/भारिया जाति का सामाजिक अर्न्तजातीय संबंध ग्राम स्तर पर होते है जिसमें सामाजिक क्रिया कलापों में एक दूसरे जाति के लोग अपनी एक निश्चित भूमिका के दायरे में क्रियाकलापों को संपादित करते है।

आधुनिक परिवेश एवं शिक्षा आदि के प्रभाव के कारण उच्च जाति, व अन्य जातियों के साथ परस्पर सामाजिक क्रिया कलापों में पुरूष वर्ग का खान पान प्रारंभ हो गया है।

(ब) आर्थिक अन्तर्जातीय संबंध :– भरिया/भारिया जाति में किसी भी समाज या जातियों की आर्थिक पररिथिति का प्रभाव कम दिखाई देता है। अर्थोपार्जन के कार्य जैसे कृषि मजदूरी, वनोपज संकलन का अन्य जाति की दुकानों से दैनिक उपभोग की वस्तुएं क्रय करने, वस्तु विनिमय आदि का कार्य परस्पर किये जाते है। भारिया जाति के घर यदि कोई अर्थोपार्जन का कार्य हो तो उच्च जाति के लोग कार्य करने आते है, इन्हे मजदूरी के रूप में रूपये या कच्चा अनाज दिया जाता है।

(स) धार्मिक अन्तर्जातीय संबंध :– ग्राम स्तर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों जो ग्रामों की खुशहाली, समृद्धि, प्राकृतिक विपदाओं में बचाव हेतु ग्राम देवी देवताओं से संबंधित धार्मिक आयोजनों में सभी जातियों के साथ भारिया जातियों का योगदान रहता है, किन्तु भारिया जाति में अपनी कुल देवी–देवताओं से संबंधित पारिवारिक या स्वजातीय स्तर पर आयोजित धार्मिक कर्मकाण्डों में अन्य जातियों को शामिल नहीं किया जाता है।

4.8 महिलाओं की स्थिति :– भरिया/भारिया समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है –

वंश निर्धारण – भरिया/भारिया समाज में जन्म लिये संतान का वंश निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है अर्थात भारिया समाज भी पितृ वंशीय समाज व्यवस्था वाला समुदाय है।

सत्ता निर्धारण – भरिया/भारिया समाज में परिवार की सत्ता व नियंत्रण पुरूष मुखिया के पास होता है। जिसमें परिवार से संबंधित अहम निर्णय पुरूष मुखिया द्वारा ही लिये जाते है, हालांकि परिवार कि एक महत्वपूर्ण धूरी होने के कारण महिला सदस्य की सहमति अवश्य ली जाती है। अतः भारिया समाज एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का ही भाग है।

अर्थव्यवस्था – भरिया/भारिया अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रहण पर आधारित जिसमें की महिलाओं की भागीदारी देखते ही बनती है। महिलाएं मजदूरी कार्य विशेषकर कृषि मजदूरी वनोपज के मौसम में सुबह से वनोपज संकलन कर उसका विक्रय करना कृषि कार्यो में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना आदि के अलावा घर की समस्त दैनिक कार्य व बच्चों का पालन पोषण संपादित करती है। आर्थिक कार्यो से स्वअर्ज़ित धन को स्वयं इच्छा से भी वह व्यय करने में उसे स्वतंत्रता प्राप्त नही है। उसे वस्तु खरीदने से पूर्व व पश्चात परिवार के मुखिया को इसकी सूचना देनी होती है। स्वयं के श्रम से प्राप्त मजदूरी आदि को भी वह अपनी परिवार के मुखिया को दे देती है।

शिक्षा – भरिया/भारिया समुदाय कन्या शिक्षा की तुलना में बालक शिक्षा को अधिक महत्व देते है। घर के काम काज, छोटे भाई बहनों की देखभाल, विवाह योग्य हो जाने पर उसका ब्याह आदि करने के कारण ये अधिक शिक्षा के पक्षधर नहीं है। वहीं ग्राम में उपलब्ध प्राथमिक स्तर की शाला में शिक्षा हेतु भेजा जाता है अन्य ग्राम में जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाली भरिया/भारिया बालिकाओं की संख्या नगण्य है।

कन्या शिशु के प्रति व्यवहार – भरिया/भारिया सामुदाय अपने वंश के समाप्त होने के डर से कम से कम एक पुत्र की कामना अवश्य रखता है उनका मानना है कि वृद्धावस्था में पुत्र ही अपनी माता पिता को पानी देता है तथा पुत्रों के हाथो उसकी मुक्ति होती है। यदि पुत्री जन्म लेती है तो उसे घर जमाई मजबूरी से रखना पड़ता है परिवार में पुत्र पैदा ना होने पर वे पुत्र की लालसा में दूसरा विवाह भी करते है।

धार्मिक कर्मकाण्ड– धार्मिक अनुष्ठान व पारिवारिक स्तर पर पूर्वजदेव, कुलदेव आदि की पूजा में महिलाओं की भागीदारी बराबर पाई जाती है। देवी–देवताओं की पूजा, सत्य–नारायण की कथा आदि में पति पत्नि साथ बैठकर करती है।

राजनैतिक क्रियाकलाप – भरिया/भारिया जाति में जाति पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है उन्हे इस कार्य में प्राथमिकता नही दी जाती है प्रारंभ में जाति पंचायत की बैठक के समय वह उस स्थान पर नही जा सकती थी किन्तु वर्तमान में वह पंचायत की गतिविधियां देखने सुनने दूर स्थान पर बैठती है। वर्तमान स्परूप में आधुनिकता के परिणाम स्वरूप संगठन की दृष्टि से भारिया महिलाओं की सामाजिक मंडल में जिम्मेदारी तय की जा रही है।

विवाह – विवाह हेतु लड़की की पसंद को तरजीह दी जाती है साथ ही कन्या अपनी पसंद के लड़के के साथ पारिवारिक रजामंदी से विवाह कर सकती है। यदि पति के साथ या पति के परिवार में समन्वय स्थापित नही कर पाती है, तो वे पति का घर भी छोड़ सकती है।

भोजन वितरण – भरिया/भारिया महिलाएं परिवार के छोटे बच्चों, पति व अन्य वृद्ध सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करती है।

व्यवहार – भरिया/भारिया जाति में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों के अपेक्षा नीचे मानी जाती है, कारण की सम्पत्ति, घर व अधिकांश घरेलू सामाग्री पुरूषों की होती है। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह पति की आज्ञा का पालन करे उसके इच्छानुसार कार्य करे। पति का नाम साधारणतः नही लेती है। पति के किसी धार्मिक भ्रमण से या गांव से आने पर महिलाएं पति का पैर छूकर प्रणाम करती है पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती है। पति पत्नि को पीट सकता है, लेकिन पत्नि पति को पीट दे तो उसे सामाजिक अपराध माना जाता है। जाति या ग्राम वालों को अर्थदंड या भोज देना पड़ता है। यह दंड या भोज उसका पति ही देता है।

****

अध्याय–5

शैक्षणिक स्थिति

कोई भी समुदाय चाहे वह जनजातीय समाज हो या गैर जनजाति समाज उसके सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक विकास हेतु उनका शिक्षित होना अनिवार्य होता है, विशेष रूप से इस समाज में महिलाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक होता है, जो परिवार के अन्दर केन्द्र बिन्दु में रहकर अपनी भूमि का निर्वहन करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में जनजातीय समुदायों का शैक्षणिक स्तर विशेषकर महिलाओं का शैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत पुरूषों की तुलना में कम है।

सर्वेक्षित भरिया/भारिया जाति में भी सर्वेक्षण के दौरान अध्ययन किये गये परिवारों में उनकी शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया जिसके आधार पर इनमें शैक्षणिक स्थिति निम्नाकिंत है :–

तालिका – 33

साक्षरता की स्थिति

(भरिया/भारिया)

क्र.	श्रेणी	व्यक्ति (जिला–बिलासपुर)						व्यक्ति (जिला–कोरबा)					
		पुरूष		स्त्री		योग		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	साक्षर	166	67.48	97	38.04	263	52.50	158	70.22	117	58.29	275	64.86
2	निरक्षर	80	32.52	158	61.26	238	47.50	67	29.78	82	41.21	149	35.14
	योग	246	100	255	100	501	100	225	100	199	100	424	100

तालिका अनुसार जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया जाति के परिवारों की कुल जनसंख्या में से 05 वर्ष के उम्र समूह की जनसंख्या को छोड़कर 52.50 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये जिसमें से सर्वाधिक 67.48 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या साक्षर है, इनकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता 38.04 प्रतिशत है जो कम पायी गई। इसी प्रकार जिला–कोरबा के सर्वेक्षित भरिया/भारिया जाति के परिवारों की कुल जनसंख्या में से 05 वर्ष के उम्र समूह की ज़नसंख्या को छोड़कर 64.86 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर, पाये गये। जिसमें से सर्वाधिक 70.22 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या साक्षर है इनकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता 58.79 प्रतिशत है जो कम है।

जिला–बिलासपुर के सर्वेक्षित परिवारों में 47.50 प्रतिशत निरक्षर व्यक्तियों में महिला निरक्षरता 61.96 प्रतिशत, पुरूष निरक्षरता 32.52 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है इसी प्रकार जिला कोरबा के सर्वेक्षित परिवारों की स्थिति भी है।

5.2 शिक्षा का स्तर :–

तालिका – 34

शैक्षणिक स्तर

(भरिया/भारिया)

क्र	शिक्षा का स्तर	साक्षर व्यक्ति (जिला–बिलासपुर)						साक्षर व्यक्ति (जिला–कोरबा)					
		पुरूष		स्त्री		योग		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बालवाड़ी	–	–	01	00.38	01	00.19	05	02.14	08	37.91	13	02.93
2	प्राथमिक	68	26.46	46	17.56	114	21.97	31	13.30	35	16.59	66	14.86
3	पूर्व.माध्य.	55	21.40	29	11.07	84	16.18	55	23.61	46	21.80	101	27.75
4	हाईस्कूल	24	09.33	13	04.96	37	07.13	21	09.01	15	07.11	36	08.11
5	हा.सेके.	10	03.89	06	02.29	16	03.08	24	10.30	14	06.64	38	08.56
6	स्नातक	07	02.72	03	01.15	10	01.93	22	09.44	05	02.37	27	06.08
7	स्नातको.	02	00.78	–	–	02	00.39	04	01.72	–	–	04	00.20
8	अन्य शैक्ष.	–	–	–	–	–	–	01	00.43	01	00.47	02	00.45
9	तकनीकी	–	–	–	–	–	–	–	–	01	00.47	01	00.23
	योग	166	64.59	98	37.40	264	50.87	163	69.95	125	59.24	288	64.86

तालिका अनुसार जिला बिलासपुर के सर्वेक्षित भरिया परिवारों की कुल जनसंख्या (0–5 उम्र समूह सहित) में से 50.87 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर से शिक्षा अर्जित की, जिसमें भी पुरूषों का शैक्षणिक स्तर (64.59 प्रतिशत) महिलाओं के शैक्षणिक स्तर (32.40 प्रतिशत) की तुलना में अधिक दिखाई देता है। सर्वाधिक 21.97 प्रतिशत व्यक्तियों के प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा, 16.18 प्रतिशत व्यक्तियों ने पूर्व मा.स्तर तक 07.13 प्रतिशत व्यक्तियों ने हाईस्कूल स्तर तक एवं 03.08 प्रतिशत व्यक्तियों ने हायर सेकेण्डरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत क्रमशः 01.93 एवं 00.39 प्रतिशत है।

इसी प्रकार जिला–कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों की कुल जनसंख्या में से 64.86 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर से शिक्षा अर्जित की जिसमें की पुरूषों का शैक्षणिक स्तर (69.95 प्रतिशत) महिलाओं के शैक्षणिक स्तर (59.24 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। सर्वाधिक 27.75 प्रतिशत व्यक्तियों ने पूर्व माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा 14.86 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा, हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी तक की शिक्षा का प्रतिशत क्रमशः 8.11 एवं 08.56 प्रतिशत रहा है। इसी तरह महाविद्यालय स्तर की स्थिति में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत क्रमशः 06.08 एवं 00.90 प्रतिशत है।

उपरोक्तानुसार महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा में पुरूषों की संख्या महिलाओं की संख्या से तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाई देती है।

5.3 शैक्षणिक स्थिति :–

तालिका – 35

शैक्षणिक स्थिति (0–5 वर्ष छोड़कर)
(भरिया / भारिया)

क्र	शिक्षा का स्तर	व्यक्ति (जिला–बिलासपुर)						व्यक्ति (जिला–कोरबा)					
		पुरूष		स्त्री		योग		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अध्ययन जारी	71	28.86	49	19.22	120	23.95	82	36.44	67	33.67	149	35.14
2	अध्ययन समाप्त	95	38.62	48	18.82	143	28.54	76	33.78	50	25.13	126	29.72
3	निरक्षर	80	35.52	158	61.96	238	47.50	67	29.78	82	41.21	149	35.14
	योग	246	100	255	100	501	100	225	100	199	100	424	100

तालिका से प्रतीत होता है कि 0–5 वर्ष के उम्र समूह की जनसंख्या को छोड़कर कुल जनसंख्या में से 28.54 प्रतिशत (बिलासपुर जिला) एवं 29.72 प्रतिशत कोरबा जिले के सर्वेक्षित परिवारों में व्यक्तियों ने किसी भी स्तर में शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन समाप्त कर दिया है। वही 23.95 प्रतिशत (जिला बिलासपुर) एवं 35.14 प्रतिशत (जिला कोरबा) व्यक्तियों का ही अध्ययन वर्तमान में जारी है। दोनों जिलों के सर्वेक्षित परिवारों में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है।

जिला–बिलासपुर तथा कोरबा में सर्वेक्षित परिवारों में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 47.50 प्रतिशत एवं 35.14 प्रतिशत है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरूषों की संख्या की तुलना में बहुत अधिक है।

5.4 शाला गामी उम्र (6–14 वर्ष) की साक्षरता :–

तालिका – 36

शाला गामी उम्र में साक्षरता (6–14 वर्ष उम्र समूह)

(भरिया/भारिया)

क्र	साक्षरता	व्यक्ति (जिला–बिलासपुर)						व्यक्ति (जिला–कोरबा)					
		पुरूष		स्त्री		योग		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	साक्षर	33	71.74	24	68.57	57	70.37	25	83.33	29	90.63	54	82.10
2	निरक्षर	13	28.26	11	31.43	24	29.63	05	16.67	03	09.37	08	12.90
	योग	**46**	**100**	**35**	**100**	**81**	**100**	**30**	**100**	**32**	**100**	**62**	**100**

उपरोक्त तालिका अनुसार शालागामी उम्र (6.–14 वर्ष) में कुल साक्षरता बिलासपुर जिले के सर्वेक्षित परिवारों में 70.37 प्रतिशत एवं कोरबा जिले के सर्वेक्षित परिवारों में 87.10 प्रतिशत है पुरूष साक्षरता बिलासपुर जिले के सर्वेक्षित परिवारों में 71.74 प्रतिशत तथा कोरबा जिले के सर्वेक्षित परिवारों में 83.33 प्रतिशत है जो कि अधिक है महिला साक्षरता का स्तर बिलासपुर जिले के सर्वेक्षित परिवारों में 68.57 प्रतिशत तथा कोरबा जिले में सर्वेक्षित परिवारों में 90.63 प्रतिशत है।

इसी तरह 06–14 उम्र समूह में निरक्षर पाये जाने व्यक्तियों की संख्या जिला बिलासपुर के सर्वेक्षित भरिया परिवारों में 29.63 प्रतिशत तथा कोरबा जिले के भरिया/भारिया परिवारों में 12.90 प्रतिशत रहा है।

****

अध्याय–6

जीवन चक्र

भरिया/भारिया जाति का जीवन चक्र मुख्यतः तीन संस्कारों में यथा, जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कारों में विभक्त होता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

6.1 जन्म संस्कार :–भरिया/भारिया में शिशु जन्म एवं जन्म संस्कारों को समझने के लिए निम्न बिन्दुओं का चरणबद्ध उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

1. ऋतु काल – प्रथम ऋतुकाल कन्या की यौवनावस्था की पुष्टि करता है यौन होने पर महिला की योनि से रक्त के समान स्त्राव होने लगता है यह लगभग 3–4 दिनों तक चलता है इसे ''ऋतुकाल'' कहते है। भारिया इसे ''महिनारी'' कहते है। यह अवस्था गर्भधारण न होने पर निश्चित अंतराल में हर माह आती है। भारिया महिलायें इसे प्राकृतिक घटना मानती है। रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। इस काल में कुंआ से पानी भरना, खाना बनाना, देवी–देवताओं को छूना, देवालय जाना, धान कुटना, अनाज पीसना आदि निषिद्ध माना जाता है। ऋतुकाल में महिलाएं घर के अन्य कार्य जैसे झाडू लगाना, बर्तन साफ करना, कृषि कार्य, जंगली उपज संग्रहण, लकड़ी लाना आदि कार्य कर सकती है। इस दौरान पति के साथ सहवास वर्जित होता है। इससे देवी देवता कुपित हो जाते है एवं पति पत्नि दोनों को रोग आदि हो जाता है। पांचवे दिन स्त्रियां मिटटी/राख/साबुन शैम्पु से अपना बाल धोकर स्नान करती है तब शुद्ध माना जाता है।

2. गर्भकाल – विवाह पश्चात् महिनारी का 1–2 माह तक न आना, बंद हो जाना, खटाई खाद्य वस्तुएं खाने की इच्छा होना व उल्लटियां होना गर्भस्थ होने का लक्षण माना जाता है।

यदि किसी महिला को विवाह के तीन–चार वर्ष पश्चात भी संतान न हो तो वह जादू, टोना या पूर्वज देव का नाराज होना मानकर पारम्परिक लोक चिकित्सक वैद/गुनिया के माध्यम से धार्मिक कर्म काण्ड कर देवी–देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। वह सोमवार के दिन उपवास रखती है।

गर्भवती महिला गर्भकाल में अपनी घरेलू/कृषि कार्य नियमित रूप से प्रसव होने तक संपादित करती रहती है गर्भावस्था में दैनिक भोजन में कोई परिवर्तन विशेष रूप से नहीं होता, किन्तु गर्मपदार्थ जैसे लहसुन आदि खाने को मना किया जाता है।

गर्भवती महिला को कुछ निषेधों का पालन करना पड़ता है। जैसे–सूर्य चन्द्र ग्रहण पर बाहर निकलना, नाव पर बैठना, नदी पार करना, पेड़ पर चढ़ना, जुताई–हरई पार करना, मायके जाना आदि।.

चंद्र–सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलने पर ग्रहण की छाया पड़ने पर पैदा होने वाला शिशु अपंग हो जाता है, उसी प्रकार नदी पार करने, नाव पर बैठने, जुताई पार करने, पेड़ पर चढ़ने व मायके जाने पर गर्भपात हो जाता है। ऐसा भारिया जाति का मानना है।

आकस्मिक प्राकृतिक रूप से गर्भपात होने को भूतप्रेत डायन, चुडैल आदि का प्रकोप, देवी देवताओं, पूर्वजों का कुपित होना, पूर्वजन्मों का पाप जादू टोने आदि लगने का कारण माना जाता है।

3. प्रसव – संतानोत्पत्ति को भारिया भगवान की देन मानते है। प्रसव कार्य पति के घर पर संपादित किया जाता है। प्रसव पीड़ा होते ही गर्भवती स्त्री को पृथक से कमरे पर रखा जाता है, तत्पश्चात् प्रसव कराने वाली महिला 'सुनमाई' को बुलाया जाता है। सुनमाई 2–3 समाज की वृद्ध एवं ग्राम की अन्य वृद्ध महिलाओं के सहयोग से प्रसव कार्य सम्पन्न कराती है। प्रसव जमीन पर सम्पन्न कराया जाता है।

प्रसव कार्य में कठिनाई होने पर परिवार के मुखिया को अपने देवी–देवताओं पूर्वजों का स्मरण कर मनौती आदि करने कहा जाता है। यदि इससे भी प्रसव नही होता तो वैद/गुनियों का आश्रय लिया जाता है जो तंत्रमंत्र आदि के द्वारा प्रसव कराने प्रयास करता है। यदि वैध/गुनिया के प्रयास के बाद भी प्रसव न हो तो वर्तमान में नर्स व डाक्टर को बुलाया जाता है। प्रसव पश्चात् सुनमाई ब्लेड से बच्चे के नाड़ (नेरूवा) काटती है, तत्पश्चात् बच्चे के जन्म स्थान पर लगभग एक–डेढ़ फूट गहरा गडढ़ा खोदकर नाल को गाड़ देती है। सुनमाई बच्चे व मां को हल्के गर्भ पानी से कपडे भिगोकर पोछती है फिर बाहर निकालकर शिशु (कन्या–बालक) होने की जानकारी दी जाती है प्रसव के बाद पारम्परिक जड़ी बुटियां यथा गुड, सोठ, अंजवाईन, पीपर आदि से निर्मित शक्तिवर्धक पेय एक बार प्रसूता को पीने को दिया जाता है। इनका मानना है कि इसके सेवन से मां एवं बंच्चे को कोई संक्रमण नहीं होता है, प्रसुता को शक्तिवर्धक पेय देने के बाद शिशु को दुग्धपान करायां जाता है। सुनवाई प्रसव दिवस से 06 दिन तक

प्रसूता के अंगो, कपड़ों की साफ सफाई का कार्य छठी क्रिया तक सम्पन्न करती है। प्रसव के 5 वें दिन तक प्रसूता को अपवित्र माना जाता है।

4. छठी – प्रसव के छठवें दिन शुद्धिकरण की क्रिया सम्पन्न कराई जाती है। जच्चा एवं बच्चा दोनों को नहलाया जाता है। धोबी प्रसूता के घर के समस्त कपड़ों को साफ करता है। नाई सामाजिक बंधुओं के दाढ़ी–मूंछ बनाता है इस दिन संपूर्ण घर आंगन आदि की साफ सफाई, लिपाई पुताई की जाती है। इसमें स्वजातीय बंधुओं को आमंत्रित किया जाता है। अन्य जाति के इष्ट मित्रों को भी आमंत्रित किया जाता है। उस दिन शिशु को नया वस्त्र, रेशमी धागा तथा प्लास्टिक की चुड़ी पहनाया जाता है तथा भोज का आयोजन किया जाता है। नाई धोबी एवं सुनमाई को उनके कार्य के बदले में अनाज पैसे व क्षमतानुसार कपड़े दिये जाते है। छठी क्रिया में महिलाओं को विशेष योगदान होता है इस दिन भारिया जाति के लोगों के द्वारा अपने देवी–देवताओं कुल देवों पूर्वजों के नाम पर दीप प्रज्जलित कर नारियल अगरबत्ती जलाकर पूजा की जाती है।

5. नामकरण – शिशु का नामकरण वर्तमान में छठी के दिन ही सम्पन्न होता है पहले नामकरण 6 माह बाद किया जाता था। शिशु का नामकरण शिशु की बुआ द्वारा रखा जाता है। बुआ नामकरण में पुरखों, दिन, महिनों, तीज, त्यौहारो व भगवान के नाम को प्राथमिकता देती रही है। जैसे बच्चू, लगनू, अनंदी, रमौतिन बाई, बिहानीबाई, कोसमंदिया बाई आदि रखे जाते रहें है। सोमवार को सम्मार साय, मंगलवार को मंगलूराम, माह कार्तिक को कार्लिकराम, सावन को सावनसाय, अक्ती को अक्तीराम, दीपावली को दीवालीराम, भगवान गणेशजी के नाम गणेशराम, शंकरजी के नाम से शंकरलाल, भगवान कृष्णाजी के नाम से बंशीलाल, मोहनलाल रखे जाते रहे है। वर्तमान में आधुनिक प्रचलित नाम रखे जा रहे है जैसे–आशुतोष, अविनाश, प्रवीण कुमार, दिनेश कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, महेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार आदि। शिशु की बुआ न होने पर नामकरण शिशु के मां–बाप या ब्राम्हण के द्वारा किया जाता है। कुछ पढ़े–लिखे लोग ब्राम्हण से जन्म कुण्डली बनवाने लगे है, शिशु के नामकरण हेतु बुआ को नेग दिया जाता है नेग में साड़ी, नारियल व कुछ पैसे होते है। ब्राम्हण के द्वारा नामकरण पर उसे अनाज पैसे आदि दान दिये जाते है।

6. मुण्डन – शिशु का मुण्डन संस्कार छठी के दिन ही सम्पन्न किया जाता है। नाई मुण्डन कार्य सम्पन्न करता है।

7. बरही – प्रसव के 12 वें दिन बरही का आयोजन किया जाता है। भारिया जाति में इस दिन किसी विशेष प्रकार का आयोजन सम्पन्न नहीं किया जाता है। सुनमाई शिशु को नहला धुलाकर साफ करती है। इस दिन परिवार के नजदीकी लोग ही होते है। इन्हें भोजन क़राया जाता है। भोजन में दाल–भात, बड़ा हरी सब्जी का उपयोग किया जाता है।

8. एकइसा – जन्म के 21वें दिन एकइसी मनाया जाता है। इस संस्कार में भी कोई प्रकार का आयोजन नहीं किया जाता है। परिवार के नजदीकी लोगो को आमंत्रित किया जाता है। इस दिन पितृदेव, गृहदेव, कुलदेवी–देवताओं की पूजा कर आमंत्रित परिवार के सदस्यों को भोज कराया जाता है। भोजन में चावल, दाल, बड़ा, हरी सब्जी आदि सम्मिलत होता है इस दिन से प्रसूता को पूर्णतः शुद्ध माना जाता है।

9. अन्न प्रासन्न – 6वें माह के उम्र तक शिशु मात्र मां के स्तनपान पर निर्भर रहता है। 6वें माह बाद बच्चे का मुंह पहली बार जूठा कराया जाता है। अन्न प्रासन्न का कार्य भारिया में बच्चें की बुआ सम्पन्न कराती है। बच्चे की बुआ मीठे पकवान 'खीर' आदि बनाकर बच्चे को खिलाती है। बच्चे को खिलाने के बाद शेष परिवार के सभी सदस्य को प्रसाद के रूप में बांटती है। इस संस्कार में परिवार के नजदीकी खास लोगो को आमंत्रित किया जाता है तथा उन्हें भोजन कराया जाता है।

6.2 बाल्यावस्था :– बच्चा धीरे–धीरे बड़ा होने लगता है 6–7 माह होने पर उसे मसला हुआ चावल, दाल, चाय बिस्कुट खिलाना प्रारंभ करते है। बच्चे जब 6–7 माह का हो जाता है तो उसकी मां खेत, जंगलो आदि में काम पर आने लगती है। बच्चे को घर में दादा–दादी या बड़े भाई–बहन आदि सम्भालते है।

एक–डेढ़ वर्ष का हो जाने पर बैठने लगता है तथा स्वयं अपने हाथों से चावल के दाने उठाकर खाने का प्रयास करता है। पौने दो, दो वर्ष की आयु में वह चलने लगता है। 4–5 वर्ष

की आयु में वह अपने छोटे भाई–बहनों के साथ घुमता फिरता है। 5–6 वर्ष की आयु होने पर बच्चे अपने छोटे भाई–बहनों को सम्हालने लगते है।

लडकियॉं 6–7 वर्ष की आयु में घर में झाडू लगाना, लीपना, 8–9 वर्ष में पानी भरना सीख जाती है। 9–10 वर्ष की आयु में पशु चराना व 11–12 वर्ष की आयु में कृषि कार्य अपने पिता की देखरेख में सीखना प्रारंभ करते है।

6.3 युवावस्था :– 13–14 वर्ष की अवस्था में बालक हल चलाना सीख जाता है। 15–16 वर्ष की आयु में कृषि मजदूरी शिकार हेतु दक्ष हो जाता है। बालिकाएं भी अपने कार्य क्षेत्र कृषि मजदूरी गृहकार्य जैसे परिवार के लिए भोजनं बनाना, धान कूटना छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने आदि में निपूर्ण हो जाती है।

6.4 विवाह :– भरिया/भारिया जाति में जीवन चक्र का दूसरा चरण विवाह संस्कार होता है, जहां से नवविवाहित युगल स्वयं पारिवारिक क्रियाकलापों से प्रारंभ करते हैं।

भारिया जाति में गोत्र वहिर्विवाह पाया जाता है अर्थात गोत्र के बाहर अन्य गोत्र से विवाह संबंध बनाया जाता है। समगोत्रीय विवाह भारिया जाति में नहीं पाया जाता है। एक ही गोत्र के समस्त सदस्य आपस में एक ही पूर्वजों की संतान अर्थात भाई–बहन माने जाते हैं।

तालिका – 37
वैवाहिक स्थिति
(भरिया/भारिया)

क्र	श्रेणी	जिला बिलासपुर सदस्य संख्या (भरिया)						जिला कोरबा सदस्य संख्या (भरिया/भारिया)					
		पुरूष		महिला		योग		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अविवाहित	97	37.74	76	29.00	173	33.33	109	46.78	86	40.76	195	43.92
2	विवाहित	147	57.20	147	56.11	294	56.65	118	50.84	118	55.92	236	53.15
3	विधवा/ विधुर/ परिवक्यता	13	05.06	39	14.89	52	10.02	06	02.08	07	03.32	13	02.93
	योग	257	100	262	100	519	100	233	100	211	100	444	100

तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित कुल जनसंख्या में से 33.33 प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित, 56.65 प्रतिशत विवाहित एवं 10.02 प्रतिशत व्यक्ति विधवा/विधुर या परिव्यक्तता की श्रेणी में पाये गये। इसी प्रकार जिला कोरबा के सर्वेक्षित परिवारों में कुल जनसंख्या में से 43.92 प्रतिशत अविवाहित, 53.15 प्रतिशत विवाहित एवं 02.93 प्रतिशत विधवा/विधुर/परिव्यक्तता की श्रेणी में पाये गये।

1. विवाह आयु – भरिया/भारिया जनजाति में बालक–बालिकाओं के विवाह अपने निश्चित दैनिक कार्यो में निपुण हो जाने पर युवावस्था में किये जाते है। इनमें बालकों का विवाह 16 से 21 वर्ष व बालिकाओं का विवाह 15 से 18 वर्ष के मध्य प्रायः करा दिया जाता है।

सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में विवाहित सदस्यों की विवाह उम्र निम्नानुसार है :–

तालिका – 38

विवाह उम्र
(भरिया/भारिया)

क्र	विवाह उम्र	विवाहित सदस्य (जिला–बिलासपुर)						विवाहित सदस्य (जिला–कोरबा)					
		पुरूष		महिला		योग		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	15 या 15 से कम	93	58.13	126	67.74	219	63.29	01	00.81	05	04.00	06	02.41
2	16–18	36	22.50	32	17.20	68	19.65	06	04.84	38	30.40	44	17.67
3	19–21	27	16.87	26	13.98	53	15.32	41	33.06	48	38.40	89	35.74
4	21 से अधिक	04	02.50	02	01.08	06	01.73	76	61.29	34	27.20	110	44.18
	योग	**160**	**100**	**186**	**100**	**346**	**100**	**124**	**100**	**125**	**100**	**249**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला–बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया जाति के परिवारों में सर्वाधिक 63.29 प्रतिशत बालक–बालिकाओं का विवाह 15 या 15 से कम उम्र में सम्पन्न करा दिये जाते है। तालिका से स्पष्ट है कि 80.83 प्रतिशत पुरूषों का विवाह 18 वर्ष या इससे भी कम उम्र में करा दिया जाता है इसी प्रकार 84.94 प्रतिशत स्त्रियों का विवाह भी 18 वर्ष या इससे भी कम उम्र में करा दिया जाता है। जिला–कोरबा में सर्वेक्षित भरिया/भारिया जाति के परिवारों में स्थिति इसके विपरीत है यहां सर्वाधिक 44.18 प्रतिशत बालक–बालिकाओं का विवाह 21 या इससे अधिक उम्र में कराया जाता है जबकि 05.65 प्रतिशत पुरूषों का विवाह 18 या 18

से कम उम्र में कराया जाता है। 21 से अधिक उम्र में विवाह करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत जिला बिलासपुर एवं कोरबा में सर्वेक्षित परिवारों में क्रमशः 0.73 एवं 44.18 प्रतिशत है।

2. वैवाहिक दूरी – किसी भी जनजातीय समूह का संकेद्रण क्षेत्र विशेष में एक निश्चित भाग या खण्ड में होता है। धीरे–धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका फैलाव होता जाता है। भरिया/भारिया जाति की अधिकतर जनसंख्या भी एक विशेष क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है। अतः विवाह हेतु वर–वधु की तलाश भी प्रायः आस–पास ही करते है, जिससे आवागमन मेल–जोल आदि सुलभ हो सके।

सर्वेक्षित भरिया/भारिया परिवारों में विवाह दूरी निम्नलिखित है :–

तालिका – 39

वैवाहिक दूरी

(भरिया/भारिया)

क्र	विवाहित दूरी (कि.मी.में)	भरिया जाति (जिला–बिलासपुर)						भारिया जाति (जिला–कोरबा)					
		पुरूष	प्रति.	महिला	प्रति.	योग	प्रति.	पुरूष	प्रति.	महिला	प्रति.	योग	प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	10	05.62	10	05.95	20	05.78	05	04.03	04	03.20	09	03.61
2	01–10	69	38.76	67	39.88	136	39.31	07	05.64	07	05.60	14	05.62
3	11–20	70	39.33	65	38.69	135	39.02	71	57.26	72	57.60	143	57.43
4	21–30	15	08.43	13	07.74	28	08.09	33	26.61	34	27.20	67	26.91
5	31 से अधिक	14	07.86	13	07.74	27	07.80	08	06.45	08	06.40	16	06.43
	योग	**178**	**100**	**168**	**100**	**346**	**100**	**124**	**100**	**125**	**100**	**249**	**100**

तालिका से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर में सर्वेक्षित भरिया परिवारों में सर्वाधिक 39.31 प्रतिशत व्यक्ति 01–10 कि.मी. की दूरी में एवं 11–20 कि.मी. की दूरी पर विवाह करते हैं। जबकि कोरबा जिले में सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 57.43 प्रतिशत व्यक्ति 11–20 कि.मी. की दूरी में विवाह करते है। ग्राम में ही विवाह करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत जिला–बिलासपुर में 05.78 प्रतिशत तथा कोरबा जिले में सर्वेक्षित परिवारों में 03.61 प्रतिशत है।

मंगनी :–

भरिया/भारिया जाति में कृषि कार्य से निवृत्त हो माघ–पूस में विवाह योग्य लड़कों के लिये उनके पिता लड़की ढूढना प्रारंभ करते है। रिश्तेदारी आदि में अपनी पहचान वालों से चर्चा करते है। विवाह योग्य लड़की की जानकारी मिलने पर वह गांव से अपने एक या दो रिश्तेदारों, मित्रों को साथ लेकर लड़की के गांव उसके घर जाते है, यहां उसके माता पिता से लड़की के बारे में पूछते है। अपने लड़के के विषय में खेती आदि के विषय में बताते है। यदि लड़की का पिता इसी वर्ष शादी के लिए तैयार हो जाता है तब लड़का का पिता उसे अपने घर लड़का को देखने हेतु बुलाता है। लड़की का पिता निश्चित दिन गांव के या रिश्तेदारों मे से 1–2 लोगों को लेकर लड़का देखने उसके घर जाते है फिर वहां उनका स्वागत सत्कार होता है। लड़का व घर देखकर अपनी लड़की के विवाह की मंजूरी लड़के के पिता को दे देता है। इस प्रकार कन्या पक्ष के राजी होने पर वधू मूल्य पश्चात सगाई की तैयारी की जाती है।

सगाई (हारना) :–

इस संस्कार को ''हारना'' भी कहते है। इस रश्म में निश्चित तिथि को वर का पिता व अपने रिश्तेदार व गांव के मित्र व महिलाओं के साथ दुल्हन हेतु लुगड़ा, श्रंगार व सामान, चूड़ी, कंघी, फीता, गहने, नारियल, मिठाई, फल व पूजन सामग्रियां आदि लेकर कन्या के घर पहुंचते है। लड़की के पिता व रिश्तेदार के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। कोटवार के द्वारा सगाई रश्म होने की सूचना ग्रामवासियों को देता है। ग्रामवासी कन्या के घर आंगन में एकत्रित होते है। फिर आंगन के बीचो–बीच चावल, आटे से चौक बनाकर वहां कलश में दीप प्रज्वलित किया जाता है। फिर वर पक्ष से लाये गये श्रृंगार, कपड़े, गहनें एवं पूजन सामग्रियों को कलश के समक्ष रखा जाता है। ब्राम्हण के द्वारा पूजा अर्चना कर ससुराल से लाये गये श्रृंगार सामग्रियों को कन्या के हाथों में देते हैं जिसे पहनकर कन्या आंगन में एकत्रित सभी आगंतुको का पैर छूकर प्रणाम करती है। रस्म में उपस्थित पुरूष व महिलाएं कन्या को कुछ राशि भेट में देते है। इस रस्म में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। यह संपूर्ण कार्य गोधुलि बेला में सायंकाल किया की जाता है। रात्रि में कन्या के पिता, सगे संबंधियों को भोज कराते हैं। इसी दिन फलदान की तिथि निर्धारित की जाती है।

फलदान :–

यह रस्म वर पक्ष के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें कन्या के पिता अपने सगा संबंधियों इष्ट मित्रों के साथ वर के पिता के घर पहुंचते है। फलदान के दिन जातीय बंधु वर के आंगन में एकत्रित होते है। वर आगंतुक अतिथियों का पैर छूकर प्रणाम करता है। यह रस्म शाम के समय सम्पन्न किया जाता है। वर के पिता के द्वारा रात्रि में भोज दिया जाता है। फलदान का अर्थ कन्या पक्ष द्वारा वर का घर देखना व जातीय बंधुओं को दिखाना होता है इस दिन वधुमुल्य तय होता है। वधुमूल्य में 5 साड़ियां, 1 खण्डी चावल, 20 किलो दाल, गहने में क्षमतानुसार गले का हार, करधन या पायल इनमें से एक देना निर्धारित किया गया है। वधुमूल्य अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार वर पक्ष द्वारा अदा किया जाता है।

विवांह रस्म :–

(अ) मण्डप :– मण्डप के पूर्व ग्रामवासियों की बैठक बुलाई जाती है। वर व कन्या के पिता मण्डप निर्माण करने के लिए निवेदन करते है। ग्रामवासी उनका निवेदन स्वीकार कर सुबह मण्डप सामग्रियॉ लेकर मण्डप निर्माण हेतु उनके घर पहुंचते है। मण्डप सामग्रियां को बैगा द्वारा पूजन कर मण्डप निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। मंडप में एक लकडी को बीच में तथा चार लकडियों को आजू–बाजू में गड़ाया जाता है जिसे **मंहरोहन** कहते है, उसके उपर बांस बांधकर जामुन, आम, गुलर, साल आदि की हरी पत्ति युक्त डालियां टहनियां डालकर मण्डप बनाया जाता है। मण्डपाछादन पश्चात् रंगगुलाल का दौर चलता है। मण्डप निर्माण करने वाले जातीय, अन्य ग्राम्य बंधुओं को चाय नाश्ता दिया जाता है। शाम के समय ग्राम के अन्य समाज के लोगो के घर चावल, दाल आदि वितरण किया जाता है तथा रात्रि में जाति बंधुओं को हरे मंडप के नीचे भोज दिया जाता है। कन्या पक्ष में मंडप का निर्माण वर पक्ष के एक दिन बाद होता है।

मंगरोहन – मण्डपाच्छादन पश्चात् सुवासिनें जो वर व कन्या की बड़ी बहन, मामी, काकी होती है, मगरोहन के चारो आर मिट्टी से चबूतरा बनाती है इसे गेहूँ, रंगीन चावल हल्दी आदि से सजाती है, फिर एक मटका कलश के रूप से रख कर उस पर दिया जलाती है। दूसरे मटके को लालरंग से रंगकर उसे हल्दी आदि से सजाती है। इसे 'कलशाकरवा' कहा जाता है।

तेल – महरोहन को सजाने के पश्चात सुवासिने द्वारा मंडप व मगरोहन की पूजा की जाती है, फिर वर कन्या को हल्दी तेल व आटा का मिश्रण लेप करती है जो पैर की उंगली से प्रारंभ होकर सिर तक ले जाती है, इसे तेल हल्दी चढ़ाना कहते है।

(ब) देवपूजन :– मण्डप के दुसरे दिन देवपूजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं बाजे गाजे के साथ देव स्थल पहुंचती है। देव स्थल में ठाकुर देव की, बैगा द्वारा पूजन किया जाता है। बैगा, महिलाओं को देव स्थल की मिट्टी देता है, उस मिट्टी को मंगरोहन के पास स्थापित किया जाता है जिसे मागर माटी कहते है। पर्रा, हल्दी, चुकिया, बगई रस्सी, कलश, कररस, करवा, सिंघोरा, सुपाड़ी कटार, पिढ़ा माय मौरी, इत्यादि आवश्यक सामग्रियां मगरोहन के पास रखी जाती है। इन दिन वर पक्ष की ओर से सुआसा, सगा भाई एवं ब्राम्हण कन्या के घर जाते है। जिसे **चुलिह बारात** कहते है। बाराती अपने साथ लुगरा, कंघी, तेल, हल्दी साथ लेकर जाते है। ब्राम्हण द्वारा कन्या को वर पक्ष के द्वारा प्रेषित हल्दी तेल भेंट करते है। ब्राम्हण कन्या को हल्दी का तिलक लगाकर हरिद्रा लेपन की शुरूआत करते है, तत् पश्चात सुआसिने भी कन्या को हल्दी, तेल का लेपन करती है। यह कन्या के यहां प्रथम तेल होता है। कन्या पक्ष द्वारा ब्राम्हण को यथा संभव दान दिया जाता है। दूसरे दिन चुलिह बारात वापस आ जाती है।

(स) पितृ पूजा :– मण्डप के तीसरे दिन पीतरों की पूजा की जाती है। इस पूजा में समाज के लोग मण्डप के नीचे एकत्रित होते है। मंगरोहन के चारों ओर कपड़े या चादर से घेरा बनाकर हाथ में पीला चावल लेकर अपने–अपने पूर्वजों का नाम लेकर याद करते है और मंगरोहन में चावल सींचकर निमंत्रण देते हैं। पीतरों हेतु बने पकवान का भोग लगाया जाता है तत्पश्चात् सभी लोग मण्डप के नीचे भोजन करते है।

(द) हरदियाही :– चौथे दिन बाजे गाजे के साथ महिलाएं गांव का भ्रमण कर ग्राम वासियों को हल्दी खेलने का निमंत्रण देती है। निमंत्रण पाकर ग्रामवासी महिलाएं थाली में दाल, चावल देकर मण्डप में एकत्रित होते है। महिलाओं द्वारा दुल्हें, दुल्हन को नचाया जाता है एवं रंग, गुलाल का दौर चलते रहता है, मण्डप गीत गाये जाते है। महिलाएं साथ में लाये दाल, चावल को मण्डप के नीचे रखे टोकने के नीचे छोड़ देते है। इस दिन सुआसा **श्रंगार टाटी** लगाकर मण्डप द्वार को सजाता है। भारिया में श्रृंगार टाटी कलात्मक होता है। सुआसा–सुआसिनों द्वारा शबरी खांचा का निर्माण करता है। नाई दुल्हें की नाखुन की सफाई करता है। दुल्हा को शबरी खांचा में बैठा कर नहलाया जाता है। नहलाने के बाद 5 बार धागे से दुल्हा को चारों ओर से घेरा जांता है। जिसे **कनकन पूरना** कहते है फिर इंसी धागे को सुआसा–सुआसिन, दुल्हा तथा उसके

माता–पिता के हाथों में कलाई पर बांध दी जाती है। दुल्हें को नया कपड़ा पहनाया जाता है। उसे पर्रा पर बैठा कर कपड़े से ढक कर मंगरोहन के चारों ओर घुमाया जाता है उसके बाद दुल्हें को घर के अंदर ले जाते है। नाई उसके पांव में माहुर लगाता है। दुल्हा को लहंगा, पागा और मौर पहनाकर हल्दी के पांच गाठ, कटार पकड़ाया जाता है। बारात प्रस्थान की तैयारी की जाती है। बारात प्रस्थान की तैयारी की जाती है। बारात प्रस्थान के पूर्व दुल्हें का पांव धोया जाता है। बारात पैदल या बैलगाड़ी से ले जाते है। वर्तमान में क्षमतानुसार प्रचलित भौतिक साधनों जैसे ट्रेक्टर, जीप, मेटाडोर, मिनीबस आदि का प्रयोग करते है।

बारात का कन्या के ग्राम पहुंचने पर वर पक्ष द्वारा बारात आगमन की सूचना कन्या पक्ष वालों को देते है। कन्या पक्ष बारातियों का स्वागत करते है। उनके ठहरने और चाय, नाश्ते का प्रबंध करते है। इसे **दूरभत्ता** कहते है। सुबह कन्या पक्ष की ओर से सुआसिनें दुल्हें को रोटी खिलाने जाती है। इस समय दुल्हा पक्ष बारात स्थल पर रंग, गुलाल से स्वागत करते है। हंसी, मजाक का दौर चलता है। इसकी पुनरावृत्ति दुल्हे पक्ष द्वारा भी की जाती है। कन्या पक्ष **गाली गीत** के माध्यम से दुल्हा पक्ष को गालियां देती है। दोपहर वर पक्ष गांव के समाज को बारात स्थल पर भोज देते है वर पक्ष शाम को कन्या का तेल उतारने जाते है। इसके बाद कन्या को नहला कर नये कपड़े एवं गहने पहनाकर विवाह हेतु तैयार करते है। शाम के समय **परघौनी नृत्य** का आयोजन किया जाता है परधौनी नृत्य में दोनों पक्ष बारात स्थल पर एकत्रित होते है। वहां पर रावत लोग लाठी चलाते है। दोनों ओर से नाच गान, हंसी मजाक एवं कलाकारी का प्रदर्शन किया जाता है। वर एवं कन्या के पिता गले मिलते है। परघौनी नृत्य के बाद सुआसा दुल्हें को कंधे पर बैठाकर कन्या के मण्डप द्वार पर पहुंचता है। दुल्हा कन्या के घर के द्वार पर लगे कलात्मक श्रृंगार टाटी का पंखे से चोट करता है और वहां से वापस लौट कर जनवासा स्थल ले जाया जाता है। इसके बाद कन्या पक्ष की ओर से सुआसिन वर पक्ष को भाजी खिलाने जाती है। इस समय भी दोनों ओर से हंसी मजाक का दौर चलता है। वर पक्ष भांवर, लुगरा कन्या के लिए पहुंचाते है। कन्या को इसी लुगरा को व मोर पंख पहनाकर विवाह की तैयारी करते है। सुआसा दुल्हा को जनवासा स्थल से लेकर कन्या के घर पहुंचता है। वहां पर दुल्हा–दुल्हन को लतैली खेलाते है। कन्या के लुगरा को वर के लहंगा से जोड़ दिया जाता है। वर एवं कन्या मंगरोहन के चारों ओर सात फेरे लगाते है। वर कन्या के मांग में सिंदुर भरता है इसके बाद वर एवं कन्या को टिकावन हेतु बैठाया जाता है। ब्राम्हण द्वारा टिकावन कर शादी की शुरूआत की ज़ाती है। इसके बाद मां–बाप, भाई, मामा–मामी, लोग टिकावन करते है।

इसके बाद समाज व अन्य समाज के लोग टिकावन कहते है। टिकावन में पैसा, बर्तन आदि भेंट करते है टिकावन पश्चात् सभी सामाजिक बंधु भोजन कर रात में विश्राम करते है।

(इ) कन्या विदाई – सुबह होते ही कोटवार ग्राम वासियों को बारात विदाई की सूचना देते है। सभी ग्रामवासी कन्या के घर एकत्रित होते है। ग्राम के पंच, पटेल, कोटवार समुदाय के प्रमुख लोग कन्या को वर को सौपते है एवं आनंद पूर्वक जीवन यापन करने का आर्शिवाद देते है। कन्या को घर से निकलते ही द्वार पर भाईयों द्वारा पानी पिलाया जाता है। कन्या रो–रोकर अपनी सहेलियों से मिलती है। वातावरण करूणामय हो जाता है। गांव के चौराहें पर अंतिम बिदाई होती है। यहां पर कन्या चारों दिशाओं को प्रणाम कर अपने पति के साथ रोते–बिलखते अपने ससुराल को प्रस्थान करती है।

बारात वापस लौटने पर वर पक्ष की ओर पुनः टिकावन करने की प्रथा है यहां पर भी वर एवं कन्या को टिकावन के लिए बिठाते है। गांव वाले टिकावन करते है। विवाह की रस्म समाप्त होते ही ब्राम्हण को दान दक्षिणा दिया जाता है।

विवाह के प्रकार :– भरिया/भारिया जाति में निम्नलिखित प्रकार के विवाह पाये जाते है :–

1. बिहाव :– इस प्रकार का विवाह वर कन्या के माता–पिता द्वारा तथा समाज स्वीकृत विवाह के नियमों के नियमों व निधियों के अनुसार तय किया जाता है।

2. घरजियॉ :– जब कन्या के पिता को कोई लड़का न हो तो इस प्रकार का विवाह संपन्न किया जाता है। वर कन्या के पिता के घर रहकर कमाता है। उसकी कार्य क्षमता व व्यवहार को देखकर अपनी पुत्री का विवाह रीति रिवाज अनुसार उसके साथ कर देते है। शादी के बाद कन्या के माता–पिता अपने घर पर दामाद को अपनी कन्या के साथ रखकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने अनुमति दे देता है।

3. गुरावट :– इस प्रकार के विवाह में वर जिस परिवार से दुलहन बनाकर लाता है उसी परिवार में अपनी बहन का विवाह कर देता है। इस प्रकार के विवाह को आंटा सांटा या विनिमय विवाह कहा जाता है।

4. घर घुसना :– इस विवाह में पूर्व व्यवस्क लड़के–लड़कियों का प्रेम चलता रहता है। लड़की बाद में अपने प्रेमी युवक के घर रहने लगती है, युवक उसे अपनी पत्नि के रूप में स्वीकार कर लेता है। बाद में समाज के द्वारा कुछ दण्ड लेकर उन्हे पति–पत्नि की मान्यता दे देता है। इसे घुसपैठ विवाह, बरजबरी या पैठू विवाह भी कहा जाता है।

5. भागना या पलायन :– इस विवाह में युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर से भगा ले जाता है। कुछ दिन बाहर रहने के बाद वापस अपने घर आ जाते है और बतौर पति पत्नि के रूप में एक साथ रहने लगते है। बाद में समाज कुछ अर्थदण्ड लेकर उन्हें पति पत्नि के रूप में मान्यता दे देता है। इस विवाह को सहपलायन या उढ़रिया विवाह भी कहा जाता है।

6. जीजा साली विवाह :– जब पत्नि की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तरफ से पैदा हुई संतानों की देखभाल परवरिश हेतु जीजा अपनी साली से पुनः विवाह कर लेता है।

7. बहुविवाह :– भरिया/भारिया जाति में बहु विवाह प्रथा प्रचलित है भारिया दो–तीन पत्नियां रख सकते है, संतानोत्पत्ति हेतु दोबारा विवाह करते है। विवाह सामाजिक रीति अनुसार संपन्न किये जाते है।

यदि भरिया/भारिया समुदाय का युवक किसी अन्य समुदाय की युवती को भगा ले जाता है तो समाज उसे अपने समाज से पृथक कर देता है। उसके हाथ का पानी तक नही पीते है।

यदि भरिया/भारिया समुदाय की युवती किसी गैर समुदाय के युवक के साथ भाग जाती है तो समाज उसे किसी भी रूप में स्वीकार नही करता। वह युवती समाज के लिये मर जाती है।

8. तलाक :–पति–पत्नि में झगड़ा होने, ससुराल वालों द्वारा संतान न होने, वधु को तकलीफ देने आदि कारणों से इनमें विवाह विच्छेद हो जाता है। विवाह विच्छेद पश्चात् दोनों पति पत्नि अपना जीवन यापन पृथक–पृथक रूप से करने लगते है।

9. चुड़ी प्रथा :– भरिया/भारिया समाज में चूड़ी प्रथा नहीं थी। कुछ परिस्थितियां जैसे – विवाहोपरान्त या विवाह पश्चात् वर का असामयिक मृत्यु होने पर नव वधु के जीवन में आने वाली तकलीफ को दृष्टिगत रखते हुए जाति पंचायत ने चूड़ी प्रथा लागू करने का निर्णय लिया है, फिर भी चूड़ी–विवाह का एक भी मामला अब तक समाज में नही आया है।

6.5 दाम्पत्य जीवन :–विवाह के कुछ वर्षो तक पति पत्नि अपने माता–पिता के साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहते है। एक दो बच्चे हो जाने व भाई–बहनों का विवाह हो जाने के बाद उनमें जमीन का बंटवारा हो जाता है। सब अपने–अपने बंटवारे हिस्से की जमीन में खेती करते है। अर्थोपार्जन हेतु खेती, मजदूरी, जंगली उपज संग्रहण बेचने का कार्य व पशुपालन करते है। इस प्रकार अपने परिवार की परवरिश करते है। समय–समय पर अपने माता–पिता, भाई–बहनों से मिलते है। बच्चों के बड़े होने पर उनका भी विवाह करके धीरे–धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होते है।

6.6. वृद्धावस्था :– भरिया/भारिया जाति के अनुसार 54–55 वर्ष के बाद वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। जब किसी भारिया दम्पत्ति के सभी संतानों का विवाह हो जाने और उनके भी संतान हो जाने अर्थात दादा–दादी, नाना–नानी आदि बन जाने पर वह दम्पति अपने को वृद्ध मानने लगते हैं।

वृद्ध पुरूषों का कार्य मेहमानों का स्वागत करना, खेती आदि के कार्यो में पुत्रों को मार्गदर्शन देना, कौन सी फसल किंस खेत में बोना है बताना, फसलों का निरीक्षण व रखवाली करना, रस्सी बनाना, बढ़ईगिरी करना, घर का छप्पर आदि बनाना, सामाजिक/गॉवों की बैठकों में जाना, मेहमान बनकर जाना आदि।

वृद्ध महिलाएं बहुओं को सलाह देती है। जब बहुयें खेत गई हो तो उनके बच्चों को सम्हालना, घर की रखवाली करना, मेहमानों का स्वागत करना, स्वयं मेहमान बनकर जाना आदि कार्यो की जिम्मेदारी निभाती है।

6.7 मृत्यु :–भरिया/भारिया जाति में मान्यता है कि जब 'जीव' (आत्मा) शरीर का साथ छोड़ देती है, तो उस व्यक्ति को मृत समझा जाता है।

जीवन को भगवान की देन समझा जाता है, माना जाता है कि ईश्वर इच्छा से ही शिशु का जन्म होता है तथा उसी की इच्छा से वह मृत्यु को प्राप्त होता है।

मान्यताएं – मृत्यु के संबंध में भरिया/भारिया जाति के लोगो की मान्यताएं है कि भगवान सभी की उम्र निश्चित कर पृथ्वी पर जन्म देता है उम्र पूर्ण होने पर जीव शरीर से निकलकर भगवान के पास चली जाती है और शरीर सभी कार्य करना बंद कर देता है, इसी को मृत्यु कहते है।

भरिया/भारिया जाति में आकस्मिक दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या, हिंसक प्राणियों द्वारा हुये मृत्यु को अल्पकालिक मृत्यु कहते है। इस प्रकार की मृत्यु पर इनका मानना है कि भगवान द्वारा दिया गया मृत्यु पूरा नहीं हुआ था अतः मृतक की आत्मा भटकती रहेगी। ऐसी मृत्यु पर इंसान भूत अवश्य बनता है।

यदि कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से मरता है तो माना जाता है कि वह पूर्व जन्म में जो कार्य किया था उसका फल उसे भगवान ने दिया है।

आसन्न मृत्यु पर व्यक्ति को गंगाजल/तुलसीजल/दुध पिलाये जाने, ब्राम्हण या भांजे आदि को दान दिये जाने की प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा पर इनका मानना है कि, मृत आत्मा

को शांति मिलती है व उनके पाप आदि मिट जाते है। मृतक हेतु 10 दिनों तक दशगात्र तक प्रतिदिन पत्ते के दोने में एक दोना भोजन घर के पिछवाड़े में रख दिया जाता है।

<u>मृत्यु संस्कार :–</u> भरिया/भारिया जाति मे मृतक संस्कार दो तरह से सम्पन्न किये जाते है :–

1. दफनाना (मिट्टी देना)

2. दागदेना (जलाना)

<u>दफनाना :–</u> मृत्यु उपरान्त मृत शरीर को यदि पुरूष हो तो पुरूष, स्त्री हो तो स्त्री रिश्तेदार मिलकर नहलाते है, फिर हल्दी तेल के मिश्रण का लेप किया जाता है। मृत शरीर को सफ़ेद क़पड़े से ढक दिया जाता है। घर में शव जमीन पर या़ खाट पर रखते है, आंगन में बीचों–बीच मृतक के शरीर की माप अनुसार गोबर से लिपाई की जाती है, चारो तरफ चावल के आंटे से चौका बनाया जाता है, इस चौक में मृतक शरीर को रख दिया जाता है, बाजू में अगरबत्ती जला दी जाती है। अब शव को शमशान घाट ले जाने हेतु टाट/कटरी/अर्थी का निर्माण किया जाता है शव को खाट पर सुला दिया जाता है, आंगन में गैती से थोड़ी मिट्टी खोदी जाती है, बच्चे व महिलाएं एक एक मुठ्ठी मिट्टी शव पर डालते है। मृतक के सिरहाने पर उसकी प्रिय वस्तुएं जैसे तम्बाकू, गुडाखू, चिलम, चकमत पत्थर रिंगवा, माचिस, किताबें, लाठी आदि रख दी जाती है। अब शवयात्रा की तैयारी की जाती है। शवयात्रा में अर्थी या खाट को चार आदमी उठाते है, ये चार आदमी मृतक के पुत्र व भतीजे होते है। शवयात्रा प्रारंभ होती है। शवयात्रा में यात्री कतार बनाकर चलते है। चौराहे पर कंधा बदल क्रिया होती है। शमशान पहुंचकर अर्थी को जमीन पर उतार कर रख देते है। जिस स्थान पर गड्ढ़ा खोदना होता है उस स्थान पर एक मुठ्ठी अनाज, उड़द, मूंगफली व दस पांच पैसे दिये जाते है। **<u>इसे जमीन मोल लेने की क्रिया कहते है।</u>** शवयात्री अपने साथ एक गैती, फावड़ा शब्बल, हण्डी में अनाज, कपडे पर अग्नि और झाडू आदि लेकर चलते है। अब शव को दफनाने हेतु गड्ढे खोदने की प्रक्रिया चलती है। गड्ढा छै साढे छै फीट लम्बा, दो ढाई फीट चौड़ा व 4–5 फीट गहरा खोदा जाता है गड्ढ़ा, पूरब पश्चिम होता है। मृतक का सिर गड्ढें में पूर्व की ओर तथा पैर पश्चिम की ओर होता है गड्ढे में उतारने के पूर्व शवयात्रियों के द्वारा पानी पिलाया जाता है तथा गड्ढे में अनाज बिछा दिया जाता है, कुछ सिक्के डाल दिये जाते है, अब मिट्टी देने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। मृतक का बड़ा पुत्र सबसे पहले मिट्टी देता है, फिर पारिवारिक सदस्यगण व अन्य शवयात्री मिट्टी देते है। गड्ढे को अच्छी तरह पाट दिया जाता है। पटाई जमीन से एक डेढ़ फीट उपर

तक की जाती है अब गोबर से लिपाई कर उसके उपर अनाज–गेहूॅ, धान आदि छिड़क दिया जाता है। मिट्टी देने के बाद कब्र के एक ओर भाई–बेटा और दूसरी ओर मामा, साला लोग खड़े होकर शब्बल गैती को कब्र के उपर इधर से उधर फेकते है। जिसे **पारी समझाने की क्रिया** कहते है। कब्र के सिरहाने पर बड़ा पत्थर रख दिया जाता है। उपर से बेर आदि की कटीलेदार डालियां डाल दी जाती है।

शमशान के कुछ दूरी पर रास्ते में बेर की डालियां बिछा दी जाती है, उसके उपर पत्थर रख देते है उसके उपर शवयात्रा में शामिल सभी लोग चलते जाते है। **इसे कांटा नगना** कहते है, इसका अर्थ कांटे जैसे खटकने वाली मौत को मृतक ने पार कर लिया है और एक दिन यह सच्चाई सबको भुगतनी है। शवयात्री तालाब में कतार बद्ध एकत्रित होते है और स्नान कर कतार में पीड़िता के घर वापस लौटते है आगे मृतक के परिवार का वृद्ध या बड़ा पुत्र होता है। इधर महिलायें भी अर्थी उठाने के बाद घर आंगन की लिपाई करती है तत्पश्चात् तालाब नहाने के लिए चल देती है। स्नान कर पुरूषों के आने के पहले घर लौट आती है। वे पुरूषों के लिये आंगन के दरवाजे पर घड़े या बाल्टी में पानी भर कर रख देते है, शवयात्रा में शामिल सभी सदस्य पैर धोकर आंगन में प्रवेश करते है तथा आंगन में खड़े हो जाते है हर आदमी आंगन में अपने हाथ पैरों पर तेल लगाता है, फिर अपने–अपने घर को प्रस्थान करते है। मृतक के परिवार के सदस्यों को पराये गोत्र के लोगों द्वारा भोजन बनाकर खिलाया जाता है। इसे **गोल हत्थी** कहते है। मृतक का तीन दिनों तक सूतक माना जाता है।

तीजवा (तीज नहाना) :– मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीज संस्कार किया जाता है इस दिन घर आंगन की साफ़–सफाई व लिपाई–पुताई की जाती है। इस संस्कार में जातीय भाईयों के साथ–साथ मृतक के मित्र भी पहुंचते है। पीड़ित परिवार की महिलायें रो–रो कर अपनी तकलीफे सुनाती है। नाई शवयात्रा में शामिल लोगों के बाल,दाढ़ी–मूंछ काटता है तथा धोबी उनके कपड़े धुलाई करता है। तीजया में उपस्थित सभी लोग नहाने के लिये कतार में तालाब पहंचते है कतार में परिवार का वृद्ध व्यक्ति या मृतक का बड़ा पुत्र आगे–आगे चलता है उसके हाथ में दातौन व लोटा होता है नहाने के बाद तालाब किनारे घाट में भारू घास में पॉच लोटा,जल,तिल व फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती जलाकर उसे नमन करता है उसके बाद सभी लोग जल, चढ़ाकर नमन करते है और कतार में ही दुखिया के घर वापस लौटते है ऑगन में प्रवेश करने के पूर्व आंगन के दरवाजे घर घड़े में रखे हुएं पानी से सभी अपना–अपना पैर धोकर आंगन में प्रवेश करते है। हाथ–पैरों में तेल लगाकर पुनः अपने–अपने घर वापस लौट ज़ाते है। तीज संस्कार में

उपस्थित सदस्यों को दोपहर भोजन कराया जाता है। भोजन बनाने का काम अन्य गोत्रों के लोगों के द्वारा किया जाता है। नाई धोबी को उसकी मजदूरी स्वरूप अनाज, दाल चावल आदि दिये जाते है।

दशगात्र (दशमी नहाना) :– यह क्रिया दशवें दिन सम्पन्न किया जाता है। इस क्रिया में तीज नहाना के रोज जो कार्य होता है, उसकी पूनरावृत्ति के साथ पिण्डा पराने का कार्य ब्राम्हण द्वारा किया जाता है। इस· क्रिया कर्म में मृतक के पुत्र का, नाई द्वारा मुण्डन किया जाता है, दाढ़ी –मूंछ नाखून साफ किया जाता है। नहाने हेतु आये सदस्य भी दाढ़ी–मूंछ बनवाते है। नहाने के बाद पण्डित द्वारा तिलक लगाकर पवित्र किया जाता है। मिट्टी के बने घड़े मे पानी भरकर छोटा सा छेदकर उसमें बगई की रस्सी की बाती निकाल दी जाती है इस घड़े को बगई की रस्सी से पीपल के पेड़ में बांध दिया जाती है उपरोक्त क्रिया कर्म तालाब में संपन्न किया जाता है, इसके बाद सभी लोग नहाकर कतार में वापस लौटते है। रात्री में पगड़ी रस्म, चंदपान की क्रिया होती है, जिसमें मृतक का पुत्र भतीजे व पारिवारिक भाई आंगन में एक स्थान पर बैठ जाते है, उनके सामने कलश जला दिया जाता हैं पंडित ब्राम्हण द्वारा चंदनपान,पगड़ी रस्म की शुरूवात की जाती है। फिर सामाजिक बंधु मृतक के पुत्र भतिजे को पगड़ी बांधते है एवं चावल या यथा संभव पैसे भेंट करते है। चंदनपान पगड़ी रस्म पश्चात् सामाजिक बंधुओं को भोज दिया जाता है। ब्राम्हण को दान दक्षिणा दी जाती है। इसी दिन मृतक का परिवार पवित्र होता। दसवें दिवस मृतक के विधवा की चूड़ी तोड़ दी जाती है तथा उसके शरीर के गहने उतार दिये जाते है।

जलाना :– इस क्रिया कर्म में मृतक के शव को शमशान में जलाया जाता है उसके अस्थि को उसका पुत्र गंगा नदी में प्रवाहित करने जाता है अस्थि प्रवाहित कर वापस लौटने पर वह गांव के सरहद पर रूक जाता है सूचना पाकर गांव के लोग बाजे–गाजे के साथ उसे लेने पहुंचते है। वहां पर भेंट मिलाई का काम होता है तीर्थ यात्रीयों को कपड़े, नारियल भेंट करते है। इसके बाद सभी लोग तीर्थ यात्रियों को साथ लेकर घर आ जाते है। शेष क्रिया कर्म दशगात्र के तरह ही संपन्न की जाती है।

बरसीः– इस संस्कार में मृतक के परिवार के लोग एक वर्ष बाद समाज को बरसी का निमंत्रण देता है मृतात्मा की शांति के लिये उसका पुत्र सत्यनारायण की कथा का आयोजन करता है सभी समाजिक बंधु सत्यनारायण की कथा व प्रवचनं सुनते है कथा समापन पश्चात् ब्राम्हण को दानं पुण्य कर बिदा किया जाता है तत्पश्चात् सामाजिक बंधुओ को भोज दिया जाता है।

मठ निर्माणः– कुछ लोग मृतात्मा की पहचान के लिए मठ का निर्माण कराते है। तीसरे वर्ष मंगल भाट को लुंगी पीतल या कांसे का बर्तन, कुलहाड़ी/हंसियां/चूड़ादान दिये जाने की प्रथा है।

****

अध्याय–7

राजनैतिक संगठन

भरिया/भारिया जनजाति में सामाजिक नियंत्रण हेतु परम्परागत राजनैतिक संगठन पाया जाता है। जिसके प्रमुख द्वारा समाज के सदस्यों के क्रियाकलापों की निगरानी एवं किसी प्रकार के मामले सामने आने पर उसका नीतिगंत निराकरण आपसी सहमति से किया जाता है।

7.1 संगठन का स्वरूप :–

भरिया/भारिया जाति का राजनैतिक संगठन का स्वरूप निम्नानुसार होता है –

जाति पंचायत :–

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत
2. केन्द्र स्तरीय जाति पंचायत
3. जिला स्तरीय जाति पंचायत

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत :–प्रत्येक भरिया/भारिया ग्राम में पृथक–पृथक जाति पंचायत होती है, जिसमें भारिया जाति के ही व्यक्ति सदस्य होते है। जिसका प्रमुख पटेल कहलाता है। इसके साथ दो–तीन वृद्ध व्यक्ति पंच के रूप में नामित होते है। यहां जातीय स्तर के मुद्दे सर्वसम्मति से न्यायपूर्ण तरीके से हल किये जाते है।

पटेल का पद प्रायः परम्परागत होता है, किन्तु यह ध्यान रखा जाता है कि वह जातिगत नियमों का जानकार व समझदार हो साथ ही निर्णय देने की क्षमता रखता हो, यही मापदण्ड पंचों के लिए भी होता है। इस जाति पंचायत में महिलाओं की भागीदारी नही होती है।

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य :– ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के निम्नलिखित कार्य होते है –

1. जातिगत झगड़ों को निपटाना।
2. जाति से संबंधित नियम बनाना।
3. जाति में होने वाले विवाह, सगाई आदि प्रसंगों में उपस्थित रहना।
4. विजातीय प्रेम–प्रसंगों से उपजी समस्याओं का निराकरण करना.।
5. सामाजिक नियमों के तहत जातिगत बंधुओं के बीच परस्पर सहयोग एवं संगठन को मजबूत करना।

6. स्वजातीय या ग्राम देवी–देवताओं की पूजा की तिथि एवं दिन निर्धारित करना।

7. स्वजातीय हितों की रक्षा करना।

8. केन्द्र स्तर एवं जिला स्तर की जाति पंचायत या महासभा के निर्देशों पर दृष्टि रखना एवं उससे सामंजस्य स्थापित करना।

2. केन्द्र स्तरीय जाति पंचायतः–8–10 ग्रामों के भारिया परिवारों को मिलाकर एक केन्द्र स्तरीय जाति पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख नेगी कहलाता है। प्रत्येक ग्रामों के पटेल केन्द्रीय पंचायत के क्रियाशील सदस्य होते है, जिसमें केन्द्र के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं का निराकरण सर्वसम्मति से किया जाता है। इस पंचायत में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नही होता है।

केन्द्र स्तरीय जाति पंचायत के कार्य–केन्द्र स्तरीय जाति पंचायत के निम्नलिखित कार्य होते है–

1. जातिगत उत्थान के लिए कार्य करना।

2. ग्रामस्तरीय जाति पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निराकरण करना।

3. विवाह संबंध या विच्छेद का मामला निपटाना।

4. विवाह संबंधी निषेधों का पालन करना।

5. जातिगत नियमों का उल्लंघन करने वाले को जाति से अलग करना।

6. समाज से पृथक किए गये व्यक्ति को दण्ड लेकर पुनः समाज में मिलाना।

7. दूसरी जाति में किए गये विवाह, व्यभिचार आदि का निर्णय करना।

8. महासभा जैसे जातिगत बैठकों में आने वाले बंधुओं के भोजन आदि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था करना व सहयोग राशि एकत्रित करना।

3.जिला स्तरीय जाति पंचायत :– भरिया/भारिया जाति में यह संगठन समाज के उत्थान के लिए बनाया जाता है, इस जाति पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष आदि पद होते है। इन पदाधिकारियों का पद परम्परागत नही होता है। पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। पदाधिकारियों का चुनाव महासभा में सर्वसम्मति से किया जाता है। ये सभी पद अवैतनिक होते है।

जिला स्तरीय जाति पंचायत के कार्य :– जिला स्तरीय जाति पंचायत के निम्नलिखित कार्य होते है –

1. जातिगत उत्थान के नियमों का निर्धारण करना।
2. पुरानी परम्पराओं व अधिक खर्चीली रस्मों को सीमित करने हेतु नियम बनाना।
3. ग्राम व केन्द्र स्तरीय अनसुलझे मामलों को सुलझाना।
4. जातिगत नियमों, रीति–रिवाजों को कठोरता से केन्द्र व ग्राम स्तर पर लागू करना।
5. जातिगत उत्थान व उसके हितों की रक्षा का कार्य करना।
6. अंतर्जातीय विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।
7. विवाह–विच्छेद के मामलों का निपटारा करना।
8. भाईयों के बीच सम्पत्ति का बंटवारा करने हेतु जाना।
9. भूमि संबंधी सामान्य विवादों का निपटारा करना।
10. सामाजिक नियमों निषेधों मान्यताओं में एकरूपता लाने का प्रयास करना।
11. जातिगत सदस्यों में सहयोग की भावना जागृत करना।

7.2 भरिया/भारिया जाति पंचायत में दण्ड प्रावधान :– ग्राम स्तर, केन्द्र स्तर एवं जिला स्तर की भरिया/भारिया जाति पंचायत में आपसी लड़ाई झगड़े, निषेधों की अनुज्ञा, वैवाहिक नियमों में व्यवधान, अंर्तजातीय विवाह आदि मसलों पर दोषी व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान है :

(अ) आर्थिक दण्ड

(ब) समाज से बहिस्कृत करने का दण्ड

(स) अर्थदण्ड एवं बहिष्कार दोनों एक साथ

(द) भोज कराना

(इ) दाम्पत्य जीवन में असर पड़ने पर तलाक का प्रावधान

(अ) आर्थिक दण्ड – भरिया/भारिया जाति में जाति पंचायत द्वारा मुद्दे आधारित अर्थदण्ड दोषी व्यक्ति को सुनाये जाते है। इसमें अर्थदण्ड की राशि 100रू. से 1000रू. तक हो सकती है। ग्राम स्तर पर आपसी लड़ाई झगड़े, सामाजिक बैठक में सम्मिलित न होना आदि हेतु 50 से 100 रू. तक अर्थदण्ड दिया जाता है। वही सामाजिक निषेधों के उल्लंघन पर यह राशि 150रू. से 500रू. तक बढ़ा दी जाती है।

(ब) बहिष्कार – भरिया/भारिया जाति में समाज के निर्धारित मापदण्ड के विपरीत किसी भी मुद्दे पर दोषी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसमें उस परिवार का जाति के किसी भी सदस्य के घर पर भोजन पानी रोटी–बेटी का संबंध प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस प्रकार का दण्ड विशेष सामाजिक अपराध जैसे अंर्तजातीय विवाह कराना, विवाह पूर्व गर्भधारण कराना, भाग कर शादी करना, निम्न जाति की कन्या/लड़के से विवाह करना व अन्य सामाजिक बंधनों को तोड़ने हेतु दिया जाता है।

(स) अर्थदण्ड व बहिष्कार – कभी–कभी जाति पंचायत के द्वारा बड़े सामाजिक अपराध जैसे–अंर्तजातीय विवाह, पूर्व घोषित क्षतिपूर्ति का उल्लंघन आदि परिस्थिति में दोनों ही प्रकार दण्ड निर्धारित किये जा सकते है।

(द) भोज – भरिया/भारिया जाति में किसी भी सदस्य के हाथ से गौ वंश हत्या होने पर दण्ड के रूप में उस व्यक्ति से नौ दिनों तक भोज दिये जाने का प्रावधान है। यह भोज गौ के चार पैर, दो कान, दो सिंग व एक पूंछ के लिये ली जाती है। पूरे नौ दिनों तक गौवंश हत्या के दोषी भोज हेतु उपस्थित समुदाय के लोगो का पॉव धोता है। उसे अंतिम दिन ब्राम्हण से पूजा पाठ करा कर घर को पवित्र किया जाता है। उसे दान–दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार दोषी व्यक्ति अपना पश्चाताप कर समाज में मुख्य धारा में जुड जाता है।

(इ) दाम्पत्य जीवन में असर पड़ने पर तलाक का प्रावधान है – जो महिला सामान्यतः अपने पति का घर छोड़कर किसी अन्य के साथ रहने लगती है इस स्थिति में नये घर वालों को हर्जाने के बतौर बकरा भोज देना होता है। इस अवसर पर जातियजनों को भोज देने की प्रथा है।

दण्ड का परिपालन – भरिया/भारिया जाति पंचायत में दोषी व्यक्ति को सुनाए गये दण्ड का पालन उसे प्रत्येक स्थिति में करना है। अर्थदण्ड की राशि अधिक होने पर उसे कम करने जाति पंचायत में निवेदन कर सकता है।

स्वजातीय वर्ग में गर्भधारण मामलों पर लड़की को उसके परिवार के सहित बहिष्कृत कर दिया जाता है तत्पश्चात लड़के का पता लगाकर अर्थदण्ड देकर सहमति से विवाह करा दिया जाता है।

यदि विजातीय वर्ग में गर्भधारण का मामला हो और लड़का दूसरे जाति का हो तो उस लड़की को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

यदि समाज का लड़का दूसरी जाति में विवाह करता है तो समाज से उसे बहिस्कृत कर दिया जाता है।

यदि लड़की विजातीय लड़के से विवाह करती है, तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

****

अध्याय–8

धार्मिक जीवन

भरिया/भारिया जाति में भी धर्म व जादू पर विशेष आस्था रहती है। इनके परम्परागत देवी देवताओं के अतिरिक्त नदी, पहाड़, जंगल, भूमि, वृक्ष, सूर्य, चन्द्र आदि की भी पूजा करते है। इनकी देवी देवताओं में हिन्दू देवी देवताओं का समावेश है। ये बहुदेववाद में विश्वास करते है। इनके मुख्य देवी देवता निम्नलिखित है :–

8.1 देवी–देवताएँ :–

(अ) ग्राम देव :– ठाकुर देव भारिया का ग्राम देवता है। इनका स्थान ग्राम के सरहद पर किसी पेड़ के नीचे होता है, इसकी पूजा बैगा द्वारा की जाती है, इनकी पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। ठाकुर देव ग्राम की रक्षा करने वाले देव है। ग्राम में जनधन की हानि होने पर इन्हें याद कर पूजते है। माह जून में इनकी पूजा कर ग्राम की खुशहाली, समृद्धि एवं प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के उद्देश्य से इनकी पूजा की जाती है।

(ब) कोसागाई माता :– माँ कोसागाई स्थानीय देवी माँ है। इनकी पूजा क्वाँर मास एवं बैसाख में तेरस को प्रति वर्ष की जाती है, पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। माँ कोसागाई पहाड़ पर विराजमान है, जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। नवरात्र के अवसर पर भारिया देवी माँ को आंगन में स्थापित कर पूजा करते है।

(स) बाघेश्वर देव :– बाघेश्वर देव भारिया लोगों का एक प्रमुख देवता है। नयाखानी या दीपावली के अवसर पर भारिया मिट्टी के पात्र में दाल भात रखकर घर के पिछवाड़े में रख देते है। सुबह यदि पात्र खाली मिला तो उनका मानना है कि बाघेश्वर देव उनके घर आये थे। बाघेश्वर देव को मानने से बाघ उन्हें व उनके पालतू पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इनकी पूजा में काली मुर्गी की बलि दी जाती है।

(द) पितृ देव :– भरिया/भारिया क्वार मास के कृष्ण पक्ष में अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। महिलायें सुबह उठकर गोबर से लिपाई करती हैं। उसमें फूल और चावल छिड़क देते हैं। पुरूष व महिलाएं तालाब में नहाने जाती है। नहाते समय पानी में दाल व चावल सींचते है और भारू घास में पांच औजरा जल चढ़ाते हैं। घर में प्रतिदिन दाल और बड़ा बनता है। पितृ पक्ष में

पूर्वजों की पन्द्रह दिनों तक पूजा की जाती है। अंतिम दिन पितृदेव की विदाई की जाती है, इसमें दाल, चावल, बड़ा, रोटी एवं पूजन सामग्रियों को पानी में विसर्जित किया जाता है।

(इ) <u>भगवान शंकर जी</u> :– भरिया/भारिया लोगों का ईष्ट देवता भगवान शंकर है। शंकर जी जनधन की वृध्दि समृद्धि प्रदान करने वाले देवता है। इनकी पूजा सोमवार के दिन की जाती है। पूजा में नारियल फल फूल भेंट किया जाता है। इनका स्थान घर के प्रमुख कमरे, तालाब एवं कुओं के पास चबूतरा बनाकर किया जाता है।

<u>8.2 कुल देव</u> :– प्रत्येक गोत्र के व्यक्ति अपनी–अपनी उत्पत्ति विभिन्न पूर्वजों से मानते है। आभार स्वरूप प्रत्येक पारिवारिक उत्सवों, त्यौहारों पर कुलदेव की पूजा की जाती है। बरूवा एवं नाग कुल देवता के रूप में पूजे जाते है। शादी ब्यांह, जन्म संस्कार, नवाखाई आदि पर्व पर पारिवारिक स्तर पर कुलदेव आदि की पूजा की जाती है तथा पारिवारिक शांति व समृद्धि व मार्गदर्शन हेतु याचना की जाती है।

इन देवी देवताओं के अतिरिक्त भरिया/भारिया विन्ध्यवासिनी देवी, दुर्गामाता, पनघट माता, जगतार माता, शीतला माता, मुठवादेव, दूल्हादेव, बूढ़ादेव एवं अन्य देवी देवताओं का समय–समय पर पूजा पाठ करते हैं। हिन्दू आचरण के अनुसार भरिया/भारिया अपने संकल्प के लिये सत्यनारायण कथा का या अन्य धार्मिक आयोजन सम्पन्न कराते हैं।

<u>8.3 पर्व–त्यौहार :–</u>

(1) प्रकृति जन्य त्यौहार

(2) धार्मिक त्यौहार

(1) प्रकृति जन्य त्यौहार :–

(अ) <u>बिदरी पूजा या अक्ती पूजा</u> :– यह पर्व आकाश और बीज की पूजा का त्यौहार है। पूजा बैसाख/जेठ माह में ग्रामवासियों द्वारा मनाई जाती है। एक दिन पूर्व ग्राम में बिदरी पूजा की सूचना दी जाती है। गांव का प्रत्येक किसान दोना में बीज रखकर ठाकुर देव स्थल पर एकत्रित होते है। बैगा द्वारा ठाकुर देव की पूजा की जाती है। पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। पूजा

पश्चात् किसानों के द्वारा लाये गए बीजों को मंत्रित कर कुछ बीज देवस्थल पर बो दिये जाते है। शेष बचे बीज को कृषक वापस अपने घर को ले आते है। इस बीज को खेतों में बोते समय दूसरे बीजों के साथ मिला देते है। भारिया लोगों का विश्वास है कि बिदरी के मंत्रित बीजों से फसल अच्छी होती है। बिदरी में भीमसेन मुठवादेव दुल्हादेव और कई देवियों के नाम से पूजा की जाती है।

(ब) हरियाली (हरेली) :– यह त्यौहार श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन कृषि उपकरणों जैसे नागर, कोपर, गैंती, रांपा आदि को स्वच्छ पानी से धोकर कोठे में रखकर चावल, आटे को पानी में घोलकर उसका प्रत्येक उपकरणों में हाथा दिया जाता है एवं चंदन लगाया जाता है। दीपक जलाकर पूजा पाठ कर नारियल तोड़ा जाता है, होम धूप दिया जाता है। तत्पश्चात खेतों के बीचो बीच हरियाली डार खोचकर हल्दी पानी सीचने की परम्परा है। मवेशी चराने वाला चरवाहा राउत हरियाली डार छप्पर पर खोंचते है, उसे अनाज कुछ पैसे भेंट में दिये जाते हैं।

(स) पोला :– इस त्यौहार में कृषक अपने अपने बैलों को नहलाते है, सजाते हैं, उनकी पूजा आरती की जाती है। इस दिन बैलों से खेतों में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जाता है। इनके लिये पकवान बनाए जाते हैं, महिलाएं पूजा करती है, उन्हें भोजन व पकवान खिलाया जाता है।

(द) तीजा :– यह त्यौहार भादो मास की तीज को मनाया जाता है। इसे हरितालिका व्रत भी कहते हैं। इस त्यौहार में भगवान शंकर एवं मां पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिनें दिन भर निर्जल उपवास रखती है एवं अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। विभिन्न प्रकार का पकवान बनाकर भोग लगाया जाता है।

(इ) देवउठनी/एकादशी :– यह त्यौहार कार्तिक मास की एकादशी को मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान विष्णु जी, सालिगराम जी की पूजा की जाती है। देवों को गन्ने एवं कन्द मूल भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। तुलसी चौरा में दीप प्रज्जवलित कर पूजन किया जाता है।

(फ) नवाखानी :– यह प्राथमिक फसल की पूजा का त्यौहार है। त्यौहार प्रत्येक परिवार में व्यक्तिगत रूप से मनाया जाता है। क्वांर मास में किसी भी शुभ दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। नये अनाज का पकवान सबसे पहले अपने देवी–देवताओं और फिर पूर्वजों को चढ़ाया जाता

है। नारियल तोड़कर दीप धूप जलाकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात् नये पकवान को परिवार का हर सदस्य ग्रहण करता है। नवाखानी के पूर्व भारिया द्वारा अपने घरों की लिपाई व पोताई की जाती है।

(य) छेरी–छेरा :– यह त्यौहार पूस माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार में सभी ग्रामवासी अपने–अपने मकानों की लिपाई पुताई कर लेते है। इस त्यौहार में बच्चे बूढ़े समूह में प्रत्येक घर दस्तक देते है, और छेरछेरा की आवाज लगाते है। घर की महिलाएं समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक मुट्ठी अनाज (धान) दान करती है। प्रत्येक घरों में महिलाएं पकवान बनाती है। इस पकवान को अपने–अपने समाज में प्रत्येक घरों में दिया जाता है। यह त्यौहार आपसी मेल जोल का त्यौहार है।

(2) धार्मिक त्यौहार :–

(अ) जवारा :– यह त्यौहार क्वांर एवं चैत्र मास में नवरात्रि पर्व पर मनाया जाता है। गेहूं की जवारों की नौ दिनों तक पूजा की जाती है। इस त्यौहार में मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। अंतिम दिन जवारे को बाजे गाजे के साथ चल समारोह के साथ तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। इस त्यौहार में जसगीत, नवरात्रि गीत गाये जाते हैं।

(ब) दीपावली :– यह त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्यौहार में मां लक्ष्मी की गोवर्धन व धन की पूजा की जाती है। भारिया पांच आटे के दियों के साथ पांच मिट्टी के बने दिये जलाते हैं। इसे दीपोत्सव भी कहते है। इस त्यौहार में संपूर्ण घर प्रकाशवान हो जाता है। दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन गौ माता को दाल भात खिलाया जाता है।

(स) होली :– यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, फाग गीत गाये जाते है, रंग गुलाल खेला जाता है। होली त्यौहार के अवसर पर मेघनाथ की पूजा की जाती है। प्रत्येक घरों में पकवान बनते है। प्रत्येक घर पकवानों का आदान प्रदान होता है। छेराछेरी की तरह यह त्यौहार भी आपसी मेलजोल को बढ़ाने का त्यौहार है।

8.4 आत्मा :– भरिया/भारिया जाति आत्मावादी विचारधारा में विश्वास करती है। मृत्युपश्चात आत्मा के अस्तित्व को मानती है। मृत्यु पश्चात आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसा इनका मानना है।

भूत–प्रेत :– भरिया/भारिया जाति भूत–प्रेत योनि पर विश्वास रखते है। मान्यतानुसार आकस्मिक मौत होने पर आदमी भूत अवश्य बनता है। विवाह योग्य अविवाहित की मृत्यु, जंगली पशुओं के शिकार से हुई मृत्यु, आग से जलने पर मृत्यु, आयु पूर्ण न होने के कारण मृत्यु आदि पर मृतक की आत्मा भटकती रहती है, जो लोगों को परेशान करती है। रात्रि में डरावना सपना, बच्चों जैसे रोने की आवाज पैदा कर रात्रि में रास्ता रोकने का प्रयास करते है। ये भूत–प्रेत, मसान, परेतिन, मुडखोरिन होते है। इनका निवास स्थान पुराने पेड़ पर होता है। इनकी परेशानियों से निजात पाने के लिए भारिया बकरे एवं काली मुर्गी की बली देते है। एवं परेशानियों से राहत न मिलने पर बैगा गुनिया का सहारा लिया जाता है।

जादू–टोना :– जादू टोना पर भारिया लोगों का सर्वाधिक भरोसा है। भारिया मामूली तकलीफ पर झाड़फूक कराते है। जादू टोना भगाने के लिए भारिया नमक, केश, कोदो और मिर्च का होमन देते है, जादू टोना करने वाली महिला को "टोनही" तथा पुरूष को "टोनहा" कहते है। ग्राम में ऐसे लोगो की पहचान कर उनसे दूर रहने व औपचारिक संबंध रखने की सलाह दी जाती है।

जादू टोना करने वाला व्यक्ति जिस पर जादू टोना करता है उसके पैर की धूल, बाल, कपड़ों के टुकड़े आदि के माध्यम से उस पर जादू करता है। अपने वश में कर इच्छानुसार कार्य कराता है, जिससे वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। शरीर का वजन कम व सेहत कमजोर होती जाती है। वह असामान्य व्यवहार करता है, कभी कभी व्यक्ति पागल भी हो जाता है।

वैद्य एवं गुनियों पर भारिया सबसे अधिक विश्वास करते है। वैद्य तारण व मारण दोनों मंत्र जानता है। वैद्य मंत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। मारण मंत्र के लिए वह उड़द के बीज का उपयोग करता है। वैद्य मुठ/जादू टोना काटने के लिए नींबू सिंदूर और उड़द के बीज को मंत्रित कर आसमान की ओर फेंकता है और यह उसी के घर गिरता है जिसने मूठ/जादू टोना चलाई है। ऐसा भारियाजनों का मानना है।

गुनिया जादू टोना का उपचार जादू टोना से ही करता है। वह अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग जादू टोना करने वाले व्यक्ति पर करता है जिससे प्रभावी व्यक्ति पर जादू टोना का असर धीरे–धीरे कम होने लगता है। इसके लिए गुनिया पुतला बनाना, मुर्गी काटना, खून चढ़ाना जैसे कर्मकाण्ड मंत्रोपचार द्वारा करता है। वैद्य गुनिया जड़ी बूटियां का भी अच्छा ज्ञान रखता है। आनंद राम भारिया जानकार वैद्य है।

8.5 रोग निदान एवं उपचार :– भरिया/भारिया जाति में किसी भी प्रकार के रोग या अस्वस्थता को अलौकिक घटना माना जाता है तथा उसका उपचार भी उसी माध्यम से कराने का प्रयास किया जाता है। वनों से घनिष्ट संबंध होने के कारण इनमें वनौषधियों का भी ज्ञान है, तथा समय समय पर स्थानीय या लोक औषधियों के माध्यम से उपचार कराते है। इनमें किसी भी प्रकार की अस्वस्थ्ता होने पर पूर्वजों, आत्माओं का नाराज होना, देवी देवताओं का कूपित होना, सामाजिक धार्मिक निषेधों का उल्लंघन करना, भूतप्रेत लगाना, नजर या टोना टोटका करना आदि को कारण माना जाता है। अतः उपचार हेतु अपने सामाजिक मान्यता प्राप्त पारम्परिक चिकित्सकों वैद्य एवं गुनियों की मदद ली जाती है।

इनमें रोग या अस्वस्थ्यता की तीन प्रकार की वैदानिक प्रविधियॉं पाई गई है जैसे 1. जादूइ धार्मिक कर्मकाण्ड, 2 नाड़ी देखकर, 3. लक्षण आधारित, रोग निदान वैद्य द्वारा किया जाता है। गुनिया झाड़ फूक व वन औषधियों के माध्यम से उपचार करता है। वैद्य गुनिया दोनों को भी अनेक वनौषधियों का ज्ञान होता है। उपचार पश्चात वैद्य गुनिया को स्थिति अनुसार नारियल, चावल या नगद चढ़ावा दिया जाता है।

गुनिया द्वारा बुखार, उल्टी, पेट दर्द, घाव, सर्पदंश, बिच्छू दंश आदि पर झाड़ फूंक कर एवं कुत्ता काटने, अनियमित मासिक धर्म आदि पर औषधियां देकर उपचार किया जाता है। पारम्परिक उपचार से स्वास्थ्य सुधार न होने पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया जाता है।

8.6 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्रभाव :–

(अ) आर्थिक परिप्रेक्ष्य :– समुदाय में मुद्रा की उपयोगिता अधिक दिखलाई देती है। पारम्परिक रूप से चली आ रही सहकारिता, सहभागिता एवं वस्तु निनिमय की प्रथा में कमी दिखाई देती है। पलायन की धारणा नगण्य है। भारिया शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठानों में ठेका मजदूरी कर अर्थोपार्जन करते है।

(ब) शिक्षा :– शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाई देती है, एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाई देती है।

****

अध्याय–9

लोक परम्पराएं

भरिया/भारिया जाति की लोक परम्परा में लोक गीत, लोक नृत्य व उनके वाद यंत्रों का अत्यधिक महत्व है। भारिया विभिन्न पर्व त्यौहारों एवं खुशियों कें अवसरों पर नाचते गाते है। नाचना गाना इनकी परम्परा में विद्यमान है। नृत्य गीत के माध्यम से इस जाति के लोग अपनी भावनायें व्यक्त करते है।

9.1 लोक नृत्य :–

1. **भरनाटी नृत्य** :– इसे भरनई या भरनीनृत्य भी कहते है। यह नृत्य पुरूष प्रधान नृत्य है। नृत्य में पुरूषों की संख्या 20 व उससे अधिक होती है। इस नृत्य में नर्तक पटसन की वेशभूषा पहनकर नाचते है हाथ में तीर धनुष होता है, वर्तमान में यह नृत्य सिर्फ जबान पर ही विद्यमान है।

2. **डण्डा नृत्य** :– भरिया/भारिया लोगो का यह प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य फसल कटने के बाद माघ–पौष मास में किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र मादल व मृदंग होता है। नृत्यकर्ताओं के हाथ में डण्डा होता है। नर्तकों की संख्या 16 से 20 तक होती है डंडा नृत्य में डण्डा गीत गाये जाते है। गीता भगवान श्रीकृष्ण व श्रीराम की जीवनी से संबंधित होता है वर्तमान में इस नृत्य का प्रचलन क्षीण होता जा रहा है। यह भी पुरूष प्रधान नृत्य है।

3. **सुआ नृत्य** :– यह महिलाओं का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं होता है। नृत्य में महिलाएं दो कतार बनाकर नृत्य करती है बीच में सुवासिन होती है, जिसके सिर पर मिट्टी के पात्र में सजाई हुई धान की बाली, आम के पत्ते व जलते हुए दीपक का कलश होता है। सुआसिन सुआ गीत गाकर नृत्य शुभारंभ करती है। कतारबद्ध महिलाएं गीत की पारी पारी से पुनरावृत्ति करती है तथा लय से तालियां बजाकर नृत्य करती है।

4. **बार नृत्य** :– यह नृत्य भरिया/भारिया जाति का समूह नृत्य है। यह नृत्य माह माघ–पौष में 12 दिनों तक नाचते है। इस नृत्य में महिला–पुरूष तथा बच्चे सभी भाग लेते है। ढोल, मादक, झांझ, हिरकी, मोहरी, निशान, डफली प्रमुख यंत्र होते है। बीच–बीच में नृत्य को बंदकर वादकगण भरनी बाजा बजाते है। इससे व्यक्ति विशेष को देव चढ़ता है। नृत्य के प्रमुख देव

बाररानी बार राजा होते है। अन्य देवों में ठाकुर देव, भीमसेन, हनुमानजी, महिसासुर व अन्य स्थानीय देवी–देवताएं होते है।

5. <u>करमा नृत्य</u> :– भरिया/भारिया जाति यह नृत्य अन्य आदिवासी जातियों जैसे गोंड, बिंझवार, कंवर एवं अन्य ग्रामीण बंधुओं के साथ माह भादों में नाचते है। इस नृत्य में करमसेन की पूजा की जाती है। आंगन के बीच में करमी की डगांल गाड़ दी जाती है। नर्तक उसके चारों ओर नाचते है। यह महिलाओं व पुरूषों का नृत्य है। मांदल प्रमुख वाद्य यंत्र होता है।

6. <u>डिडवा नृत्य</u> :– इसे मिडुआ नृत्य भी कहते है। यह नृत्य बारात प्रस्थान पर वर के आंगन में मण्डप के नीचे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलायें पुरूष वेषभूषा धारण की हुई होती है। महिलाएं नकली मूछ एवं दाढ़ी बनाकर नाचती है। हाथ में सूपे में कंकड एवं खपरैल के टुकड़े रखकर आवाज निकालते है। बीच–बीच में राख फेकते है। इस नृत्य में फूहड शब्दों का उपयोग किया जाता है। नृत्य में बीच–बीच में दोहे पारे जाते है।

9.2. लोक गीत :–

1. <u>डण्डा गीत</u> :–

कोन बन निकल चले दुनों भाई जी, कोन बन निकल चले।

आगे तो आगे भईया राम जी चलत हैं .... ।

पीछे में लक्ष्मन भाई .... जी ।।

मांझे मझोलन सिया जानकी .... ।

चित्रकुट बर जाई .... ।।

भावार्थ :– भगवान श्रीरामचंद्र जी, श्री लक्ष्मणजी एवं मॉ सीता जानकी किस जंगल की ओर निकले है ? पुनः इस गीत में चित्रकुट जंगल की ओर तीनों की निकलने की जानकारी उदघृत है।

2. <u>सुआ गीत</u> :–

कोन खोली जाथे मोर लहॅंगा ना रे सुआ ना ।

कोन खोली जाथे बीरावान ।।

राजा खोली जाथे लहॅंगा सुपाड़ी ना रे सुआ ना ।

रानी खोली जाथे बीरावान .... ।।

भावार्थ :– कौन किस गली में लहंगा, सुपाड़ी एवं बीरापान लेकर जा रहा है ? प्रति उत्तर में लहंगा, सुपाड़ी को राजा गलीं एवं, बीरापान को रानी की गली को जाने की जानकारी मिलती है। यह प्रश्न एक तोता दुसरे तोता से करता है एवं दुसरा तोता उसका जवाब देता है।

3. करमा गीत :–

हरे हरे रे .... हरे हरे रे .... अलबेला मोर

तिरछी नजरिया भवां के मारे

ये भवा के मारे रे अलबेला मोर

तिरछी नजरिया भवां के मारे .... ।

भावार्थ :– महिला एवं पुरूष अपने प्रिय प्रियतम से एक दूसरे पर ताना मारते हुए तिरछी निगाह से क्यों देख रहे हो ? इस गानें के माध्यम से व्यक्त करते है।

4. बिहाव गीत :–

दरबर दरबर आया बरतिया कोठा में ओलिहाया हों

कोठा के तो किरनी चाबीस खपरा म खजआया हों

नदिया तीर के पटुआ भाजी पट पट करत है

ये गावन के टुरिया मन मट मट मट करत है।

भावार्थ :– कन्या पक्ष की सुआसिनें अपनी महिला समूहों के साथ बारातियों को वर पक्ष वालों को मवेशियों की तरह भीड़ बढ़ाकर बारात आने एवं कोठे में घुस जाने का ताना देती है, कोठा की किरनी जब काटेगी तो खपरैल के टुकड़े से खुजलाने की सलाह देती है।

5. बार गीत :–

हाथ मोर दइया गे रामे तो भइया ।

तोला ये मया नही लागे ।।

पऊर के सुरता एसो ले लमाए।

तो ए मया नही लागे।।

भावार्थ :– इस गीत के माध्यम से प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे को प्रेम की पीड़ा न भूल जाने की याद दिलाते हैं। कहते है इस वर्ष के प्रेम की याद अगले वर्ष तक रखना।

9.3 बोली, पहेलियां, कहावतें :– भरिया/भारिया जाति के अनुसार इनकी प्राचीन बोली भरियाटी थी। इनके पूर्वज भरियाटी बोली बोलते रहे हैं। यह बोली अब भारिया जाति के लोग नही बोल सकते है। यह बोली छत्तीसगढ़ी के प्रभाव से लुप्त हो चुकी है। प्रत्येक भारिया हिन्दी समझ सकता है और सामान्यतः बोलने में हिन्दी का प्रयोग करता है। 55 वर्षीय कलेशराम भारिया के अनुसार भरियाटी बोली के कुछ शब्दांश और उसका हिन्दी अर्थ निम्नानुसार है :–

	भरियारी बोली		हिन्दी अर्थ
1	या	–	तुम्हारा
2	नावां	–	नाम
3	तु	–	तुम
4	कता	–	कहां
5	घरा	–	घर
6	कता सी	–	कहां से
7	मुंड	–	सिर
8	चुंदी	–	बाल
9	चंडी	–	भौ
10	बांहटा	–	भुजा
11	मोय	–	मै
12	इता	–	यहां
13	उता	–	वहां
14	इते	–	इधर
15	उते	–	उधर
16	टां	–	टाकरा

भारियाटी बोली के कुछ वाक्य एवं उसका हिंदी अर्थ

	भरिया/भारिया बोली	हिन्दी अर्थ
1	तू कितो आछर पढ़त	तुम कितना पढ़ते हो।
2	तू इता दूरे	तुम यहां आना।
3	तू कताः सी इरे	तुम कहां से आये हों।
4	तोरा नांवा का आछर	तुम्हारा नाम क्या है।
5	या गांवा नांवा का आछर	तुम्हारे गांव का नाम क्या है।

पहेलियाँ :–

1 पेड न पत्ता चली जाय कलकत्ता।

उत्तर – सड़क।

2. तारक ऊपरा तारा हारेक उपरा बैठय तह सीलदारा।

उत्तर – मकड़ी या उसका जाल।

3. हरी बिलइया झबरी पूँछ तै नई जानस तोर दाई से पूछ।

उत्तर – भुट्टा।

4. तनक सी चिड़ियाँ, डुम्मक या पेट, कता गरी चिडिया जोगी के देष।

उत्तर – कलाम दवात व चिट्ठी।

5. हला भाई हलो उठाके पॉव धरलो मन चाहे सो करलो।

उत्तर – सायकल।

कहावतें :–

1 बोकडा ढूढे छोकड़ा।

(अर्थ – असंभव बात)

2 एक हाथ खीरा के नौ हाथ बीजा

(भावार्थ – छोटी बात को बड़ा बताना)

3 घघरी में रीछ

(भावार्थ – किसी बड़ी बात को छुपाना)

****

अध्याय–10

परिवर्तन एवं समस्याएँ

10.1 परिवर्तन :–

भरिया/भारिया जाति में सर्वेक्षण के दौरान सामान्य जनजीवन में शिक्षा, आवागमन, संचार संसाधनों व अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क के कारण इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक विशिष्टताओं में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होता है। जो निम्नानुसार है :–

1. भौतिक परिवर्तन –

(अ) आवास :– अधिकांश मकान मिट्टी के बने हुये है। दीवारों का प्लास्टर मिट्टी के स्थान पर सीमेंट व बालू के मिश्रण से किया जाने लगा है जिससे मकान ईंट का बना प्रतीत होता है। छत के निर्माण में घास के स्थान पर लकडियां व खपरैल से बनता दिखाई पड़ रहा है। छत के नीचे पटाव बनाया जाने लगा है। घर के अन्दर दीवाल पर वस्तुएं रखने हेतु "फूला" एवं "पठेरा" के स्थान पर लकड़ी के पल्ले या चपटे पत्थर से खण्ड कर रेक बनाये जाने लगे है। दीवालों पर आदिम प्राकृतिक अंकन जैसे उड़ती चिड़िया, गमला फूल, चांद सूरज आदि जिसे भारिया महिलाएं "नहडोरा" कहती है सीमेन्ट के प्लास्टर से मिटता दिखाई पड़ता है। दीवालों की पोताई गोबर, छूही मिट्टी से न कर चूने से पोताई किये जाने लगे है। अधिकांश घरों में रोशनी हेतु मिट्टी की चिमनी, ढिबरी, लालटेन के स्थान पर एकल बत्ती कनेक्शन की व्यवस्था दिखाई पड़ती है।

(ब) बर्तन :– घरेलू उपयोग हेतु बनी मिट्टी के बर्तनों जैसे मरकी, कुडेरा, डोकसी, तेलई आदि के स्थान पर लोहा, कांसा, पीतल एवं एल्युमिनियम से निर्मित हअुंला, बटुआ, गुण्डी, कड़ाही, तवा आदि का उपयोग किया जाने लगा है। कांसे से बनी थाली, कटोरी, मिगास व लोटा के स्थान पर स्टील से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाने लगा है। मद्यपान हेतु पत्ते व दोने के स्थान पर कांच के गिलास व डिस्पोजल गिलास का उपयोग किया जाने लगा है।

(स) वाद्‌य यंत्र :– भरिया/भारिया अपने लोक नृत्य एवं गीतों में पारम्परिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, मांदल ढोलक, झांझ, मजीरों के साथ साथ आधुनिक यंत्रों जैसे हार्मोनियम, केसियो, आर्गन, तबला आदि को शामिल कर लिया गया है।

(द) शारीरिक स्वच्छता :– भरिया/भारिया नित्य प्रति नहाने लगे है। शारीरिक स्वच्छता के लिए खूशबुदार साबुन, दांत–जीभ आदि की सफाई के लिए दातून के स्थान पर ब्रश व जीभी का उपयोग करने लगे है। वृद्ध महिलाएं बाल धोने के लिए मिट्टी व राख के स्थान पर साबून का उपयोग करने लगी है। लुगड़ा व अन्य वस्त्रों को साफ करने के लिए राख के स्थान पर साबून का उपयोग करनी लगी है। महिलाएं मोटे रंगीन लाल हरे रंग के लुगड़े के स्थान पर प्रिंटेड पतली साडियॉ. पहनने लगी है। शरीर व बाल की चिकनाई हेतु कोसम व गुल्ली के तेल के स्थान पर नारियल तेल का उपयोग करने लगे है। बाल को सुलझाने के लिए बांस की सींक से बनी ''ककई'' के स्थान पर कंघी का उपयोग करने लगे है। वर्तमान युवा महिलाएं रंगीन साड़ियां व आंतरिक अंगों में पेन्टी, ब्रा साया आदि का उपयोग करने लगे है। चेहरे पर सुन्दरता के लिए पाउडर, स्नों व विभिन्न प्रकार के क्रीम का उपयोग करने लगे है। प्रत्येक महिलाएं पैरों पर चप्पल पहनी हुई दिखाई पड़ती है। भारिया युवकों में माथे पर पट्टा/पगड़ा बांधने व हाथ की कलाई पर चूड़ा पहनने का प्रचलन अब कम दिखाई पड़ता है। शरीर पर पेंट, टी–शर्ट, जींस, पैजामा, कुर्ता आदि पहने हुए पाये जाते है। वृद्ध लूंगी, धोती, कमीज, पहने दिखाई पड़ते है। लंगोटा, पटका, पहनने का प्रभाव मिटता दिखाई देता है। महिलाएं सस्ती धातु से बने गहनों के स्थान पर आर्थिक स्थिति अनुसार सोने चांदी आदि के गहने पहने प्रतीत होती है।

2. आर्थिक परिवर्तन –

(अ) भरिया/भारिया जाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला आदिम कृषि ''दहिया खेती'' विलुप्त हो गयी है। सभी भारिया परिवार स्थायी कृषि कर अपना जीवय यापन कर रहे हैं। कृषि में परम्परागत खाद गोबर, कुड़ा–करकट के स्थान पर आधुनिक खाद जैसे यूरिया, सूपरफास्फेट आदि अन्य रासायनिक खाद का उपयोग प्रारंभ हो गया है। कृषि फसल में कीट प्रकोप को मारने भगाने में किया जाने वाला नीम के पत्ते का उबला पानी तेल व खली के स्थान पर रासायनिक कीटनाशक मेलाथियान का उपयोग किया जाने लगा है।

(ब) वस्तु विनिमय :– सेठ साहूकारों एवं बाजार से वस्तु विनिमय से किया जाने वाला क्रय समाप्ति की स्थिति में हैं सभी भारिया दैनिक जीवनोंपयोगी वस्तुएं नगद खरीदने लगे है।

3. **सामाजिक परिवर्तन** –

(अ) पारिवारिक सुरक्षा एवं मजबूत आर्थिक संगठन की दृष्टि से पूर्व में पाया जाने वाला संयुक्त परिवार अब एकाकी परिवार में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है।

(ब) अंतर्जातीय समुदायों से संबंधित नियमों का सामाजिक स्तर पर पूर्व में पालन किये जाने वाले नियमों का विशेषकर खान–पान परस्पर सहयोग आदि विषयों में शिथिलता दिखाई पड़ती है।

4. **जीवन चक्र में परिवर्तन** –

1. गर्भवती माताओं में गर्भावस्था से लेकर प्रसव काल तक निरंतर कार्य करते रहने की प्रवृति कम होना प्रतीत होता है।
2. गर्भावस्था में तकलीफ व पीड़ादायक प्रसव होने पर पूर्णतया पारंपरिक उपचार पर निर्भर न होकर आधुनिक चिकित्सा की मदद ली जाने लगी है।
3. गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संचालित सेवाओं का लाभ लेने लगे है।
4. गर्भावस्था व शिशुओं में टीकाकरण के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है।
5. पूर्व में विवाह वर व कन्या के वयस्क होने पर ही सम्पन्न किया जाता रहा, वर्तमान में कन्या की कम आयु में विवाह किया जाने लगा है।
6. पूर्व में श्रृंगार टाटी कलात्मक होता था, वर्तमान में प्रतीकात्मक होने लगा है।
7. मंगरोहन की सजावट पूर्व की अपेक्षा कम परिलक्षित होती है।
8. पूर्व में वर एवं कन्या को विवाहोपरांत पहनाये जाने वाला "मौर" छींद पत्ता का बना होता था। वर्तमान पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ आधुनिक यंत्रों का समावेश होने लगा है।
9. पर्व एवं त्यौहारों पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ आधुनिक यंत्रों का समावेश होने लगा है।
10. बारात पैदल व बैलगाड़ी से जाने का प्रचलन बंद हो गया है। अब ट्रेक्टर, जीप व मिनी बसों का उपयोग किया जाने लगा है।
11. भरिया/भारिया का आदिम लोकनृत्य भारियाटी विलुप्त प्राय है। फसल कटाई पश्चात पौष मास में माह भर चलने वाला डंडा व सुवानृत्य भी खत्म होने के कगार पर है। अगहन और पौष मास में 12 दिनों तक चलने वाला बारनृत्य भी वर्तमान पीढ़ी भूलता जा रहा है।

5. **शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन :–** भरिया/भारिया जाति में पूर्व की अपेक्षा शिक्षा के स्तर में काफी सुधार परिलक्षित होता है। वर्तमान में महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों में शिक्षा का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। सन् 1955 से पूर्व इनमें शिक्षा का स्तर शून्य था।

6. **संगठन में परिवर्तन :–** भरिया/भारिया जाति में सामाजिक संगठन में ग्राम, केन्द्र व जिला स्तर पर परंपरागत जाति पंचायते यथावत कार्य कर रही है। इनके पदाधिकारी भी परम्परागत है। वर्तमान में जातिगत समस्या एवं उसके शासन स्तर पर निदान की दृष्टि से सामाजिक स्तर पर ''क्षेत्रीय भारिया समाज क्षेत्र कोरबा'' एवं कुछ पढ़े लिखे नवयुवकों के द्वारा ''भारिया युवा उत्थान समिति'' नामक संगठन तैयार किया गया है। इन संगठनों में अध्यक्ष महामंत्री, खजांची सचिव, व सलाहकार समिति का पद निर्मित कर इन पदों पर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये दोनों संगठन परम्परागत संगठन को सहयोग प्रदान करते हुए प्रतिवर्ष महासभा का आयोजन कर सामाजिक विकास का रास्ता तय करने में जुटा हुआ है।

10.2 समस्याएं :– भरिया/भारिया जाति में पायी जाने वाली मुख्य समस्याएं निम्न है :–

1. सामाजिक समस्याएं–

(अ) भरिया/भारिया जाति में वर व कन्या के वयस्क होने पर ही वैवाहिक संस्कार किये जाने की प्रथा खत्म होती जा रही है। वर्तमान में कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम आयु में विवाह किया जाने लगा है।

(ब) भरिया/भारिया जाति में नशाखोरी से पारिवारिक एवं सामाजिक अशांति के साथ साथ सामाजिक विकास में बाधाएं आ रही है।

2. आर्थिक समस्याएं–

(अ) लगभग सभी भारिया परिवारों की कृषि असिंचित है व मानसूनी वर्षा पर निर्भर है फलस्वरूप वर्ष में एक ही फसल ली जाती है। ये पारम्परिक पद्धति एवं उपकरणों से कृषि कार्य करते है। उपरोक्त कारणों से अनाज उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है, जो वर्ष भर के लिए परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है।

(ब) वनोपज भी कम मात्रा में उपलब्ध होने व उसका उचित मूल्य न मिलने के कारण इनमें जीविकोपार्जन की समस्याएं परिलक्षित होती है।

(स) इनकी अर्थव्यवस्था में मजदूरी का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इन्हें पर्याप्त दिनों की मजदूरी कार्य न मिल पाना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।

(द) समस्त संसाधनों से इनकी वार्षिक आय इतनी नहीं है कि ये पारिवारिक आवश्यकताओं व आकस्मिक व्यय को पूर्ण कर सकें, अतः इन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। ऋणग्रस्तता भी इनकी एक बड़ी समस्या है।

(इ) भरिया/भारिया बाहुल्य ग्राम गेरवॉ, जलपोश, भांठापारा के क्रमशः नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन, हसदेव ताप विद्युत परियोजना, हसदेव सिंचाई परियोजना, आई.बी.पी. प्रोजेक्ट के द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप भूमि के बदले शासन से प्राप्त मुआवजे की राशि से भारिया कोरबा जिले के बिभिन्न विकास खण्डों के कई ग्रामों में आदिवासियों जैसे – गोंड़, कंवर, खैरवार, व तंवर जाति से कृषि योग्य जमीन क्रय कर जीवकोपार्जन कर रहे है। शासन के द्वारा इन्हें आदिवासी नहीं मानने के फैसले की जानकारी प्राप्त होते ही ये आदिवासी गोंड़, कंवर, खैरवार, तंवर जाति के लोग अपनी विक्रय कर चुके भूमि को 170 'ख' के प्रकरण के तहत राजस्व न्यायालय से वापस प्राप्त कर काबिज हो रहे है। राजस्व न्यायालय के निर्णय से भरिया परिवारों के द्वारा उन्हें उनकी भूमि लौटा दी जा रही है।

राज्य एवं केन्द्र सरकार इनकी देय भूमि पर उल्लेखित प्रतिष्ठानों का निर्माण कर लाखों करोड़ो की राजस्व प्राप्त कर रही है वही दूसरी ओर सीमित जनसंख्या वाला समुदाय शासन से निर्मित प्रतिष्ठानों से प्राप्त मुआवजे की राशि से जो जमीन क्रय कर कृषि कार्य कर जीवकोपार्जन कर रहे हैं वह भी 170 'ख' के प्रकरण के तहत राजस्व न्यायालयों के द्वारा विक्रेता आदिवासी भू–स्वामी को वापस लौटा दी जा रही है। भारिया जाति के लोगो पर गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

ग्राम सेन्दरीपाली निवासी श्री पुनीराम, बम्हनी चैतमा निवासी श्री नरहर साय एवं उचितराम व भांठापारा निवासी श्री कवल साय भारिया की भूमि 170 'ख' के तहत विक्रेता आदिवासी भू–स्वामी गोंड़, खैरवार, तंवर जाति को वापस लौटा दी गई है। इस प्रकार अधिकांश भारिया परिवारों के सदस्यों पर 170 'ख' का प्रकरण राजस्व न्यायालंयों में चल रहा है।

3. स्वास्थ्य समस्याएं–

(अ) भरिया/भारिया निवासरत ग्रामों के नजदीक आधुनिक चिकित्सा संस्थानों के होते हुए भी ये लोग जादूटोना, भूतप्रेत आदि पर विश्वास रखते हुए अपनी पारंपरिक वैद्य एवं गुनियों से पहले उपचार को प्राथमिकता देते है जिससे मृत्यु भी हो जाती है। इन्हें बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता है।

(ब) भरिया/भारिया जाति में प्रसव कार्य पारंपरिक महिला "सुनमाई" द्वारा सम्पन्न कराने की प्रथा है। जो कि अन्य ग्राम से आती है। कभी कभी सुनमाई के समय पर नहीं पहुंचने से जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। अतः इनके ही समुदाय की ऐसी अनुभवी महिला का प्रशिक्षित न होना महत्वपूर्ण समस्या है। वर्तमान में शासन के द्वारा मितानिन दीदी को इस कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4. शैक्षणिक समस्याएं–

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के गठन वर्ष 1955–56 से इन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं राज्य शासन के द्वारा दी जाती रही है। जनजाति की सुविधाएं जैसे छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधाएं न मिलने से अपमानित महसूस कर भारिया जाति के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके है। इस प्रकार छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधाएं न मिलने से इनके शैक्षणिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

(ब) शासकीय सेवाओं की आश लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगार अपना भविष्य अंघकार मानकर नशाखोरी की चपेट में आ चुके है जो सामाजिक विनाश का मुख्य कारण बनता जा रहा है।

5. शासकीय सेवाओं से बर्खास्तगी की समस्याएं

भरिया/भारिया जाति के कुछ गिने चुने शिक्षित बेरोजगारों श्री दूबराज सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री राधेलाल, श्री शिवराम एवं श्रीमती गीता भारिया आदि की वर्ष 1989 में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की गई थी। इन्हें 10 वर्षो की सेवा पश्चात शासकीय सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षक नशे का आदि हो चुके है। इनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे परिवारों के कई सदस्य रूपये पैसे के अभाव में इलाज न करा पाने पर स्वर्ग को सिधार चुके हैं। सहायक शिक्षक श्री परवस्ती लाल एवं श्री संतोष कुमार भारिया से बार बार जाति सत्यापन प्रमाण पत्र विभाग द्वारा मांगा जा रहा है। इस प्रकार इनके विरूद्ध बर्खास्तगी की प्रक्रिया चल रही है।

अध्याय–11

जनजातीय लक्षण

अध्ययन किये गये भरिया/भारिया (भारीया) जाति में नृजातीय परीक्षण अध्ययन के दौरान निम्नाकित जनजातीय लक्षण पाये गये :–

क्र.	जनजातीय लक्षण	भरिया/भारिया जाति में स्थिति
1	निवास क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के आदिवासी 5 विकास खण्डों कटघोरा, पाली, पोड़ी–उपरोड़ा, कोरबा एवं करतला तथा बिलासपुर जिले के वि.ख. गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही में अन्य अनुसूचित जनजातियों जैसे गोड़, कंवर, बिंझवार, धनवार आदि के साथ निवासरत् हैं।
2	भाषा बोली	इनकी प्राचीनतम् बोली भरियाटी रही है। ये भरियाटी बोली बोलते रहे है। यह गोड़ी बोली से मिलती जुलती है। यह बोली द्रविडयन मुड़ा परिवार की बोली है। वर्तमान में प्रत्येक भारिया बोलने में छत्तीसगढ़ी या हिन्दी का प्रयोग करते हैं।
3	प्रजातीय लक्षण	भरिया/भारिया जाति में द्रविड़यन प्रजाति के लक्षण दिखाई पड़ते है।
4	टोटम या गोत्र	भरिया/भारियाओं का गोत्र एवं गोत्र चिन्ह प्रकृति, पदार्थ, पेड़ पौधे व जीव जन्तु से जुड़ा हुआ है। भारिया जाति में पाये जाने वाले गोत्रों के निम्नाकित टोटम चिन्ह पाये गये : बाघनिया–बाघ, नेवरिया–नेवरा, खमरिया–खमार वृक्ष, अमोरिया–आम वृक्ष, अंगारिया –आग, परेतिया–प्रेतयोगी, केशरिया–बंदर, सोनवानी–बगेसर, परतोती–पंखावाला, नैकहा–कुत्ता पंजा, ध्रुर्वा–अर्गवाहक, पेन्द्राम– देवपेड, पोट्टा–केशरवाना, बेल्दा–नागवाना आदि।
5	अर्थव्यवस्था	भरिया/भारियाजाति में जीवकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। पूर्व में ये दहियाखेती नाम से आदिम कृषि करते रहे हैं। वर्तमान में सभी परिवार स्थायी कृषि करते है। कृषि के सिवाय कृषि मजदूरी, वनोपज संग्रहण तथा औद्योगिक संस्थानों में ठेका मजदूरी कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
6	भ्राता–भगिनी संतति विवाह	इनमें मामा की लड़की से विवाह किया जाता है।
7	वधू मूल्य	इनमें वधूमूल्य प्रथा प्रचलित है। वधूमूल्य वर पक्ष द्वारा अदा की जाती है। वधूमूल्य में पांच नग साड़ियां, पांच सौ एक रूपये, एक खंडी चावल, बीस किलो दाल और क्षमता अनुसार गहने वधु पक्ष को दिया जाता है।
8	संस्कार	इनमें जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार में ब्राम्हण, नाई, धोबी की सेवाएं ली जाती है।
9	साक्षरता	साक्षरता का प्रतिशत भरिया/भारिया जाति में जिला बिलासपुर में 52.

		50 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की साक्षरता 67.48 प्रतिशत तथा महिलाओं में साक्षरता 38.04 प्रतिशत पाई गई है। इसी प्रकार जिला कोरबा में साक्षरता का प्रतिशत 64.86 है जिसमें पुरूषों की साक्षरता 70.22 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 58.79 प्रतिशत है (05 वर्ष की उम्र संख्या को छोड़कर)
10	देवी–देवता	भरिया/भारिया बहुदेववाद पर विश्वास करते है। इनके देवी देवताओं में हिन्दू देवी–देवताओं का समावेश है। भगवान शंकरजी इनके मुख्य देवता है। मां विंध्यवासिनी, समलई, मां कोसगई इनकी देवियां है बुढ़ादेव ठाकुर देव इनके ग्राम देवता है। बाघेश्वर देव, पूर्वज देव, अर्जुन देव, बरूआ, नाग, कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भारिया प्रकृति की जैसें नदी, पहाड़, जंगल, भूमि, सूर्य, चन्द्र आदि की भी पूजा करते है।
11	धर्म	धर्म की मान्यता की दृष्टि से भरिया/भारिया हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। इनमें अपने संकल्प के लिये सत्यनारायण की कथा व अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने की परम्परा है। इनके धर्म की प्रकृति में आत्मा/पूर्वजों की पूजा पायी गई है।
12	सामाजिक स्तरीकरण में जनजातियों से संबंध	भरिया/भारिया जाति गोड़, कंवर, भूमिया, पंडो के समकक्ष जाति समूह है। इनके साथ रोटी का संबंध पाया जाता है। वैवाहिकी संबंध नहीं होता है। यह जाति पूर्णतः अन्तर्विवाही समूह है।
13	प्राचीन सामाजिक संबंध	प्राचीन काल में भार एवं गोंड़ से अर्न्तजातीय संबंध तथा भूमिया, पण्डो जाति को उप जाति के रूप में व्यक्त किया जाता है। भार एवं गोड़ से अर्न्तजातीय संबंध पाये जाने से इनके आदिम होने की पुष्टि होती है। उल्लेखित चारों जातियॉ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत सूची में जनजाति के रूप में मान्य है।
14	लोकनृत्य	इनका परम्परागत नृत्य भरनाटी, कर्मा, बार, डण्डा, सुआ व परघौनी नृत्य है। भरनाटी नृत्य, कर्मा, सुआनृत्य विलुप्त हो चुका है। डिडआनृत्य व परधौनी नृत्य वर्तमान में विद्यमान हैं। पर्व त्यौहारों और खुशियों के अवसर पर नाचने गाने की परम्परा है।
15	लोकगीत	इनमें विभिन्न अवसरों पर लोकगीत जैसे डण्डांगीत, साल्होगीत, जसगीत, बारगीत, बिहाव गीत, डिंडवा गीत, बिदाईगीत आदि गाने की प्रथा है। ये लोक गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते है।
16	परिवार	भरिया/भारिया जाति में संयुक्त एवं एकाकी दोनों प्रकार का परिवार पाया जाता है। अपेक्षाकृत एकाकी परिवार की संख्या अधिक है। संयुक्त परिवार में पिता ही परिवार का मुखिया होता है।
17	सत्ता, संपत्ति हस्तांतरण	इनमें परिवार पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक होता है। विवाह के पश्चात पिता अपने सम्पत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों को कर देता है। सबसे बड़े पुत्र को कुछ अधिक भूमि देने का प्रावधान है। पिता की सम्पत्ति पर पुत्रियों का अधिकार सामान्यतः नहीं पाया जाता है। पुत्र न होने पर पुत्रियां सम्पत्ति की अधिकारी होती हैं।
18	शिकार/मत्स्याखेट	ये मांसाहारी होते हैं। बकरा, खरगोश, स्याही, कोटरी तथा पक्षियों में तीतर, बटेर, पड़की, जुहरा आदि का मांस खाते है। समूह बनाकर

		शिकार करने जाते है इसे 'खेदाकरना' कहते हैं। शिकार करने के लिए कुल्हाड़ी, तीर कमान, गुलेल, चोप, गवा व विभिन्न प्रकार के औजारों व फंदो का प्रयोग करते हैं। कुल्हाड़ी भारियाओं का मुख्य हथियार होता है।
19	गोदना	इनमें महिलाएं गोदना को अमिट गहना मानती है। उनका मानना है कि गोदना शरीर को स्वस्थ रखता है, जो महिलाएं गोदना नहीं गोदवाती है उन्हें ससुराल में सम्मान नहीं मिलता है। महिलाएं शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां गोदवाती है। ''धंधा'' नामक गोदने को अपनी भावी पति का प्रतीक चिन्ह मानती है।
20	अन्धविश्वास, भूतप्रेत, जादूटोना	ये लोग भूतप्रेतयोनी पर अत्यधिक विश्वास रखते हैं। मसान, रकसा, परेतिन एवं मुड़खेरी इनके भूतों के नाम है। असामयिक मौत पर आदमी भूत अवश्य बनता है ऐसा इनका मानना है। इनके अनुसार हर पुराने पेड़ पर भूत का वास होता है। यह लोग जादू टोना पर विश्वास करते हैं।

****

अध्याय–12

निष्कर्ष एवं अभिमत

12.1 निष्कर्ष :–

1 बिलासपुर संभाग में जिला बिलासपुर एवं कोरबा जिले में निवासरत भरिया/भारिया जाति को मध्यप्रदेश राज्य के गठन वर्ष 1956 से 1998 तक लगातार अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं शासन द्वारा दी जाती रही है, लम्बी अवधि तक सुविधाएं मिलने के बावजूद इनका जीवन स्तर अत्यंत पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक स्थिति दयनीय है, राज्य की शासकीय सेवाओं में उपस्थिति नगण्य है।

2. सेन्सस ऑफ इण्डिया 1961 मध्यप्रदेश डिस्ट्रिकट सेन्सस हैण्डबुक बिलासपुर जो मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 1964 में प्रकाशित की गई है, में भारिया जाति के पुरूषों की संख्या 834 तथा महिलाओं की संख्या 854 दर्ज है। अनुलग्न–01

3. वर्ष 1929–30 के मिसल राजस्व रिकार्डो में तत्कालीन अभिलेखकर्ताओं के द्वारा उच्चारण में गलती के कारण भारिया को कही भारिया, भरिया, भारीया तो कहीं भौरिया, भोरिया, भेरिया, भैरिया, भूमिया आदि अभिलेखित कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 1955–70 के मध्य शालेय अभिलेखों में भारिया को भुरिया, भूरिया, भोरिया भारिया के रूप में दर्ज किया गया है लेकिन तब इन्हें छात्रवृत्ति व छात्रावास की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

4. वर्ष 1960 में तहसीलदार तहसील कटघोरा के द्वारा अनुसूचित (हरिजन) जाति व अनुसूचित (भूमिजन) जाति की सूची में भारिया क्र.4 पर दर्ज है। अनुलग्न–02

5. वर्ष 1929–30 के मिसल राजस्व रिकार्ड में भारिया जाति के कृषकों की जाति भारिया में काले रंग की स्केच पेन से कूट रचना कर "भ" में "आ" कि मात्रा में "ै" "ओ" की मात्रा लगाकर भारिया को भोरिया बना दिया गया है। यह कूट रचना भारिया बाहुल्य कुछ ग्रामों के कृषकों की जाति में की गई है। यह समाचार दैनिक समाचार पत्र नवभारत बिलासपुर में 11 सितम्बर 2000 को प्रकाशित भी हुआ है, तत्कालीन रिकार्ड रूम प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है। अनुलग्न–03

6. कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग बिलासपुर एवं परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा के द्वारा वर्ष 1992–93 में कराई गई सर्वेक्षण के आधार

पर कोरबा परियोजनांतर्गत कुल 32 ग्रामों में भारिया जाति के 436 परिवार तथा जनसंख्या 1796 पायी गई है। अनुलग्न–04

7. सर्वेक्षित ग्रामों के सभी भरिया/भारिया परिवारों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि, कृषि मजदूरी, वनोपज संग्रहण, ठेका मजदूरी करना पाया गया है। सर्वेक्षित ग्रामों के ग्राम वासियों जनप्रतिनिधियों के द्वारा सर्वेक्षण के दरम्यान इसे प्रमाणित किया गया है। जिला प्रशासन कोरबा का प्रतिवेदन भी इनकी पुष्टि करता है। अनुलग्न–05

8. सर्वेक्षित सभी ग्रामों के भरिया/भारिया परिवारों का जातिगत संबंध कोष्टा (देवांगन) समाज से नहीं होना पाया गया और न ही इनका मुख्य व्यवसाय बुनकरी करना अथवा कपड़ा बुनना पाया गया। जिला प्रशासन कोरबा का प्रतिवेदन भी इसकी पुष्टि करता है।

9. कोस्टा (देवांगन) समाज क्षेत्र छुरी कटघोरा के अध्यक्ष श्री आत्माराम मेहर व पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र अकलतरा श्री छतराम देवांगन के द्वारा अपने कोस्टा समाज से कटघोरा क्षेत्र के भरिया/भारिया (तथाकथित भोरिया) जाति से पुरातन/वर्तमान में कोई खानदानी जातिगत संबंध होने से इंकार किया है। जिला प्रशासन कोरबा भी अपने प्रतिवेदन में इन्हें कोस्टा जाति की उपजाति के रूप में मानने से असहमति प्रदान किया है। अनुलग्न–06

10. सर्वेक्षित विकासखण्डों के ग्रामों में निवासरत भरिया/भारिया परिवारों के सिवाय और कोई दूसरी भारिया जाति नहीं है।

12.2 :–

1. भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 05 पर भारिया, भूमियां, भूईहार, भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो जनजाति शामिल है भारिया जाति का एक अन्य समूह छ.ग. राज्य के जिला बिलासपुर एवं जिला रायगढ़ आदि जिले में निवासरत् है।

2. मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 05 पर BHARIA दो बार अंकित है। इसका हिन्दी अनुवाद में ''भारिया'' भी दो बार अंकित है जबकि BHARIA का हिन्दी अनुवाद, भारिया एवं भरिया दोनो होता है।

4. **माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ (माननीय पांच न्यायाधीशों की बेंच)** के निर्णय AIR 2001 SC 393 महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने निम्नाकिंत आदेश पारित किया है :

(i) अनुसूचित जनजाति आदेश को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह हैं। ऐसा कहने की अनुमति दिये जाने योग्य नहीं है, कि एक जनजाति, उपजनजाति किसी जनजाति अथवा जनजाति समुदाय का भाग अथवा समूह अथवा पर्यायवाची है, यदि वह जाति उक्त आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है।

(ii)संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी किये गये अनुसूचित जनजाति अधिसूचना (सूची) को केवल संसद द्वारा बनाये गये विधि के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जनजाति अथवा किसी जनजाति के भाग या समूह को शामिल करने अथवा निकालने का कार्य केवल संसद में ही बनाये गये विधि के द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं।

(iii)अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विशिष्ट रूप से वर्णित अनुसूचित जनजाति की सूची में परिवर्तन, संशोधन अथवा सुधार करने का अधिकार राज्य शासन अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारियों (अथॉरिटी) को नहीं हैं।

12.3 अभिमत :—

माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में परिवर्तन, संशोधन अथवा सुधार का अधिकार राज्य शासन को नहीं है, अतः भारत सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ की अनु.जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 05 पर भारिया (BHARIA) के साथ भरिया शब्द को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

****

(पी.एल.चौधरी)
उप संचालक,
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

अनुलग्न - 01

CENSUS OF INDIA 1961

MADHYA PRADESH

DISTRICT CENSUS HANDBOOK

BILASPUR DISTRICT

G. JAGATHPATHI
OF THE INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE
SUPERINTENDENT OF CENSUS OPERATIONS, MADHYA PRADESH

PUBLISHED BY THE GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
1964

TAHSILWISE POPULATION OF SCHEDULED TRIBES *IN RURAL AREAS ONLY*

BILASPUR DISTRICT

Name of Scheduled Tribe	1 Mungeli Tahsil		2 Bilaspur Tahsil		3 Katghora Tahsil		4 Janjgir Tahsil		5 Sakti Tahsil	
	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Scheduled Tribes	..	..	92,060	93,515	87,306	87,937	..	..	..	..
Baiga	..	..	1,529	1,150	106	102	..	..	..	..
haina	..	..	7,422	6,969	207	170	..	..	..	..
Bhuria—Bhumia or Bhuinhar—Bhumia including Pando	..	..	2,288	2,349	834	854	..	..	..	..
Bhunjia	..	..	..	..	..	31	..	..	..	..
inihwar	..	..	1,654	1,733	5,337	5,062	..	..	..	..
hunwar	..	..	2,348	2,355	5,636	5,482	..	..	..	..
adaba or Gadba	..	..	..	..	23	35	..	..	..	..
ond*	..	..	66,881	68,411	32,031	32,488	..	..	..	..
amar	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
awar, Kanwar, Kaur, Cherwa, athia, Tanwar or Chattri	..	..	6,622	6,954	32,582	34,096	..	..	..	..
hairwar	..	..	696	681	676	656	..	..	..	..
haria	..	..	..	..	770	651	..	..	..	..
ol	..	..	643	766	321	275	..	..	..	..
orwa including Kodaku	..	..	12	3	667	547	..	..	..	..
ajhwar	..	..	41	53	5,543	5,468	..	..	..	..
agesia or Nagasia	..	..	..	..	336	262	..	..	..	..
aon including Dhanka and angad	..	..	857	850	1,705	1,465	..	..	..	..
rdhan, Pathari and Saroti	..	..	414	529	148	86	..	..	..	..
rdhi including Bahelia or helia, Chita-Pardhi, Langoli rdhi, Phans Pardhi, Shikari, ankar and Takia	..	..	275	245	18	22	..	..	..	..
nta or Saunta	..	..	299	298	165	173	..	..	..	..
ar or Sawara	..	..	79	40	140	12	..	..	..	..
lassifiable	..	..	..	128	1	..	..	..	..	..

*Gond includes the population of the following sub-tribes also—Arakh or Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, or Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Kollabhuta or Kollabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru or Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta or Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar or Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia (Maria), Mana, Mannewar, Moghya or Mogia or Monghya, Mudia (Muria), Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia or Thotya, Wade Maria or Vade Maria.

अनुलग्नक 02

सूचना नम्बर २

कटघोरा तहसील की अनुसूचित ~~[illegible]~~ (हरिजन) जातियां :

१: [illegible]हना (२) बलाही या बलाई (३) बसोड़, बुरुड़, बासोड़ या बसोड़ी

४: चमार, चमारी, मोची, नोना, रोहिदास, सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी या ~~सूर्यरामनामी~~,

५: डोम या डुमार, (६) गांडा या गांडी, (७) खटीक, चिकवा, या चिकवी,

८: मांग, दखनी मांग, मांगमहशी, मांगगारुडी, मदारी, गारुडी, या राधेमांग,

९: मेहतर या भंगी। (१०) मोची (११) औधेलिया (१२) डेयर (१३) घासी या घसिया,

१४: [illegible] या [illegible]रिया (१५) [illegible] या मेहरा

अनुसूचित जन ([illegible]) जातियां

१: आंध, (२) बैगा। (३) भैना (४) भारिया, या भूमिया, या भुईहार, भूमिया, भुय पांडो

५: भतरा (६) भील (७) भुंजिया (८) बिंझवार (९) बिरहुल, बिरहोर, (१०) धनवार (११) गदबा, गदाबा (१२) गोंड अरख, या अगरिया, असुर, बड़ी मारिया या बड़ा मारिया, भटोला भीमा, भुता, कोयलभुता, या कोलभूती, कुचामारिया, भार, बिसोन हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, या गट्टी, गैटा, गोंड, गोवारी, हिलमारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, या खिरवारा, कुचामारी, मारिया माड़िया, (मारिया), माना, मन्नेवार, मोघ्या या मोगिया, मुड़िया (मुरिया), नागवंशी, नागरची, ओझा, राज, सोनझारी झरेका, थाटिया या थोटया, वड़ेमारिया, या वड़ेमारिया (१३) हलबा या हल्बी। (१४) कमार (१५) कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तंवर या छत्री (१६) खैरवार (१७) खड़िया (१८) कोंध या खोंड या कांध (१९) कोल (२०) कोलम (२१) कोरकू, बोपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोंधी, या बोंडेया (२२) कोरवा, कोड़ाकू (२३) मझवार (२४) मुन्डा (२५) नगेशिया, या नगासिया (२६) निहाल (२७) उरांव धनका और धनगड़ (२८) प्रधान, पथारी, और सरोती (२९) पारधी। ~~[illegible]~~ बहेलिया या बहेलिया, ~~चीता पारधी~~, लंगोली, पारधी, ~~फांस पारधी~~, शिकारी, टाकनकार और टाकिया (३०) परजा (३१) सओंता या सौंता (३२) सवर या सवरा।

[signature]

तहसीलदार,
कटघोरा

ता०: २६।१२।६०

अनुलग्न 03

कार्य पूर्ण हो चुका हैं और अब विशिष्ठ व अतिविशिष्ठ अतिथियों के लिए इसका आरक्षण प्रारंभ हो गया हैं. इससे एसईसीएल के इंदिरा विहार स्थित विश्राम गृह पर पड़ रहा अतिथियों का जबरदस्त बोझ कम होने की उम्मीद की जा रही हैं.

पराक्षण कर आगामी बैठक में इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी. ताकि आगामी 14 नवंबर को साइंस पार्क प्रारंभ किया जा सके. ब्रेक पार्क के संबंध में निर्णय लिया गया कि कलेक्टर जशपुर से [illegible] कर प्रोजेक्ट डाइरेक्टर लाईएफएण्ड योजना बनाएंगे.

छल किया गया है तो इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा. यह बात भी उठी कि रेलवे को यह भी बताना चाहिये कि जोन के ओएसडी कहां है और बिलासपुर जोन के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं. इस बारे में वस्तुस्थिति की जानकारी लेने कांग्रेसजन बारह सितंबर को [illegible] तीन बजे

अनिल टाह हरीश तिवारी गणेशदत्त मैरसा रामशरण यादव विश्वंभर गुलहरे अटल श्रीवास्तव रविंद्र सिंह शिवा मिश्रा राघवेंद्र सिंह कान्ता सिन्हा अलका शर्मा शांति उपाध्याय नीरा देवी खेलनराम जांगड़े आदि ने अपने विचार रखे. बैठक में प्रियनाथ तिवारी एल.एन. [illegible] कुमार [illegible]कर पाण्डेय विनय शर्मा अकबर खान सच्चिदानंद तिवारी हीरालाल गुप्ता जयश्री शुक्ला साधना मिश्रा स्वर्ण प्रभा लता वैष्णव शहनाज बेगम सीता वैष्णव गजेंद्र श्रीवास्तव डा. विष्णु सिंह नव वर्मा रामभाऊ स्वर्णकार पी.डी. [illegible] सुशील [illegible] आदि उपस्थित थे.

कहीं यह आदिवासी किसानों को 170 ख के लाभ से वंचित करने [illegible]

जिला कलेक्टोरेट के रिकार्ड रूम में रखे रिकार्डों पर हेराफेरी का खतरा

नगर संवाददाता

बिलासपुर, 11 सितम्बर.

जिला कलेक्टोरेट के रिकार्ड रूम में कूटरचना कर एक गांव के सत्तर बरस पुराने मिसिल बंदोबस्त के दस्तावेजों में हेराफेरी की खबर उजागर हुई हैं वह न केवल चौंकाने वाली है वरन इससे यह यह भी साबित हो रहा है कि वहां भूमि माफिया की हैसियत रखने वालों की खासी दखल हैं और वे वहां मौजूद रिकार्डों मे हर तरह की हेराफेरी करने में समर्थ हैं.

भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां कटघोरा तहसील के एक गांव गेरुवा के 1929-30 के मौजूद मिसल बंदोबस्त की पूरी रिकार्ड बुक में ही ओवर राइटिंग कर दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों की बुनियादी जानकारियों से छेड़छाड़ की बात उजागर हुई हैं. गत एक सप्ताह से कलेक्टोरेट परिसर में चर्चा का विषय बने इस मामले की पूरी सच्चाई को बेनकाब करने के लिए तत्काल पूरे प्रकरण की जांच हीं एकमात्र उपाय हैं लेकिन जैसा कि पता चला है उक्त रिकार्ड रूम में मौजूद कटघोरा तहसील के गेरुवा गांव की मिसिल बंदोबस्त पुस्तिका में कई किसानों के सरनेम के आगे लगी 'आ' की मात्रा को 'ओं' की मात्रा बनाकर ग्रामीणों की जाति ही बदल गई. काली स्केच पेन से कूटरचना कर की गई इस हरकत सेगांव में रहने वाले बहुसंख्य आदिवासियों को जाति आदिवासी से कोष्टा (देवांगन की उपजाति) कर दी गई हैं. भरोसेमंद सूत्रों का कहना हे कि मिसिल बंदोबस्त पुस्तिका में तकरीबन पांच सौ जमीनों के मालिक को किसानों के नाम के अंक में लिखे भारिया सरनेम के भोदिया बना दिया गया हैं.

यहां उल्लिखित है कि कटघोरा तहसील के गेरुवा व दो [illegible] अन्य गांवों में रहने वाले आदिवासी अपना सरनेम भारिया लिखते रहे हैं. इनमें से गेरुवा गांव के कलेक्ट्रेट रिकार्ड रुम में मौजूद मिसिल बंदोबस्त पुस्तिका में सभी नामों के अंत में लिखे भारिया को पेन से भोरिया कर दिया गया है. बताया जाता हैं कि मात्र एक लकीर से कीगई कूटरचना के कारण पूरे गांव के आदिासी भारिया की जगह भोरिया अर्थात कोष्टा जाति के बना दिये गये. मतलब एक लकीर के कमाल ने उन्हें, आदिवासी से कोष्टा बनाकर आरक्षण की दृष्टि से अनुसूचित जाति के लिए मंजूर तालिका से अलग कर पिछड़े वर्ग की आरक्षणहेतु मंजूर सूची में धकेल दिया.

मिसिल बंदोबस्त पुस्तिका में एक लकीर की हेराफेरी ने एक गांव के सैकड़ों आदिवासियों को पिछड़े वर्ग का बना दिया

सूत्रों का कहना है कि आदिवासी भारिया को कोष्टा जाति का भोरिया बनाने के पीछे निश्चित ही ऐसे किसीव्यक्ति अथवा व्यक्तियों का हाथ हो सकता है जो गेरुवा के आदिवासी किसानों को मिसिल बंदोबस्त रिकार्ड में पिछड़ेपन का बनाकर धारा 170 'ख' के तहत मिले अधिकारों से वंचित करना चाहता हो. जाहिर है कि ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने या तो गेरुवा गांव में काफी पहले जमीनें ले रखी हो और अबब उसे 170 'ख' की जद से बचने के लिए भारिया आदिवासी के सरनेम से पिछड़े वर्ग का भोरिया बनाया गया हो. यह भी संभव है कि उक्त साजिश करने वाले गेरुवा गांव में जमीन खरीदने के लिये आदिवासी किसानों का सरनेम बदलवा रहे हैं.

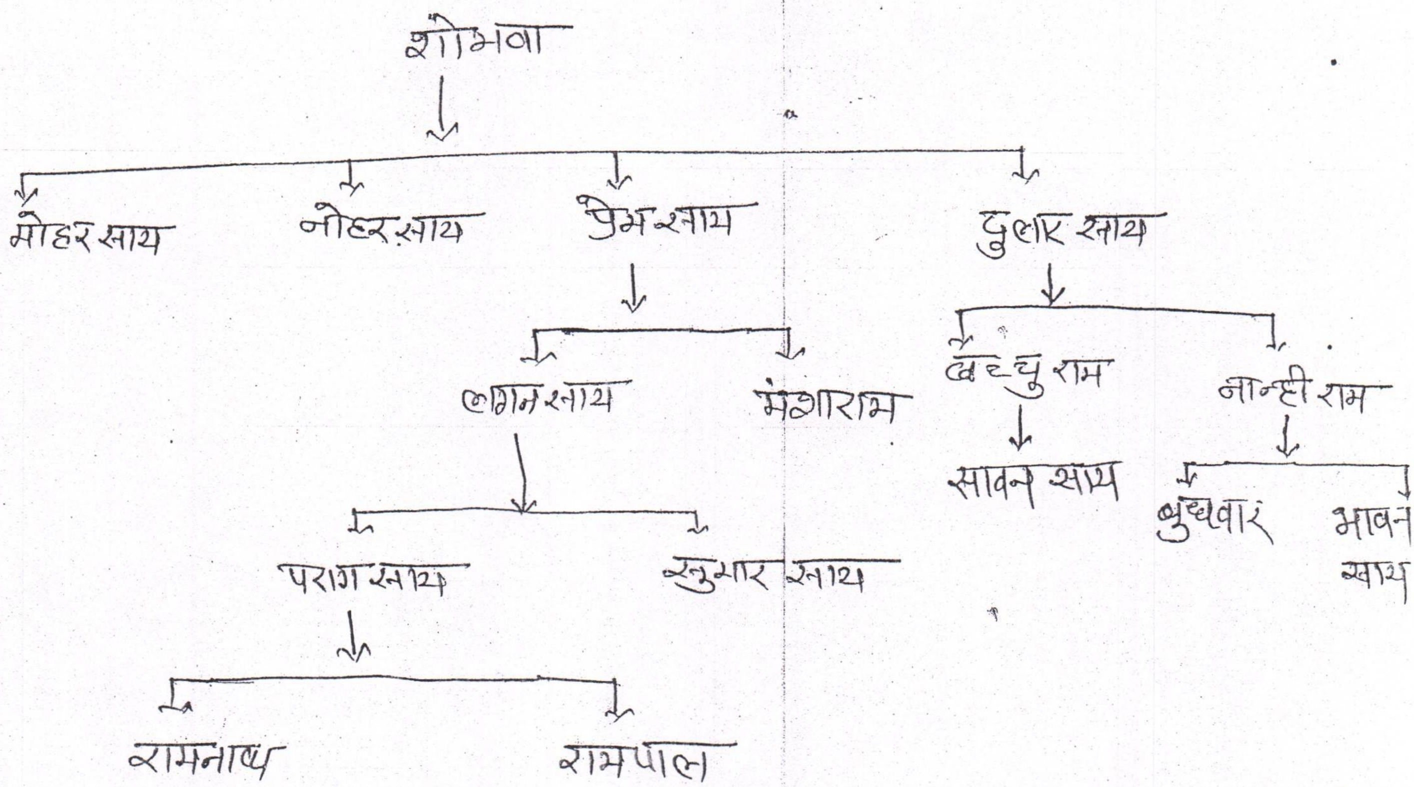
बिना इसके उक्त गांव की मिसल बंदोस्त पुस्तिका में जाति बदलने की ऐसी साजिज्श तीसरा कोई व्यक्ति क्यों करेगा.

दरअसल मिसिल बंदोबस्त के रिकार्ड में हुए किसानों के जातीय [illegible] को नागरिकों के जाति के बारे में अंतिम व ठोस प्रमाणित दस्तावेज माना जाता है. किसी की जति को लेकर चल रहे मामलों मुकदमों व निवास प्रमाण के लिए मिसिल बंदोबस्त के रिकार्ड को काफी महत्वपूर्ण माना जात्ता है. फिलहाल कटघोरा तहसील के कई जमीनी रिकार्ड स्थानीय रिकार्ड रुम में जमा हैं.

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि जिला कलेक्टर के रिकार्ड रुम की हालत गत कुछ अर्से से ''परम स्वतंत्र में सिर पर कोई'' सरीखी होगई हैं. शहर व आसपास के दमदार व ओहदेदार लोगों को बिना किसी विधिवत आवेदन के ही खुदरा या थोक दस्तावेजों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं. जानकार सूत्रों काकहना हे कि इस रिकार्ड कक्ष में पदस्थ चंद लोग ही उक्त धतकरम में लिप्त हैं. अच्छा होता पूरे मामले की जांच कर उसकी नब्ज पर उंगलिया रखने की पहल होती.

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने

वंश वृक्ष



(1) सरपंच
ग्राम पंचायत–छुरीखुर्द
वि. ख. – कटघोरा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

(2) प्रिया देवी भारिया (पंच वार्ड नं 01)

(3) अनिता
पंच
वार्ड क्र. 04
ग्राम पंचायत–छुरीखुर्द
तह.कटघोरा, जि.कोरबा (छ.ग.)

(4) गोवर्धन सिंह (वार्ड पंच 03)

(5) दीपिका राज (वार्ड नं 05)

62083

Back Previous Next Print

जिला- कोरबा/तहसील- कटघोरा/राजस्व नं- कटघोरा/प.ह.नं-10/गांव-छुरीखुर्द /खसरा-1930

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२३८	.४८	टिकरउप्र			सुदरशन मल्द टिकैत गोंड साकिन मौरूसी [illegible]		३३६	.४८			
२३९	.२५	टिकरउप्र			गुरा वल्द सुदरशन गोंड देह मौरूसी [illegible]						-.२६
२४०	.२१	टिकरउप्र			प्रेमसाय वल्द शोभना मौरूसी साकिन देह मौरूसी [illegible]		३३६	-.१२		-.१२	
२४१	.२०	टिकरउप्र			[illegible] वल्द [illegible] साकिन देह मौरूसी [illegible]		३३६	.२०			
२४२	.२४	टिकर			[illegible] वल्द उमराव मौरूसी साकिन देह मौरूसी [illegible]		३३६	.२४			
२४३	.४०	टिकर			[illegible] मौरूसी [illegible]		३३६	.४०			
२४४	.०९	टिकर			प्रेमसाय वल्द शोभना मौरूसी साकिन देह मौरूसी [illegible]		[illegible]	.०९			
२४५	.१३		रास्ता								[illegible]
२८.१७	४.८६	२२.२६						४.८८			

TRUE COPY
[signature] [date]
Head Copyist
Collectorate, KORBA

Previous Next एक पेज में कम से कम 6 खसरा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 खसरा मौजूद होते हैं

कार्यालय ... ...
एकीकृत ... ... परियोजना
कोरबा, जिला बिलासपुर (म. प्र.)

अनुक्रमांक - 04

कार्यालय परियोजना प्रशासक
एकीकृत आदिवासी विकास कोरबा (म०प्र०)

क्रमांक:- 56

दिनांक:- 11.1.93

प्रति,

अध्यक्ष,

आदिवासी विकास परिषद युवा प्रभाग
बिलासपुर (म०प्र०)

विषय:- भारिया (विशेष पिछड़ी जनजाति) निवासरत ग्रामों की जानकारी ।

सन्दर्भ:- अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद युवा प्रभाग जिला शाखा बिलासपुर का पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 2/12/92

उपरोक्त सन्दर्भ में भारिया (वि०पि० जनजाति) निवासरत ग्रामों एवं जनसंख्या के संबंध में आपके द्वारा जानकारी चाही गयी है सर्वेक्षणानुसार जानकारी निम्नानुसार है :-

- वि० ख० कटघोरा के अन्तर्गत ग्राम गुरीखुर्द, बंधर, बिरवट, डिंडोलभाठा, पंडरीपानी, लोतलोता, धनरास में 153 परिवार एवं उनकी संख्या 922
- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा अन्तर्गत ग्राम-केदईखार, अगारखार स्याहीमुड़ी, लाटा, गोपालपुर में कुल परिवार 193 (कु० ज० 526) ।
- वि० ख० पोड़ी उपरोड़ा अन्तर्गत ग्राम दर्री भाठा, सुवापुर, रामपुर, तानपखार, बांगो, गुरसिया, व बाधापारा (बरभाठा) में कुल परिवार 48 (कु० ज० 185) ।
- वि० खं० पाली अन्तर्गत ग्राम बम्हनीपारा, (गोपालपुर), सेन्दरीपाली, रेगोले, बुड़बुड़ मे कुल परिवार 22 (कु० ज० 92) ।
- वि० खं० कोरबा में ग्राम पुछ्या मे कुल परिवार 20 (कु०ज० 71) निवास कर रहे है ।

ह०/- 11/1
परियोजना प्रशासक
एकीकृत आदिवासी
विकास परियोजना कोरबा

प्रतिलिपि:- 1/ जिलाध्यक्ष आ० ज० क० वि० बिलासपुर ।
2/ क्षेत्रीय उप संचालक आ० ज० क० वि० बिलासपुर ।
2 उपायुक्त आदिवासी ... ...

ह०/-
परियोजना प्रशासक
एकीकृत आदिवासी
विकास परियोजना

① अनुलग्नक 05

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास) कोरबा
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/जा.प्र.प./2000-01/ 1354 कोरबा, दिनांक 20.6.2001

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग
एवं अल्प संख्यक कल्याण
छ0ग0 रायपुर.

विषय:- कोरबा जिले के भारिया जाति के संबंध में ।

---00---

निवेदन है कि अवर सचिव म0प्र0 शासन आदिम जाति तथा अनु0 जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र0/एफ-[illegible]/[illegible] दिनांक 29.5.90 में उल्लेख किया गया है कि बिलासपुर जिले में भोरिया कोष्टा जाति की एक उपजाति है, जिसका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना है, जबकि वास्तविक भारिया जाति जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत मान्य है, का मुख्य व्यवसाय आदिम कृषि शिकार और जंगली उपज संग्रह करना है। बिलासपुर जिले (वर्तमान में कोरबा जिला) के तहसील कटघोरा के ग्रामों में निवासरत भोरिया जाति वर्ष 1971 के बाद भारिया लिखकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। म0प्र0शासन आ0जा0, अ0जा0 कल्याण विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जावे।

उक्त संबंध में भारिया, भोरिया एवं भुरिया जाति में [illegible] भ्रांति को दूर करने हेतु जिले के राजस्व अधिकारियों, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आहूत किया जाकर विस्तृत चर्चा की गयी । चर्चा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोष्टा (देवांगन) जाति जिनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना है, तथा भुरिया, भोरिया जाति पृथक-पृथक जातियां है।

कोरबा जिले के भारिया जाति के संबंध में वास्तविक तथ्य से अवगत कराने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जा.प्र.प./2001/795 दिनांक 11.5.2001 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा को लिखा गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा का ज्ञापन क्रमांक/अ.वि.अ./2001/1490 दिनांक 21.5.2001 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलतः संलग्न है। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि भारिया जाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वनोपज संग्रहण और श्रमिक के रूप में कार्य करना है। ये लोग कृषि यंत्र औजार इत्यादि स्वयं बनाते हैं। ये लोग सादगी से जीवन यापन करते हैं तथा इनका

/2/

धर्म हिन्दू है। राजस्व मिसल अभिलेख अनुसार ये लोग 1928-29 मिसल अभिलेख में जाति अंकित होने के पूर्व से इस क्षेत्र में निवासरत है। स्कूल के दाखिल पंजी अनुसार 1960 से 1970 के बीच में कई लोगों की जाति भारिया के रूप में अंकित है। इन्हें कोष्टा जाति की उपजाति के रूप में उल्लेखित किया जाना उचित नहीं है। क्योंकि कोष्टा जाति का मुख्य व्यवसाय वस्त्र बुनना है जबकि भारिया जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, श्रमिक एवं वनोपज संग्रह करना है। इनका रहन-सहन आचार विचार पूजा पाठ पारिवारिक परिस्थिति आर्थिक सामाजिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी वर्ग में होना परिलक्षित होता है।

इस संदर्भ में जनप्रतिनिधियों एवं कोष्टा (देवांगन) समाज के द्वारा अवगत कराया गया है कि कोष्टा (देवांगन) जाति एवं कटघोरा तहसील में निवासरत भारिया जाति से उनका कोई संबंध नहीं है, दोनों पृथक-पृथक जातियां है। जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों की प्रतियां संलग्न है।

अतएव उपरोक्तानुसार तथ्यों का अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि भूरिया, भौरिया, भेरिया, भोरिया एवं भारिया जाति के संबंध में जाति का उच्चारण एवं अपभ्रंश के अनुसार यह पांचों जातियां एक ही है, चूंकि पांचों जातियों के अंतिम दो अक्षरों में "रिया" शब्द है तथा प्रथम अक्षर में "भु" "भौ" "भे" "भो" "भा" है। क्षेत्र में निवासरत भारिया जाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करने की मांग करते रहते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन इस संदर्भ समुचित निर्णय लेने हेतु कृपया प्रेषित है।

कलेक्टर,
जिला-कोरबा
(छ0ग0)

--==::==--

③ -6-

अनुलग्नक-05

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा

ज्ञापन
= == = = = =

क्रमांक क/अ0वि0अ0/2001 1490 कटघोरा, दिनांक 21.5.2001

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
कोरबा।

विषय:- कोरबा जिले के भारिया जाति के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक /आ.प्र.प./2001/795 कोरबा, दिनांक 11.5.2001।

-x-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारिया जाति के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

1. भारिया जाति के लोग जिन-जिन ग्रामो में निवास करते है। ग्रामवार एवं परिवार संख्या वार जानकारी कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण) बिलासपुर का पत्र क्रमांक 32/सा.क./92-93/4975 बिलासपुर दिनांक 1.3.93 के [illegible] र जिला संयोजक द्वारा प्रेषित जानकारी की सूची पृथक से संलग्न है, जिसके अनुसार 436 परिवार एवं उनकी जनसंख्या 1796 दर्शित है।

2. भारिया जाति के लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वनोपज संग्रहण और श्रमिक के रूप में कार्यकरना है। ये लोग कृषि योग्य औजार जैसे रापा, कुदाली, गैती, छिनी, नागर, कुदरी, कुल्हारी इत्यादि स्वयं बनाते है। ये समुदाय बहुत मेहनती है, हिसाब किताब के मामले में भोले होते है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। साग-सब्जी की खेती मजदूरी वनोपज संग्रहण कर परिवार का भरण-पोषण हेतु आय अर्जित करते है। ये लोग सादगी से जीवन-यापन करते है। इन समुदाय में बहुत ही कम लोग शिक्षित है। इनका व्यवहार सरल एवं प्रेमयुक्त होता है। अतिथि सत्कार इनमें कूट-कूट कर भरा है। इनका धर्म हिन्दू है।

3. राजस्व मिसल अभिलेख अनुसार ग्राम बिरखेट, पुरीखुर्द, गोपालपुर, लोतलोता, अगारखार, [illegible] लाट [illegible] लोगो की जाति भोरिया, भेरिया, भोरया एवं भैरिया उल्लेखित है। ये लोग 1928-29 मिसल अभिलेख में जाति अंकित होने के पूर्व से इस क्षेत्र में निवासरत है। [illegible] के दाखिल पंजी अनुसार 1960 से 1970 के बीच में कुछ लोगो की जाति [illegible] के रूप में अंकित है।

(4)

(7)

//2//

4. म0प्र0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, का पत्र क्रमांक एफ.7-1/97-25-5, भोपाल, दिनांक 29 मई 1998 के अनुसार बिलासपुर जिले में कटघोरा क्षेत्र के भोरिया (कोष्टा) को जारी प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त किये जाने के संबंध में प्राप्त निर्देश के कारण वर्तमान में इन्हे अनुसूचित जन जाति वर्ग के प्रमाण पत्र देने में कठिनाई हो रही है।

5. मिसल बन्दोबस्त 1928-29 एवं शाला के दाखिला-खारिज पंजी अनुसार इस क्षेत्र मे कुछ लोगों की जाति भोरिया, भरिया, भोरया, भुरिया, भरिया ★ एवं भरिया के रूप में अंकित है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो वर्तमान में श्रमिक वनोपज संग्रहण एवं कृषि कार्य करके अपना जीवन-यापन कर रहे है। ★ इन्हे कोष्टा जाति की उपजाति के रूप में पूर्व में उल्लेखित किया गया है जो कि मेरे मत मे कतई उचित नहीं है। क्योंकि कोष्टा जाति का मुख्य व्यवसाय वस्त्र बुनना है जबकि भारिया जाति के लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि, श्रमिक एवं वनोपज संग्रहण करना है। इनका रहन सहन, आचार-विचार, पूजा-पाठ पारिवारिक परिस्थिति आर्थिक, सामाजिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी वर्ग में होना परिलक्षित होता है।

उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
कटघोरा

संलग्नः- 1. कार्यालय कलेक्टर (आजाक.) पत्र दिनांक 1.3.93 छायाप्रति।

2. मिसल बन्दोबस्त की छायाप्रति।

3. स्कूल दाखिला खारिज की छायाप्रति।

(8) अनुलग्न- 05

कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/स्था./2000-01/ 1/54 कोरबा, दिनांक:- 3/7/2001

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति, अनु. जाति पिछड़ा वर्ग एवं
अल्प संख्यक कल्याण विभाग, रायपुर
(छत्तीसगढ़)

विषय:- कटघोरा/कोरबा क्षेत्र में भोरिया भारिया का अपभ्रंश। भोरिया को भारिया मानते यथा पढ़ने पूर्ववत जनजाति की सुविधा जारी करने बाबत्।

संदर्भ:- महामंत्री भारिया समाज क्षेत्र कटघोरा के पत्र क्र./भा.स./जून2001 दिनांक [illegible]2001।

==/x/===

संदर्भित पत्र के द्वारा श्रीजीवन नारायण भारिया महामंत्री भारिया समाज क्षेत्र कटघोरा का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें उन्होंने म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनु. जाति कल्याण मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र.एफ/7/4/97-25-5 भोपाल दिनांक 29.5.98 को निरस्त कर इस क्षेत्र के भारिया जाति के लोगों को पूर्ववत जनजाति की सुविधायें प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में दिनांक 9.5.2001 को जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक आहुत किया जाकर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह प्रकाश में आया, कि जिले के कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत अनेक ग्रामों में भारिया जनजाति के लोग निवास करते है। इस संबंध में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय म.प्र. भोपाल के उपरोक्त निर्देशों की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। प्रपत्र में भोरिया जाति को कोष्टा जाति की उपजाति के रूप में उल्लेखित किया गया है। बैठक में भूरिया, भोरिया एवं भारिया शब्द व नामकरण पर विश्लेषण कर मतान्तर व भ्रम को दूर करने छत्तीसगढ़ शासन को प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया।

इस तारतम्य में मैने संदर्भित पत्र में प्रस्तुत प. कटा (देवांगन) समाज प्रमुख श्री आत्माराम मेहर व समाज के अन्य सदस्यों एवं श्री शरन सासाराम के श्री [illegible] राम देवांगन विधायक अकलतरा तथा इस क्षेत्र के आदिवासी सरपंचों द्वारा प्रेषित पत्रों का अवलोकन किया जिसमें उन्होंने भोरिया को भारिया का अपभ्रंश भोरिया एवं कोष्टा जाति को पृथक-पृथक जातियां बताया है, क्योंकि कोष्टा जाति का पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनना है, जबकि इस क्षेत्र के भारिया (तथाकथित भोरिया) जाति का पैतृक व्यवसाय कृषि, कृषि मजदूरी एवं वनोपज संग्रहण करना है।

//2//

4/2//

मैंने उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित अनुसंधान अधिकारी द्वय श्री पी.पी.
पण्डा व श्री एन.एस.राजपूत द्वारा पूर्व में किये गये इस क्षेत्र के भारिया जाति
के अनुसंधान प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया । उक्त प्रतिवेदन में पातालकोट
(छिंदवाड़ा) के भारिया तथा इस क्षेत्र के भारिया जाति के सामाजिक संरचना
जैसे मूल निवास स्थान, उत्पत्ति, गोत्र, व्यवसाय, बोली, नृत्य, जन्म मृत्यु संस्कार,
विवाह, अंधविश्वास, देवी-देवता, आदि में समानता दर्शाई गई है । इस प्रति-
-वेदन तथा श्री रसेल एवं श्री हीरालाल द्वारा लिखित पुस्तक "द ट्राईब्स
एण्ड कास्टस् ऑफ द सेन्ट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया के भाग- दो के आधार
पर स्वयं इस क्षेत्र के भारिया (तथा कथित भोरिया) जाति के सामाजिक संरचना
का उल्लेखित बिन्दुवार परीक्षण किया (संलग्न है) जिसमें इनकी सामाजिक
संरचना भारिया जनजाति के सामाजिक संरचना से मिलती जुलती है ।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत
अभ्यावेदन के आधार पर विचार एवं आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

A.K. Galum

परियोजना प्रशासक
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
कोरबा.

कोरबा, दिनांकः-

पृ.क्रमांक/हस./ /2001/

प्रतिलिपिः-

1. महामंत्री क्षेत्रीय भारिया समाज क्षेत्र कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ ।

परियोजना प्रशासक
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
कोरबा.

==/x/==

अनुलग्न -06

कार्यालय कोस्टा (देवांगन) समाज क्षेत्र छुरी कटघोरा
जिला कोरबा (म०प्र०)

क्रमांक/सत/98-1
प्रति

दिनांक 14.9.98

कलेक्टर,
जिला कोरबा (म०प्र०)

विषय — कटघोरा क्षेत्र में भोरिया, भारिया का अपभ्रंश यह तथाकथित भोरिया जाति कोस्टा जाति की उपजाति नहीं। पुनर्विचार करने बाबत।

संदर्भ — आदिम जाति तथा अनु० जाति कल्याण विभाग म०प्र० शा० भोपाल के पत्र क्र/एफ/67-4/97-25-5 भोपाल दिनांक 25.5.98

महानुभाव,

संदर्भित आदेश में मंत्रालय आदिम जाति क०वि० भोपाल ने बिलासपुर जिले के कटघोरा क्षेत्र में निवासरत तथाकथित भोरिया (जिनकी मूल जाति का नाम भारिया है) जाति को कोस्टा जाति की उपजाति माना है। और इन्हें वर्षों से भारिया जाति का मानकर दी जा रही अनु० जन जाति की सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया है। जो कि इस अत्यंत पिछड़े समुदाय के साथ घोरतम अन्याय है। और इन्हें हमारे कोस्टा जाति के साथ जोड़कर कोस्टा बुनकर समाज को भी उलझा दिया है।

महोदय, भोरिया भारिया का विकृत रूप है अपभ्रंश है। कटघोरा क्षेत्र में भोरिया नामक कोई जाति ही नहीं है। क्षेत्रीय बोली में केंवट को केवट राजपूत को रसपूत, ब्राह्मण को बामहन उच्चारित किया जाता है केंवट, रसपूत, बामहन कोई जाति नहीं है यह मूल जाति केंवट, राजपूत ब्राह्मण का विकृत रूप है अपभ्रंश है। इसी प्रकार भोरिया भारिया का अपभ्रंश है। उच्चारण में गलती से तत्कालीन शासकीय कर्मचारियों ने भारिया को भोरिया लिख दिया है। इनकी मूल जाति का नाम भारिया है।

महोदय इस तथाकथित भोरिया (भारिया) जाति से हमारे-

कोस्टा जाति का न तो कभी पुरातन खानदानी संबंध रहा है न ही वर्तमान में है। एवम् जहाँ तक हमारे कोस्टा समाज का सामाजिक दायरा है वहाँ तक भी इनका किसी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध रिस्ता-नाता नहीं है।

महोदय, यह तथाकथित भोरिया (भारिया) जाति मूलत: कृषक जाति है। इनका पैतृक व्यवसाय कृषि, कृषि मजदूरी एवम् वनोपज संग्रहण करना है वर्तमान में भी इनका यही व्यवसाय है इसके अतिरिक्त क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयों के विद्यमान होने से अब ठेका मजदूरी करने लगे हैं।

महोदय, इस तथाकथित भोरिया (भारिया) जाति का एक भी परिवार न कभी कपड़ा बुनने का कार्य किया है न वर्तमान में कर रहा है। आ० जा० क० मंत्रालय जबरदस्ती इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना मानकर हमारे कोस्टा जाति से जोड़कर हम दोनों समाज की सामाजिक संरचना पर कुठाराघात किया है।

महोदय आ० जा० क० वि० मंत्रालय जिन्हें भोरिया मान रहा है वे भोरिया नहीं भारिया है। भोरिया भारिया का अपभ्रंश है इनकी मूलजाति का नाम भारिया है इस भ्रांति को दूर करने के लिये अनुसंधान अधिकारियों द्वय श्री पी० बी० पंडा, श्री एन० एस० राजपूत, उपायुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर, कलेक्टर बिलासपुर, संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान भोपाल को भी अनुसंधान के समय अवगत कराया जा चुका है उसके बावजूद भी आ० जा० क० मंत्रालय का संदर्भित निर्णय द्वेष से प्रेरित है।

अत: श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि कटघोरा क्षेत्र के तथाकथित भोरिया (जिनकी मूल जाति का नाम भारिया है) जाति एक स्वतंत्र और पृथक जाति है। इनका पैतृक व्यवसाय कृषि है शासन इन्हें कोस्टा बुनकर जाति से न जोड़े और हमारे दोनों समाज की सामाजिक संरचना को विकृत न करे। शासन अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। भोरिया भारिया का अपभ्रंश है भोरिया को भारिया पढ़ा जावे, माना जावे तत्संबंधी आदेश शीघ्र प्रसारित करें।

शीघ्र पुनर्निर्णय की प्रतीक्षा में .... प्रतीक्षारत

क्र० नाम	हस्ताक्षर
1. सदाराम	सदाराम
2. कौशल	कौशलराम
3. भागवत प्रसाद	भागवत प्रसाद

आत्माराम मेहर
समाज प्रमुख एवम् समस्त
कोस्टा (देवांगन) समाज
क्षेत्र छुरी-कटघोरा जिला-कोरबा (म०प्र०)

४.	मेलूराम	मेलूराम
५.		
५	आत्माराम	आत्माराम
६.	गंगाराम	द: गंगाराम कोष्टा
७	सुखीराम	द: सुखीराम
८.	लिखारुराम	द: [illegible]
९	मोतीराम	मोतीराम
१०	मालिकराम	मालिकराम कोष्ट
११	रवधुआ	द: रवधुवा
१२.	महादेव	द: महादेव देवांगन
१३	मसतराम	द: मसतराम
१४	पंचराम	द: पंचराम
१५	गोविन्द्राम	गोविन्दराम
१६.	जुठालूराम	द: जुठालूराम देवांगन
१७.	हीरालाल	हीरालाल देवांगन
१८.	मुरित राम	द: मुरितराम देवांगन
१९.	मेकरुराम	द: मेकरु राम देवांगन
२०	रामलाल	द: रामलाल
२१	सुन्दरलाल	सुन्दरलाल

२२.	बैसाखूराम	बैसाखूराम
२३	सहदेवराम	सहदेवराम
२४.	राम प्रसाद	रामप्रसाद
२५.	चुन्नीलाल	चुन्नीलाल देवांगन
२६.	सहेतूराम	सहेतूराम देवांगन
२७.	रुनूराम	रुनू राम देवांगन
२८.	अंतराम	अन्तराम
२९	श्यामलाल	श्यामलाल
३०.	धजाराम	धजाराम देवांगन
३१	फेकूराम	द: फेकूराम देवांगन
३२.	मुंजराम	मुंजराम
३३.	दरशलाल	दरशलाल

संलग्न :- आदिम जाति तथा अनु॰आ॰ कल्याण विभाग मंत्रालय म॰प्र॰ शा॰ भोपाल के संदर्भित आदेश की छाया प्रति।

प्रतिलिपि — प्रमुख सचिव, सामा॰ प्रशासन विभाग म॰प्र॰शा॰ भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

२. प्रमुख सचिव, आ॰जा॰ तथा अनु॰ जाति कल्याण विभाग म॰प्र॰शा॰ भोपाल को उनके संदर्भित निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. संचालक, आदिम जाति संधान संस्थान श्यामला हिल्स २ भोपाल २ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ

आत्माराम मेहर
समाज प्रमुख.
कोस्टा (देवांगन) समाज क्षेत्र छुरी कटघोरा
जिला- कोरबा (म॰प्र॰)

छतराम देवांगन
विधायक
कटघोरा क्षेत्र 120

ग्राम - पन्धीरा,
थाना - हरदी बाजार
जिला - बिलासपुर (म.प्र.)
विधायक विश्राम गृह क्र. - 01
कमरा न. 71 एवं 80, भोपाल
दूरभाष 550247 (भोपाल)

(2) अनुलग्न - 06

प्रति,

कलेक्टर,

बिलासपुर (म0प्र0)

विषय: "भोरिया-भारिया प्रकरण" भ्रांतियां दूर करने बाबत।

महानुभाव,

निवेदित हो कि बिलासपुर जिले की कटघोरा तहसील में ग्राम छुरी खुर्द गोपालपुर एवं केंदाईखार व अन्य ग्रामों में भारिया जाति के करीब 300 परिवार निवास कर रहे हैं। एक युग तक (म0प्र0 राज्य निर्माण से) इन्हें भारिया मानकर शासन इन्हें भारिया जाति की सारी सुविधाएं प्रदान करती रही हैं। 45-46 वर्षों के बाद शासन इन्हें भारिया जाति न मानकर भोरिया जाति मान रहा है और कोष्टा बुनकर जाति की उपजाति बताकर भारिया जाति को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया है।

महोदय मैंने कोष्टा (देवांगन) बुनकर समाज के प्रमुख व्यक्तियों एवं क्षेत्र के अन्य समाज के प्रमुख व्यक्तियों व मैंने स्वयं इस सम्बंध में जानकारीयां प्राप्त की। ज्ञात हुआ है कि भोरिया कोई जाति या (किसी अन्य जाति जैसे कोष्टा, बुनकर) उपजाति ही नहीं है इनकी मूलतः जाति का नाम भारिया है। यह उच्चारण व लेखन में गलतियों की वजह से भोरिया अंकित हो गया होगा। इस भोरिया-भारिया जाति से हमारे कोष्टा बुनकर समाज का न कभी पुरातन खानदानी सम्बंध रहा है न वर्तमान में है। प्रशासन जिन्हें भोरिया मान रहा है वह भारिया ही है। इनकी पैतृक व्यवसाय कृषि वनोपज संग्रहण व कृषि मजदूरी रहा है। वर्तमान में भी इनका यही व्यवसाय है। इस क्षेत्र में निवास रत भोरिया-भारिया जाति के लोग न कभी बुनकर का कार्य किये है और न वर्तमान में कर रहे हैं। इन्हें प्रशासन जबरदस्ती बुनकर मान रहा है। और कोष्टा बुनकर जाति से सम्बंध होना बता रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है व भारिया जाति के लोगों के साथ अन्याय है।

अस्तु श्रीमान् से अनुरोध है कि प्रशासन जिन्हें भोरिया मान रहा है वह भोरिया नहीं भारिया है इन्हें कोष्टा बुनकर की उपजाति न मानें और यह भ्रांतियां दूर कर पूर्ववत भारिया जाति मानकर दी जाने वाली सुविधाओं को जारी करें।

भवदीय
(छतराम देवांगन)
22.10.97

कृष्णालाल जायसवाल
सदस्य
मध्यप्रदेश विधान सभा
कटघोरा—108
जिला—बिलासपुर

विधायक विश्राम गृह
खण्ड 2, 30/31
फोन नं. : 550035
निवास—गांधी चौक कोरबा
495677 (म.प्र.)
फोन : 775

प्रमाणित किया जाता है कि विधान सभा क्षेत्र कटघोरा तहसील कटघोरा अंतरगत ग्राम दुरीखुर्द, भादापारा, लोतलोना, गोपालपुर, धनगांव, बिरदा, बंचर, छिलामाटी, केन्दईखार में लगभग अनादिकाल से पोड़ीखुर्दी जल के आदिम जाति के परिवार निवास करते हैं। उपरोक्त उल्लेखित ग्रामों के इन परिवारों को वर्ष अनुक्रम वर्तमान जनगणना के अंकित किया गया है।

[signature] 21/10/92
कृष्णालाल जायसवाल
विधायक,
विधानसभा क्षेत्र कटघोरा,
जिला – बिलासपुर, म.प्र.

(7)

अनुलग्न - 06

अमोलसिंह सलाम
विधायक
...र 109

1/78 वि. वि. गृह, भोपाल
☎ – 550591

अम्बिकापुर रोड, कटघोरा
कटघोरा
जिला – बिलासपुर [म. प्र.]
☎ – 319

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि

तहसील-कटघोरा विधानसभा तानाखार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-पुरीसया, बांधापारा तानाखार, रामपुर, सुमापुर, बांगो, सेन्दरीपाली, बड़बुड़ व, दरीभाठा एवं बंगोले में भारिया जनजाति के करीब .... 50 (पचास) परिवार निवासरत है ।

अमोलसिंह सलाम
3/6/92

अमोलसिंह सलाम
विधायक
109-तानाखार, बिलासपुर (म. प्र.)

अनुलग्नक - 07

प्रति,

प्रमुख सचिव,
आदिम जाति तथा अनु. जाति कल्याण,
मंत्रालय, म०प्र० शासन भोपाल (म०प्र०)

विषय– कटघोरा क्षेत्र में भोरिया भारिया का अपभ्रंश, संदर्भित निर्णय पर पुनर्विचार करने बाबत ।

सं. – म. प्र. शा. आ. जा. क. मं. के पत्र क्र. एफ-7-4/97-25-5 भोपाल दिनांक 29/5/98.

महानुभाव,

शासन ने उपरोक्त संदर्भित आदेश प्रसारित कर कटघोरा क्षेत्र में भारिया जाति के लोगों को 40-45 वर्षों तक भारिया मानने के बाद आज भोरिया मान रहा है । और इन्हें कोष्टा बुनकर जाति कि उप जाति माना है, एवं व्यवसाय भी कपड़ा बुनना माना है । शासन का यह निर्णय दोष पूर्ण है, महोदय इस क्षेत्र में भोरिया भारिया का अपभ्रंश है (जैसे-केवटा केवट का, रजपूत राजपूत का,) इनकी वास्तविक जाति भारिया है इनकी जीवन शैली भी आदिवासी की तरह है, इनका मूल पैतृक व्यवसाय कृषि है न की कपड़ा बुनना। वर्तमान में भी इस जाति के लोगों का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि है । इस जाति का एक भी परिवार कपड़े बुनने के कार्य में संलग्न नहीं है । शासन जबरजस्ती इनका पैतृक व वर्तमान का व्यवसाय कपड़ा बुनना मान कर कोष्टा जाति के उपजाति के रूप में उल्लेख कर दिया है । इनका कोष्टा जाति से किसी प्रकार का खान-दानी/सामाजिक संबंध नहीं है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कटघोरा क्षेत्र में भोरिया भारिया का अपभ्रंश है । भोरिया को भारिया पढ़ने कि अनुमति प्रदान करने कि कृपा करेंगे । और इन्हें विगत 45-46 वर्षों से दी जा रही अ.ज.जा. कि सभी सुविधाएं पूर्ववत जारी करने का आदेश पारित करें ।

"धन्यवाद"

सरपंच
ग्राम पंचायत सभोरा
वि० ख० – कटघोरा
जिला बिलासपुर (म. प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत – धनरास
जनपद पंचायत – कटघोरा

सरपंच
ग्राम पंचायत – [illegible]
विकास खण्ड – पोंडी उपरोड़ा
जिला बिलासपुर (म. प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत – [illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
जिला बिलासपुर (म. प्र.)